201

CITY CLERK
CITY OF LOS ANGELES
FOUNDED 1781
ELECTION DIVISION

मतदाता जानकारी पुस्तिका

HOLLY L. WOLCOTT, शहरी क्लर्क द्वारा संकलित

आम नगरपालिका चुनाव
मंगलवार, 5 नवंबर, 2024

HINDI

clerk.lacity.gov/elections

चुनाव संबंधी जानकारियों के लिए कृपया
1-888-873-1000 पर कॉल करें

सिटी ऑफ़ Los Angeles मतदाता जानकारी अंग्रेजी के साथ-साथ निम्नलिखित भाषाओं में भी प्रदान करता है:

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար զանգահարեք **1-800-994-VOTE (8683)** հեռախոսահամարով:

要索取本手冊的中文版，
請致電 **1-800-994-VOTE (8683)**

برای تهیه‌ی نسخه‌ای از این جزوه به زبان فارسی، با شماره تلفن
1-800-994-VOTE (8683) تماس بگیرید

हिन्दी में इस पैम्फलेट की प्रति प्राप्त करने के लिए,
1-800-994-VOTE (8683) पर फोन करें

このパンフレットの日本語版をご希望の方は、
1-800-994-VOTE (8683)までお電話ください。

ដើម្បីទទួលបានឯកសារថតចម្លងមួយច្បាប់ពីកូនសៀវភៅនេះជាភាសាខ្មែរ
សូមហៅទូរស័ព្ទលេខ **1-800-994-VOTE (8683)**

이 팸플릿을 한국어로 원하시면 다음 전화번호로
연락하십시오. **1-800-994-VOTE (8683)**

Для получения копии данной брошюры на русском
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683).

Para obtener una copia de este folleto en español,
llame al 1-800-994-VOTE (8683)

Para makakuha ng kopya ng pamplet na ito sa Tagalog,
tumawag sa 1-800-994-VOTE (8683)

เพื่อขอสำเนาจุลสารนี้ในภาษาไทย โปรดโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข
1-800-994-VOTE (8683)

Muốn có một tập sách này bằng tiếng Việt, hãy gọi số
1-800-994-VOTE (8683)

विषय सूची

पृष्ठ

मतपत्र सारांश **3-8**

मतपत्र विधेयक, तर्क-वितर्क, और टेक्स्ट

चार्टर संशोधन DD **9**

चार्टर संशोधन LL **27**

चार्टर संशोधन HH **44**

चार्टर संशोधन II **53**

चार्टर संशोधन ER **66**

चार्टर संशोधन FF **76**

मतदाता जानकारी

Los Angeles के काउंटी के रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क, सिटी ऑफ़ Los Angeles नगरपालिका चुनाव के प्रशासक हैं।

इस पुस्तिका में केवल 5 नवंबर, 2024 के आम नगरपालिका चुनाव के लिए शहर के मतपत्र विधेयकों की जानकारी शामिल है।

चुनाव से संबंधित जानकारी जैसे कि मतदान केंद्रों के बारे में जानने के लिए, कृपया LA काउंटी से (800) 815-2666 पर संपर्क करें या उनकी वेबसाइट www.lavote.gov पर जाएँ।

अगले 6 पृष्ठों में शहर के मतपत्र उपायों का सरलीकृत संस्करण शामिल है। प्रत्येक माप का पूरा पाठ, अन्य जानकारी के साथ, मतपत्र सारांश के बाद मुद्रित किया जाता है (सामग्री तालिका पृष्ठ देखें)।

सिटी ऑफ़ LOS ANGELES चार्टर संशोधन DD

शीर्षक:
सिटी ऑफ़ LOS ANGELES के लिए स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग।

विषय:
क्या Los Angeles शहर में हर दस साल में परिषद ज़िले की सीमा-रेखाओं को दोबारा बनाए जाने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग स्थापित किए जाने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा?

स्थिति:
इस समय शहरी चार्टर के अनुसार आवश्यक है कि परिषद ज़िले की सीमा-रेखाओं की समीक्षा हर दस सालों में एक सलाहकार आयोग द्वारा की जाए जो ज़िले की सीमा-रेखाओं में बदलावों के लिए नगर परिषद को सिफ़ारिश करता है। ज़िले की सीमा-रेखाओं के बारे में अंतिम निर्णय परिषद और मेयर द्वारा लिए जाते हैं। शहर ने एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो ज़िले की सीमा-रेखाओं के बारे में बदलावों पर विचार करेगा और अंतिम निर्णय लेगा।

प्रस्ताव:
यह विधेयक निम्न के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग स्थापित करने के लिए शहरी चार्टर में बदलाव करेगा:

- परिषद या मेयर की भागीदारी के बिना प्रत्येक दस साल की संघीय जनगणना के बाद नगर परिषद की ज़िले की सीमा-रेखाओं के बारे में अंतिम निर्णय लेने;
- चार्टर और शहर के अन्य कानून में निर्धारित किए गये अनुसार ज़िलों के पुनर्विभाजन के मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने;
- एक ऐसे निष्पक्ष तरीके से काम करना जिससे ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो;
- ज़िलों के पुनर्विभाजन के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करना;
- जनता की राय प्राप्त करना और उस पर विचार करना;
- ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया के बारे में शहर के अधिकारियों को सिफ़ारिशे प्रस्तुत करना; और
- शहर के कानून में निर्धारित किए गये अनुसार ज़िलों के पुनर्विभाजन संबंधी कार्य निष्पादित करना।

इस आयोग में 16 सदस्य और चार वैकल्पिक सदस्य शामिल होंगे।

स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग के सदस्यों का चयन निर्वाचित अधिकारियों की भागीदारी के बिना किया जाएगा।

शहर का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, आयुक्त, लॉबिस्ट, या कोई भी व्यक्ति जिसने शहरी कानून के अनुसार निर्वाचित शहरी अधिकारी के राजनीतिक अभियान में योगदान दिया हो, इस आयोग में सेवा करने के योग्य नहीं होगा।

एक हाँ वोट का मतलब है:
आप चाहते हैं कि शहर को सिटी ऑफ़ Los Angeles में हर दस साल में परिषद की ज़िला सीमा-रेखाओं को दोबारा बनाए जाने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता हो।

एक नहीं वोट का मतलब है:
आप नहीं चाहते हैं कि शहर को सिटी ऑफ़ Los Angeles में हर दस साल में परिषद की ज़िला सीमा-रेखाओं को दोबारा बनाए जाने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता हो।

इस विधेयक का पूरा पाठ्य पृष्ठ 14 पर शुरू होता है।

सिटी ऑफ़ LOS ANGELES चार्टर संशोधन LL

शीर्षक:
LOS ANGELES एकीकृत स्कूल ज़िले के लिए स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग।

विषय:
क्या Los Angeles के एकीकृत स्कूल ज़िले में हर दस साल में शिक्षा बोर्ड की ज़िला सीमाओं को दोबारा बनाए जाने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग को स्थापित किए जाने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा?

स्थिति:
वर्तमान में शहरी चार्टर के अनुसार Los Angeles के एकीकृत स्कूल ज़िले (LAUSD) के शिक्षा बोर्ड (बोर्ड) की ज़िला सीमाओं की समीक्षा प्रत्येक दस वर्ष में एक सलाहकार आयोग द्वारा की जानी आवश्यक है, जो नगर परिषद को ज़िला सीमाओं में बदलावों के लिए सिफ़ारिश करता है। ज़िले की सीमा रेखाओं के बारे में अंतिम निर्णय परिषद और मेयर द्वारा लिए जाते हैं। शहर ने एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो ज़िले की सीमा-रेखाओं के बारे में बदलावों पर विचार करेगा और अंतिम निर्णय लेगा।

प्रस्ताव:
यह विधेयक निम्न के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग स्थापित करने के लिए शहरी चार्टर में बदलाव करेगा:

- परिषद या मेयर की भागीदारी के बिना प्रत्येक दस साल की संघीय जनगणना के बाद LAUSD बोर्ड ज़िले की सीमा रेखाओं के बारे में अंतिम निर्णय लेने;
- चार्टर और शहर के अन्य कानून में निर्धारित किए गये अनुसार ज़िलों के पुनर्विभाजन के मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने;
- एक ऐसे निष्पक्ष तरीके से काम करना जिससे ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो;
- ज़िलों के पुनर्विभाजन के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करना;
- जनता की राय प्राप्त करना और उस पर विचार करना;
- ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया के बारे में शहर के अधिकारियों को सिफ़ारिशे प्रस्तुत करना; और
- शहर के कानून में निर्धारित किए गये अनुसार ज़िलों के पुनर्विभाजन संबंधी कार्य निष्पादित करना।

इस आयोग में 14 सदस्य और चार वैकल्पिक सदस्य शामिल होंगे।

स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग के सदस्यों का चयन निर्वाचित अधिकारियों की भागीदारी के बिना किया जाएगा।

LAUSD का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, आयुक्त, लॉबिस्ट, या कोई भी व्यक्ति जिसने शहरी कानून द्वारा निर्धारित किये अनुसार निर्वाचित LAUSD अधिकारी के राजनीतिक अभियान में योगदान दिया हो, इस आयोग में सेवा करने के योग्य नहीं होगा।

एक हाँ वोट का मतलब है:
आप चाहते हैं कि शहर को हर दस साल में LAUSD बोर्ड की ज़िला सीमाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता हो।

एक नहीं वोट का मतलब है:
आप नहीं चाहते हैं कि शहर को हर दस साल में LAUSD बोर्ड की ज़िला सीमाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता हो।

इस विधेयक का पूरा पाठ्य पृष्ठ 32 पर शुरू होता है।

शीर्षक:
शहर का संचालन, नियुक्तियाँ, और चुनाव।

विषय:
क्या शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा, ताकि: आयोग में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की पुष्टि किए जाने से पहले उन्हें वित्तीय खुलासे दर्ज करने की आवश्यकता होगी; शहरी ठेकेदारों के संबंध में नियंत्रक के लेखा-परीक्षण प्राधिकरण को स्पष्ट किया जाए; शहरी वकील की सम्मन शक्ति का विस्तार किया जाए; कुछ सामान्य प्रबंधकीय पदों पर अस्थायी नियुक्तियों को अधिकृत किया जाए; पहल याचिका द्वारा प्रस्तावित कानूनों के प्रभावों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया स्थापित की जाए; और शहरी प्रशासन, नियुक्तियों, और चुनावों के संबंध में अन्य परिवर्तन और स्पष्टीकरण किए जाएँ?

विषय:
शहरी चार्टर शहर की सरकार की संरचना, ज़िम्मेदारियों, कार्यों, प्रक्रियाओं और शक्तियों को स्थापित करता है। शहर प्रशासन, नियुक्तियों और चुनावों के संबंध में शहरी चार्टर में विभिन्न बदलावों और स्पष्टीकरण का प्रस्ताव किया जा रहा है।

प्रस्ताव:
यह विधेयक शहर के प्रशासन, नियुक्तियों और चुनावों के संबंध में शहरी चार्टर में विभिन्न बदलाव और स्पष्टीकरण करेगा, जिसमें निम्न करना शामिल होगा:

- यह अनिवार्य बनाया जाए कि आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति नगर परिषद द्वारा पुष्टि किए जाने से पहले वित्तीय खुलासे दाखिल करें;
- शहर के ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों जो शहर के कोषों को खर्च कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, पर नियंत्रक के लेखा-परीक्षण अधिकार को स्पष्ट करें;
- शहर के वकील की सम्मन शक्ति का विस्तार करे;
- कुछ महा-प्रबंधकीय पदों पर अस्थायी नियुक्तियों को अधिकृत करना;
- पहल या जनमत संग्रह याचिका द्वारा प्रस्तावित कानूनों के वित्तीय और अन्य प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करना; और
- यह अनिवार्य बनाना कि हार्बर आयुक्त बोर्ड के कम से कम दो सदस्य हार्बर क्षेत्र में निवास करें।

एक हाँ वोट का मतलब है:
आप चाहते हैं कि शहर के प्रशासन, नियुक्तियों और चुनावों के संबंध में ऊपर वर्णित बदलाव और स्पष्टीकरण करने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाए।

एक नहीं वोट का मतलब है:
आप नहीं चाहते हैं कि शहर के प्रशासन, नियुक्तियों और चुनावों के संबंध में ऊपर वर्णित बदलाव और स्पष्टीकरण करने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाए।

इस विधेयक का पूरा पाठ्य पृष्ठ 49 पर शुरू होता है।

शीर्षक:
शहरी प्रशासन और परिचालन।

विषय:
क्या शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा, ताकि: यह स्पष्ट हो कि El Pueblo स्मारक और चिड़ियाघर पार्क की संपत्ति हैं; यह स्पष्ट हो कि विभाग शहर के परिचालनों में सहायता करने के लिए सामान बेच सकते हैं; शहर द्वारा रोज़गार पर लागू होने वाले गैर-उत्पीड़न संबंधी नियमों में लैंगिक पहचान शामिल की जाए; हवाई अड्डा आयुक्तों के बोर्ड के शुल्कों और विनियमों को स्थापित करने के प्राधिकरण को स्पष्ट किया जाए; और शहरी प्रशासन और संचालनों से संबंधित अन्य परिवर्तन किए जाएँ।

स्थिति:
शहरी चार्टर शहर की सरकार की संरचना, ज़िम्मेदारियों, कार्यों, प्रक्रियाओं और शक्तियों को स्थापित करता है। शहर के प्रशासन और संचालनों के संबंध में शहरी चार्टर में विभिन्न बदलावों और स्पष्टीकरणों का प्रस्ताव कर रहा है।

प्रस्ताव:
यह विधेयक शहर के प्रशासन और संचालनों के संबंध में शहरी चार्टर में विभिन्न बदलाव और स्पष्टीकरण करेगा, जिसमें निम्न करना शामिल होगा:

- यह स्पष्ट करना कि El Pueblo Monument और चिड़ियाघर पार्क की संपत्ति हैं;
- यह स्पष्ट करना कि विभाग शहर के संचालन में सहायता के लिए खाद्यान्न और सामान बेच सकते हैं;
- शहर द्वारा रोज़गार से संबंधित गैर-भेदभाव नियमों में लिंग पहचान को शामिल करना;
- हवाई अड्डों पर जमीनी परिवहन के संबंध में शुल्क, नियम और विनियम स्थापित करने के लिए हवाई अड्डा आयुक्तों के बोर्ड के अधिकार को स्पष्ट किया जाना चाहिए;
- कुछ शहरी दस्तावेज़ों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अनुमति देना;
- शहर को Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले को सार्वजनिक पार्कों में साइटों को पट्टे पर देने की अनुमति देना, ताकि सार्वजनिक पार्कों के प्रयोजनों के अनुरूप इस्तेमाल हो सके; और
- "प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं का कार्यालय के निदेशक" शीर्षक का "शहर के प्रशासनिक अधिकारी" में बदलाव करना

एक हाँ वोट का मतलब है:
आप चाहते हैं कि शहर के प्रशासन और संचालनों से संबंधित ऊपर वर्णित परिवर्तन करने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाए।

एक नहीं वोट का मतलब है:
आप नहीं चाहते हैं कि शहर के प्रशासन और संचालनों से संबंधित ऊपर वर्णित परिवर्तन करने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाए।

इस विधेयक का पूरा पाठ्य पृष्ठ 58 पर शुरू होता है।

शीर्षक:
शहरी नैतिकता आयोग का प्राधिकरण और परिचालन स्वतंत्रता।

विषय:
क्या शहरी नैतिकता आयोग के लिए एक न्यूनतम वार्षिक बजट स्थापित करने; आयोग के खर्च संबंधी फैसलों और भर्ती संबंधी मामलों पर प्राधिकरण को बढ़ाने; आयोग को सीमित परिस्थितियों में बाहरी सलाहकार प्राप्त करने की अनुमति देने; आयोग के सदस्यों पर अतिरिक्त योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को लागू करने; शहरी समिति को आयोग के प्रस्तावों पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता को ज़रूरी बनाने; और शहरी कानूनों के उल्लंघनों के लिए जुर्मानों में वृद्धि करने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा?

स्थिति:
नैतिकता आयोग अभियान वित्त, सरकारी नैतिकता और लॉबिंग से संबंधित शहर और राज्य के कानूनों का प्रशासन करता है। नगर परिषद ने आयोग के अधिकार और परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किए जाने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव:
यह विधेयक शहरी चार्टर में निम्न बदलाव करेगा:

- आयोग के लिए एक न्यूनतम बजट स्थापित करना;
- आयोग को खर्च संबंधी निर्णय, नियुक्ति और कार्मिक मामलों पर अधिक अधिकार देने की अनुमति देना;
- आयोग को विशिष्ट परिस्थितियों में, जिनमें विशिष्ट जांच-पड़ताल या प्रवर्तन मामला भी शामिल है, अपना स्वयं का कानूनी परामर्शदाता रखने की अनुमति देना;
- आयोग के सदस्यों और कार्यकारी निदेशक पर अतिरिक्त योग्यताएं लागू करना, जिसमें आयोग के सदस्यों और कार्यकारी निदेशक को ऐसे व्यवसाय में स्वामित्व हित रखने से रोकना शामिल है जो शहर के साथ अनुबंध करता है या उससे अनुमोदन प्राप्त करता है, एक प्रमुख दाता के रूप में योगदान देता है या राजनीतिक अभियानों के लिए सशुल्क सेवाएँ प्रदान करता है;
- किसी निर्वाचित शहरी अधिकारी के रिश्तेदार, किसी भुगतान प्राप्त अभियान सलाहकार, या किसी प्रमुख अभियान दाता की आयोग में नियुक्ति पर रोक लगाना;
- नगर परिषद को आयोग के नीति प्रस्तावों पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता होगी; और
- आयोग द्वारा लगाए जाने वाले अधिकतम जुर्माने को, जो इस समय प्रति उल्लंघन $5,000 है, से बढ़ाकर प्रति वर्ष समायोजित करके प्रति उल्लंघन $15,000 डॉलर किया जाना।

एक हाँ वोट का मतलब है:
आप नैतिकता आयोग के प्राधिकरण और परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहते हैं।

एक नहीं वोट का मतलब है:
आप नैतिकता आयोग के प्राधिकरण और परिचालन स्वतंत्रता को नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

इस विधेयक का पूरा पाठ्य पृष्ठ 71 पर शुरू होता है।

शीर्षक:
LOS ANGELES अग्नि विभाग और पुलिस पेंशन; शांति अधिकारी।

विषय:
क्या शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा, ताकि: पुलिस, हवाई अड्डों, बंदरगाह, और मनोरंजन और पार्क विभागों द्वारा कार्यरत शांति अधिकारियों को Los Angeles के शहर कर्मचारी रिटायरमेंट प्रणाली (LACERS) से Los Angeles अग्नि विभाग और पुलिस पेंशन प्लैन (LAFPP) में सदस्यता और सेवा को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए; और शहर के लिए संबंधित लागतों का भुगतान करने को आवश्यक बनाया जाए, जिसमें पूर्व स्थानांतरणों के लिए कुछ हवाई अड्डों और पुलिस विभाग के सदस्यों को धन-वापसियाँ (रीफंड) किया जाना शामिल हो?

स्थिति:
चार्टर में प्रावधान है कि शहर के पुलिस, हवाई अड्डों, बंदरगाह और मनोरंजन और पार्क विभागों द्वारा कार्यरत कुछ शपथ लेने वाले शांति अधिकारी LACERS (LACERS शांति अधिकारी) के सदस्य हैं। पिछले चार्टर संशोधनों ने शांति अधिकारियों के योग्य समूहों को LACERS से LAFPP के श्रेणी 6 में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया है। श्रेणी 6 LAFPP सदस्यों के लिए पेंशन प्लैन है।

प्रस्ताव:
यह विधेयक शहरी चार्टर में निम्न बदलाव करेगा:

- नगर परिषद को 12 जनवरी 2025 को सक्रिय रूप से कार्यरत LACERS शांति अधिकारियों के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अधिकृत करना, ताकि वे अपनी सदस्यता, सेवा के वर्षों और रिटायरमेंट योगदान को LACERS से LAFPP श्रेणी 6 में स्थानांतरित करने के लिए एक बार का निर्णय ले पाएँ।
- कुछ LAFPP श्रेणी 6 सदस्यों को LACERS में बाकी बचे काम के वर्षों और रिटायरमेंट अंशदान को LAFPP श्रेणी 6 में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत करना।
- LAFPP को कुछ श्रेणी 6 सदस्यों द्वारा अपनी जेब से अदा की गई लागतों को वापस करने की आवश्यकता है, जिन्होंने पहले LACERS से LAFPP श्रेणी 6 में स्थानांतरित किया था।
- शहर को LACERS शांति अधिकारियों के स्थानांतरण से जुड़े सभी खर्चों और निरंतर होने वाली लागतों का भुगतान करने को आवश्यक बनाता है, जिसमें ऊपर वर्णित धन-वापसियाँ (रीफंड) भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि LAFPP के लिए कोई अतिरिक्त लागतें न आए।

एक हाँ वोट का मतलब है:
आप LACERS शांति अधिकारियों को अपनी सदस्यता, सेवा के वर्ष, तथा रिटायरमेंट अंशदान को LACERS से LAFPP श्रेणी 6 में स्थानांतरित करने की अनुमति देना चाहते हैं।

एक नहीं वोट का मतलब है:
आप LACERS शांति अधिकारियों को अपनी सदस्यता, सेवा के वर्ष, तथा रिटायरमेंट अंशदान को LACERS से LAFPP श्रेणी 6 में स्थानांतरित करने की अनुमति देना चाहते हैं।

इस विधेयक का पूरा पाठ्य पृष्ठ 80 पर शुरू होता है।

DD सिटी ऑफ़ LOS ANGELES के लिए स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग। चार्टर संशोधन DD.

क्या Los Angeles शहर में हर दस साल में परिषद ज़िला सीमाओं को दोबारा बनाए जाने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग स्थापित किए जाने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा?

निष्पक्ष सारांश
SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

सिटी ऑफ़ Los Angeles (शहर) चार्टर (चार्टर) उस प्रक्रिया को स्थापित करता है जिसके तहत शहर में परिषद ज़िला की सीमा-रेखाएँ हर दस साल में बनाई जाती हैं और संघीय जनगणना के बाद अध्यादेश द्वारा अपनाई जाती हैं। इसके बाद, उन परिषद ज़िला सीमा-रेखाओं का इस्तेमाल परिषद सदस्य के चुनावों, रीकॉल (अपने पद से हटाने) और परिषद के खाली पदों को भरने के लिए किया जाता है। मौजूदा समय में, एक नियुक्त सलाहकार आयोग पुनर्विभाजन प्रक्रिया के दौरान परिषद को उन सीमा-रेखाओं में बदलावों के बारे में सिफ़ारिश करता है। ज़िले की सीमा-रेखाओं के बारे में अंतिम निर्णय परिषद और मेयर द्वारा लिए जाते हैं।

यह विधेयक चार्टर में संशोधन करेगा, जिसके तहत एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग (आयोग) की स्थापना करने की आवश्यकता होगी, जिसके पास प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद हर दस वर्ष में परिषद की ज़िला सीमा-रेखाओं को अपनाने की शक्तियाँ, कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ होंगी। आयोग को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, California के संविधान और संघीय मतदान अधिकार अधिनियम के अनुपालन में परिषद की ज़िला सीमा-रेखाएँ निर्धारित करने की आवश्यकता होगी, साथ ही चार्टर और अन्य शहरी कानून में निर्धारित किए गये पुनर्विभाजन मानदंडों और प्रक्रिया का पालन करना होगा।

आयोग को निर्वाचित अधिकारियों की भागीदारी के बिना परिषद की ज़िले की सीमा-रेखाओं के विकास में निष्पक्ष तरीके से काम करना होगा। अंतिम परिषद ज़िला सीमा-रेखाओं को केवल आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आयोग जनता को पुनर्विभाजन के बारे में शिक्षित और सूचित करेगा; सार्वजनिक बैठकें और सुनवाइयाँ आयोजित करेगा; जनता से सुझाव प्राप्त करेगा और उन पर विचार करेगा; पुनर्विभाजन प्रक्रिया के संबंध में मेयर, परिषद और नैतिकता आयोग को सिफ़ारिशें करेगा; और शहर के कानून द्वारा निर्धारित अन्य पुनर्विभाजन संबंधी काम करेगा। आयोग का कोई भी सदस्य सार्वजनिक मीटिंग के बाहर ज़िलों के पुनर्विभाजन मामलों पर किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ संचार करने से प्रतिबंधित होगा।

आयोग का चयन निर्वाचित पदाधिकारियों की भागीदारी के बिना किया जाएगा और इसमें 16 सदस्य तथा चार वैकल्पिक सदस्य होंगे। आयोग की स्थापना प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद हर दस वर्ष में की जाएगी और ज़ीरो पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल तक की जाएगी। आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल चयन होने की तारीख से शुरू होगा और अगले आयोग के प्रथम सदस्य के चयन पर समाप्त होगा। आयोग के सदस्यों की योग्यताओं और प्रतिबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- चयन के समय कम से कम 18 वर्ष का होना और शहर का निवासी होना;
- व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों तक शहर में निवास किया होना;
- सहयोगात्मक कौशल, नागरिक सहभागिता में अनुभव और जटिल डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता का प्रदर्शन करना;

- किसी व्यक्ति का पंजीकृत मतदाता होना या संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक नहीं है;
- वह व्यक्ति आवेदन सबमिट करने से कम से कम दो वर्ष पहले तक शहर का कर्मचारी या शहरी आयुक्त नहीं हो सकता/ती है;
- वह व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या परिवार ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोगों के लिए पात्रता आवश्यकताओं के संबंध में California चुनाव संहिता प्रावधानोंमें वर्णित पूर्व राजनीतिक लॉबिंग गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता/ती है;
- आयोग के सदस्य के लिए आर्थिक हितों और अन्य वित्तीय खुलासों का विवरण दाखिल करना आवश्यक है;
- आयोग में कार्यरत रहने के दौरान, आयोग का कोई सदस्य किसी निर्वाचित शहरी अधिकारी या निर्वाचित शहरी कार्यालय के लिए उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकता/ती, उसके लिए काम नहीं कर सकता/ती, उसके लिए स्वयंसेवा नहीं कर सकता/ती, या अभियान में योगदान नहीं कर सकता/ती, या किसी अन्य सरकारी संस्था के लिए ज़िलों के पुनर्विभाजन आयोग में कार्यरत नहीं हो सकता/ती।
- किसी आयुक्त को पद पर रहते हुए कर्तव्य की उपेक्षा करने या अन्य कदाचार के लिए आयोग के दो-तिहाई मतदन से हटाया जा सकता है, जिसके विरुद्ध शहर के नैतिकता आयोग में अपील की जा सकती है;
- आयोग और शहर के अन्य विभागों के लिए जनसांख्यिकीय और भौगोलिक डेटा तैयार करने और प्रबंधित करने के लिए शहर का एक डेटा ब्यूरो स्थापित किया जाएगा।
- शहर का क्लर्क आयोग की आवेदन प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा, और शहर के नैतिकता आयोग की निगरानी करेगा।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंज़ूरी मिल जाती है तो यह चार्टर संशोधन प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण
MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

यह विधेयक प्रत्येक दस वर्ष में सिटी ऑफ़ Los Angeles के लिए 16-सदस्यों वाले एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग की स्थापना करता है। आयुक्त का मुआवजा अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसकी राशि फिलहाल अभी पता नहीं है। इस विधेयक के तहत शहर के क्लर्क के कार्यालय और नैतिकता आयोग को आयुक्त के चयन में सहयोग करना होगा, तथा शहर के क्लर्क को आयोग के सामान्य कार्यों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना होगा। जबकि आयुक्त का मुआवजा अध्यादेश के जरिए स्थापित किया जाएगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ विकसित होने के बाद शहरी विभाग के प्रशासनिक खर्चों को शहर की वार्षिक बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में संबोधित किया जाएगा, इसकी वास्तविक लागतें आयोग के कार्यभार के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहेगी। आंशिक वार्षिक लागतों का साल 2028-29 से शुरू होने का अनुमान है। शहर के सामान्य कोष पर 2028-2029 में $1,163,746 का प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया जाता है। 2029-30 के पूरे साल की लागतों का $2,405,256 होने का अनुमान है। आयोग के पूरे जीवनकाल में संचयी लागतों के लगभग $6,154,130 होने का अनुमान है।

चार्टर संशोधन DD के पक्ष में तर्क

100 सालों से, Los Angeles शहर के परिषद सदस्यों को अपने स्वयं की ज़िला रेखाएँ निर्धारित करने का अंतिम अधिकार मिला हुआ है। बहुत बार, उन्होंने उस अधिकार का इस्तेमाल ऐसे ज़िलों को बनाने के लिए किया है जो उनके पुनः निर्वाचित होने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं, भले ही हमारे पड़ोस और समुदायों पर इनका कोई भी प्रभाव क्यों न पड़े। हमारे शहर के इतिहास में पहली बार, चार्टर संशोधन DD निर्वाचित अधिकारियों से इस अधिकार को वापस ले लेगा और इसके बजाय शहर के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग बनाया जाएगा।

दो साल पहले, यह शहर एक ऐसे घोटाले से हिल गया था, जब कुछ परिषद सदस्यों को पूरे समुदाय की शक्ति को कमजोर करते हुए ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हुए पाया गया था।

चार्टर संशोधन DD बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले इस प्रकार की सौदेबाजी को रोक सकेगा।

हर दस साल में, परिषद ज़िला की सीमा रेखाओं को दोबारा खींचने के लिए एक नया आयोग चुना जाएगा। संभावित हितों के टकराव के लिए आवेदकों की कठोरता से जांच की जाएगी। कोई निर्वाचित अधिकारी या उनके कर्मचारी या परिवार के सदस्य नहीं। कोई उम्मीदवार, लॉबिस्ट या राजनीतिक सलाहकार नहीं। किसी लॉटरी की ही तरह, आधे आयुक्तों का चयन चुने गये आवेदकों में से यादृच्छिक रूप से किया जाएगा। इसके बाद वे उसी समूह में से बाकी लोगों का चयन करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयोग हमारे शहर की विविधता को प्रतिबिंबित करता है, तथा इसमें जाति, लिंग, आयु, आय और अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाता है। पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन शहर के क्लर्क द्वारा किया जाएगा तथा परिषद सदस्यों की इसमें कोई भागीदारी नहीं होगी।

स्वतंत्र आयुक्त परिषद ज़िलों का निर्माण करेंगे जिनकी जनसंख्या लगभग बराबर होगी, और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी नस्लीय या जातीय समुदाय को उनके प्रतिनिधित्व के अवसर कम किए जाने के लिए मनमाने ढंग से कई ज़िलों में विभाजित न किया जाए।

लोकतंत्र और शहर के लिए प्रभावी सरकार होने के लिए निष्पक्ष तरीके से बनाए गये ज़िलों में निष्पक्ष चुनाव किया जाना आवश्यक हैं। हमेशा के लिए, चार्टर संशोधन DD मतदाताओं को अपने परिषद सदस्यों को चुनने की अनुमति देगा, बजाय इसके कि परिषद सदस्य अपने मतदाताओं को चुनें।

आईये ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया से राजनीति को बाहर निकालें।

चार्टर संशोधन DD पर हाँ में मतदान करें!

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

चार्टर संशोधन DD के पक्ष में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

PAUL KREKORIAN
परिषद सदस्य, ज़िला 2
City of Los Angeles

NITHYA RAMAN
परिषद सदस्य, ज़िला 4
City of Los Angeles

CALIFORNIA COMMON CAUSE

इस उपाय के खिलाफ कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था।

चार्टर संशोधन DD के पक्ष में तर्क का खंडन

चार्टर संशोधन DD Los Angeles के इतिहास में परिषद ज़िला की सीमा रेखाएँ खींचने के लिए असल में ज़िलों का पहला स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग बनाएगा। यह शहरी हॉल में हमेशा के लिए सुधार करने की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

यह प्रस्ताव सरकार में सुधार के समर्थकों, शैक्षणिक विशेषज्ञों और सामुदायिक प्रतिनिधियों द्वारा महीनों तक की गई व्यापक भागीदारी के बाद तैयार किया गया था। कुछ विशेषज्ञों ने चार्टर संशोधन DD को ज़िलों के पुनर्विभाजन में सुधारों के "स्वर्ण मानक" के रूप में संदर्भित किया है। इसके विरोध में कोई तर्क नहीं दिए गये हैं।

स्वतंत्र नागरिक आयुक्तों द्वारा तैयार किए गये परिषद ज़िले शहर के सभी क्षेत्रों से निष्पक्ष रूप से चुने गए और Los Angeles की पूरी विविधता को प्रदर्शित करते हुए, राजनेताओं द्वारा अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की सेवा के लिए तैयार किए गए ज़िलों की तुलना में जनता की बेहतर सेवा करेंगे।

निंदनीय ऑडियो रिकॉर्डिंग से पर्दा उठाई गई गुप्त सौदेबाजी का अंत करता है।

Los Angeles शहर की सरकार में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और मजबूत लोकतंत्र के लिए चार्टर संशोधन DD पर हाँ में मतदान करें।

चार्टर संशोधन DD के पक्ष में तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

PAUL KREKORIAN
परिषद सदस्य, ज़िला 2
City of Los Angeles

NITHYA RAMAN
परिषद सदस्य, ज़िला 4
City of Los Angeles

CALIFORNIA COMMON CAUSE

FERNANDO GUERRA, PH.D.
बोर्ड के सदस्य
L.A. Governance Reform Project

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को ~~स्ट्राइकआउट~~ टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन DD

अनुभाग 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर में अनुभागों 480 से 490 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

सिटी ऑफ़ Los Angeles के लिए ज़िलों का स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग।

अनुभाग 480. आयोग की स्थापना एवं उद्देश्य।

(a) सिटी ऑफ़ Los Angeles का ज़िलों का एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग ("आयोग") होगा, जिसकी अध्यादेश के अनुसार शहरी चार्टर में निर्धारित की गईं शक्तियाँ, कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ होंगी।

(b) इस आयोग का उद्देश्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी और ज़िलों की स्वतंत्र पुनर्विभाजन प्रक्रिया के जरिए आयोग के ज़िले की सीमाओं को विकसित करके सिटी ऑफ़ Los Angeles के संचालन को मजबूत बनाना है, जो इसकी कार्यवाहियों में जनता की भागीदारी और जनता की पहुंच को सशक्त बनाता है।

अनुभाग 481. आयोग का संगठन, शक्तियाँ और कर्तव्य।

(a) इस आयोग में 16 सदस्य और चार वैकल्पिक सदस्य शामिल होंगे।

(b) दस सालों में की जाने वाली प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद हर दस वर्ष में एक नया आयोग स्थापित किया जाएगा। इस आयोग के सदस्यों का चयन नंबर शून्य पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल तक कर लिया जाएगा।

(c) इस आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उस आयुक्त के संबंधित चयन की तारीख से शुरू हो जाएगा और अगले आयोग के पहले सदस्य का चयन किए जाने पर समाप्त हो जाएगा।

(d) इस आयोग की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:

(1) दस सालों में की जाने वाली प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद सिटी ऑफ़ Los Angeles के परिषद ज़िलों की सीमाओं को अपनाना;

(2) चार्टर और अध्यादेश के अनुसार निर्धारित ज़िलों के पुनर्विभाजन के मानदंडों और प्रक्रिया का अनुपालन करना;

(3) एक ऐसे निष्पक्ष तरीके से काम करना जिससे ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो;

(4) ज़िलों के पुनर्विभाजन के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करना, ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया में जनता को भागीदारी करने का आग्रह करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, और जनता के लिए ऐसी मीटिंगों और सुनवाइयों को आयोजित करना जो सुगम्य हैं और जनता को पूरी प्रक्रिया में भाग लेने और टिप्पणी देने का अवसर प्रदान करना;

(5) ज़िलों के पुनर्विभाजन मामलों के संबंध में मेयर, नगर परिषद, और शहर के नैतिकता आयोग को सिफ़ारिशें प्रस्तुत करना; और

(6) अध्यादेश के अनुसार निर्धारित ज़िलों के पुनर्विभाजन संबंधी अन्य कार्य करना।

अनुभाग 482. आयुक्त की योग्यताएँ और प्रतिबंध।

(a) आयोग के प्रत्येक सदस्य की आयु कम से कम 18 वर्ष होगी तथा चयन के समय वह शहर का निवासी होगा, और आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले वह कम से कम पांच वर्षों तक शहर में निवास कर चुका होगा। आयुक्त का संयुक्त राज्य अमेरिका का पंजीकृत मतदाता होना या नागरिक होना ज़रूरी नहीं है।

(b) कोई व्यक्ति आयोग में आवेदन करने या सेवा करने के योग्य नहीं होगा अगर वह व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले के दो वर्षों में किसी भी समय शहर का कर्मचारी या शहर के आयोग का सदस्य रहा हो।

(c) अगर कोई व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या परिवार ने ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोगों के लिए पात्रता आवश्यकताओं के संबंध में California चुनाव संहिता प्रावधानों में बताई गई पूर्व राजनीतिक और लॉबिंग गतिविधियों में भाग लिया है, तो वह व्यक्ति आयोग में आवेदन करने या सेवा करने के योग्य नहीं होगा। अध्यादेश के अनुसार अतिरिक्त पात्रता आवश्यकताएँ लागू की जा सकती हैं।

(d) आयोग के आवेदकों को सहयोगात्मक कौशल, नागरिक सहभागिता में अनुभव, तथा जटिल डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता का प्रदर्शन करना होगा।

(e) आयोग में कार्यरत रहने के दौरान, आयोग का कोई सदस्य किसी निर्वाचित शहरी अधिकारी या शहर के वैकल्पिक कार्यालय के लिए उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगा, उसके लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए स्वयंसेवा नहीं करेगा, या अभियान में योगदान नहीं देगा, या किसी अन्य सरकारी निकाय के लिए ज़िलों के पुनर्विभाजन आयोग में कार्यरत नहीं होगा।

(f) आयोग का कोई सदस्य या पूर्व सदस्य निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा:

(1) शहर के वैकल्पिक कार्यालय के लिए उम्मीदवार न होना, जब तक कि आयोग में आयुक्त की पिछली बार कार्यरत होने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक समय न बीत गया हो या आयोग में आयुक्त के चयन की तारीख से दस वर्ष का समय न बीत गया हो, इनमें से जो भी कम हो।

(2) किसी भी ज़िले के लिए नगर परिषद के लिए उम्मीदवार बनना, जिसके लिए चुनाव उस ज़िले की सीमाओं का इस्तेमाल करके आयोजित किया जाएगा जिसे उस आयोग द्वारा अपनाया गया था जिस पर वह सदस्य कार्यरत था।

(g) आयोग में कार्यरत होने की अंतिम तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या आयोग में चयन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए, जो भी कम हो, आयोग का कोई सदस्य या पूर्व सदस्य निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा:

(1) शहर के किसी दूसरे आयोग में नियुक्ति स्वीकार करना।

(2) किसी निर्वाचित शहर के अधिकारी या शहर के वैकल्पिक कार्यालय के उम्मीदवार के वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में रोज़गार स्वीकार करना या सलाहकार के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करना।

(3) शहर के साथ गैर-प्रतिस्पर्धी बोली अनुबंध प्राप्त करना।

(4) शहर के पंजीकृत लॉबिस्ट (पैरवी करने वाले) की तरह काम करना।

(5) शहर के किसी कार्यालय में नियुक्ति स्वीकार करना।

(h) आयोग के वैकल्पिक सदस्यों पर भी अन्य आयोग सदस्यों के समान ही पात्रता आवश्यकताएँ, आचरण के मानक और प्रतिबंध लागू होंगे।

अनुभाग 483. आयुक्त का चयन करना और उन्हें हटाना।

(a) भावी आयुक्तों की पहचान करने की आवेदन प्रक्रिया, जो संख्या नौ पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल तक शुरू होगी।

(b) शहर का क्लर्क आयोग की आवेदन प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा, और शहर के नैतिकता आयोग की निगरानी करेगा। शहर का क्लर्क और शहर का नैतिकता आयोग इन ज़िम्मेदारियों को अपने कर्मचारियों या सलाहकारों को सौंप सकते हैं।

(c) शहर का क्लर्क यह सुनिश्चित करने के लिए एक आउटरीच और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करेगा कि आयोग की आवेदन प्रक्रिया के बारे में प्रकाशन और जागरूकता हो, वंचित समुदायों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और अध्यादेश के अनुसार पहचानी गई विविध भाषाओं में प्रयास किए जाएंगे। शहर का क्लर्क प्रस्तुत किए गये आवेदनों के जनसांख्यिकीय डेटा की निगरानी करेगा और उन्हें सार्वजनिक करेगा तथा आवश्यकतानुसार पहुँच को बेहतर बनाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक पूल में पर्याप्त संख्या में योग्य आवेदक हैं और यह शहर की विविधता को उचित रूप से दर्शाता है।

(d) आयोग पर कार्यरत होने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी इच्छुक व्यक्ति शहर के क्लर्क के पास एक आवेदन पेश कर सकता है। शहर का क्लर्क आवेदनों की समीक्षा करेगा और उन व्यक्तियों वाले एक आवेदक पूल की स्थापना करेगा जिसमें वे व्यक्ति शामिल होंगे जो अनुभाग 482 की उपखंडों (a) से (c) में निर्दिष्ट की गई वस्तुनिष्ठ पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(e) शहर का क्लर्क जनता की समीक्षा के लिए आवेदक पूल में शामिल किए गये व्यक्तियों के नामों को प्रकाशित करेगा और एक प्रक्रिया की स्थापना करेगा जिसके द्वारा जनता को आवेदक पूल में से किसी भी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सके। शहर का नैतिकता आयोग जनता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की समीक्षा करेगा तथा यह निर्धारित करेगा कि क्या किसी व्यक्ति को आवेदक सूची से हटाया जाएगा।

(f) जनता की समीक्षा अवधि के बाद, शहर का नैतिकता आयोग आवेदक पूल में व्यक्तियों के आवेदनों का मूल्यांकन करेगा ताकि उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके जो अनुभाग 482 की उपखंडों (a) से (d) में निर्दिष्ट पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जिन्हें आयोग चयन पूल में शामिल किया जाएगा। आयोग चयन पूल की स्थापना होने के बाद, शहर के नैतिकता आयोग को जनता से जानकारी प्राप्त करने और आयोग चयन पूल में व्यक्तियों की निरंतर पात्रता के संबंध में निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(g) शहर का क्लर्क और शहर का नैतिकता आयोग, शहर के डेटा ब्यूरो की सहायता से और जनता की राय की अनुमति देने वाली प्रक्रिया के माध्यम से, सामान्यतः समान जनसंख्या वाले शहर के आठ भौगोलिक क्षेत्रों को नामित करेंगे। शहर का क्लर्क आठ भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रत्येक के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति का चयन करने के लिए एक सार्वजनिक मीटिंग में यादृच्छिक ड्राइंग का आयोजन करेगा। इस चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आयोग के आठ सदस्यों का चयन होगा, जिनमें आठ भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रत्येक के भौगोलिक क्षेत्र में से एक सदस्य होगा।

(h) चुने गये आठ आयुक्त आयोग के आठ अतिरिक्त सदस्यों का चयन करने के लिए आयोग चयन पूल में शेष सभी आवेदकों के आवेदनों की समीक्षा करेंगे। ये चयन एक सार्वजनिक मीटिंग में आठ प्रारंभिक आयुक्तों के दो-तिहाई वोट से किए जाएंगे, जो आवेदक के प्रासंगिक अनुभवों और पृष्ठभूमि, शहर के आस-पड़ोस से परिचितता, निष्पक्ष होने की क्षमता और यह सुनिश्चित करने के आधार पर किए जाएंगे कि आयोग शहर की विविधता को प्रदर्शित करता है, जिसमें नस्लीय, जातीय, लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, आयु, आमदनी, पेशेवर और भौगोलिक विविधता शामिल है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए फार्मूले या अनुपातों को लागू नहीं किया जाएगा।

(i) 16 आयुक्तों का चयन हो जाने के बाद, आयोग वैकल्पिक आयुक्तों के तौर पर काम करने के लिए आयोग चयन पूल में शेष आवेदकों में से चार व्यक्तियों का चयन करेगा। वैकल्पिक आयुक्तों का चयन ऐसे तरीके से किया जाएगा जो वैकल्पिक आयुक्तों के बीच भौगोलिक विविधता को सुनिश्चित करता हो।

(j) आयोग किसी आयुक्त को कर्तव्य की पर्याप्त रूप से उपेक्षा करने, कार्यालय में घोर दुर्वयवहार करने, कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होने, अनुभाग 482 में वर्णित आयुक्त की पात्रता आवश्यकताओं और प्रतिबंधों का पालन न कर पाने, अनुचित रूप से अनुपस्थित रहने, या पारदर्शिता आवश्यकताओं का पालन न कर पाने के कारण हटा सकता है। इस प्रावधान के तहत हटाए जाने के लिए सदस्य को सार्वजनिक सुनवाई की सूचना देने तथा सार्वजनिक सुनवाई में लिखित रूप में प्रतिक्रिया देने का अवसर देने के बाद आयोग के दो-तिहाई मतदान की आवश्यकता होगी। हटाया गया सदस्य आयोग के फैसले पर शहर के नैतिकता आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

(k) आयोग किसी आयुक्त को तत्काल हटा सकता है जिस पर घोर अपराध का आरोप लगाया गया हो, या जिस पर अनुभाग 207(c) में वर्णित आधिकारिक कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया हो। इस प्रावधान के तहत हटाए जाने के लिए आयोग के दो-तिहाई मतदान की आवश्यकता होगी। हटाया गया सदस्य आयोग के फैसले पर शहर के नैतिकता आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

(l) अगर वह सदस्य किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है या कोई प्रतिवाद नहीं करता है या उसे किसी घोर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो आयोग के सदस्य का यह पद खाली हो जाएगा।

(m) अगर आयोग में कोई पद खाली होता है, तो आयोग का अध्यक्ष यादृच्छिक ड्राइंग आयोजित कर आयुक्त के रूप में काम करने के लिए वैकल्पिक आयुक्तों में से एक का चयन किया जाएगा।

अनुभाग 484. ज़िलों के पुनर्विभाजन का मानदंड।

(a) आयोग परिषद की ज़िला सीमाओं को अपनाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, California के संविधान और संघीय मताधिकार अधिनियम 1965 के अनुरूप होंगी। प्रत्येक ज़िले की जनसंख्या यथोचित रूप से अन्य ज़िलों के बराबर होगी, सिवाय उन ज़िलों के जहाँ संघीय मताधिकार अधिनियम के अनुपालन के लिए विचलन की आवश्यकता हो या कानून द्वारा स्वीकार्य हो।

(b) उपखंड (a) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों का इस्तेमाल करते हुए परिषद ज़िला की सीमाओं को अपनाएगा:

(1) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, ज़िले भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से सटे होंगे। वे क्षेत्र जो केवल आसन्न कोनों पर मिलते हैं, एक-दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं। जो क्षेत्र एक-दूसरे से पानी से अलग होते हैं और किसी पुल, सुरंग या नियमित फैरी (नौका) सेवा से जुड़े नहीं होते, वे एक-दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं।

(2) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, और जहाँ यह इस उपखंड में पूर्ववर्ती मानदंड के साथ संघर्ष नहीं करता है, किसी भी समान हित वाले स्थानीय पड़ोस या स्थानीय समुदाय की भौगोलिक अखंडता का इस तरह से सम्मान किया जाएगा जिससे उसका विभाजन कम से कम हो। "समान हित वाले समुदाय" का मतलब ऐसी आबादी है जो समान सामाजिक या आर्थिक हितों को साझा करती है, उसे प्रभावी और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। समान हित वाले समुदायों की विशेषताओं में शिक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, आवास, परिवहन और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच जैसी साझा सार्वजनिक नीति संबंधी चिंताएँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। समान हित वाले समुदायों की विशेषताओं में सांस्कृतिक ज़िले, साझा सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ, समान मतदाता पंजीकरण दरें और भागीदारी दरें तथा साझा इतिहास भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। समान हित वाले समुदायों में राजनीतिक दलों, पदाधिकारियों, या राजनीतिक उम्मीदवारों के साथ संबंध शामिल नहीं होते हैं।

(3) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, और जहाँ यह इस उपखंड में पूर्ववर्ती मानदंड के साथ संघर्ष नहीं करता है, ज़िले प्राकृतिक और कृत्रिम अवरोधों द्वारा, सड़कों द्वारा, या शहर की सीमाओं से घिरे होंगे। ज़िले की सीमाएँ निवासियों द्वारा आसानी से पहचानी जाने योग्य और समझ आने योग्य होनी चाहिएं।

(4) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, और जहाँ यह इस उपखंड में पूर्ववर्ती मानदंड के साथ संघर्ष नहीं करता है, भौगोलिक सघनता को प्रोत्साहित करने के लिए ज़िलों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि निकटवर्ती आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक दूर स्थित आबादियों के पक्ष में नज़रअंदाज न किया जाए।

(c) आयोग किसी पदाधिकारी, राजनीतिक उम्मीदवार या राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात या भेदभाव करने के उद्देश्य से ज़िला सीमाओं को नहीं अपनाएगा, तथा ज़िला सीमाओं को विकसित करने में किसी पदाधिकारी या उम्मीदवार के निवास स्थान पर विचार नहीं किया जाएगा।

(d) ज़िला सीमाओं को अपनाते समय आयोग को अन्य अतिरिक्त मानदंडों पर भी विचार करना चाहिए, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक स्थानों और संसाधनों के साथ सामुदायिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर विचार किया जाना भी शामिल है। अतिरिक्त मानदंडों से संबंधित सभी फैसलों पर सार्वजनिक बैठकों में विचार किया जाएगा और उन्हें अनुमोदित किया जाएगा। आयोग द्वारा अतिरिक्त मानदंडों पर विचार उपखंडों (a) से (c) तक की लागू होने वाली आवश्यकताओं के अनुपालन में और उनके अधीन किया जाना चाहिए।

(e) आयोग के ज़िला सीमाओं को अपनाने के बाद, आयोग प्रत्येक परिषद ज़िले को इस प्रकार क्रमांकित करेगा कि, अधिक से अधिक निवासियों के लिए, जिस परिषद ज़िले में वे रहते हैं उसकी संख्या समान रहे।

अनुभाग 485. सार्वजनिक बैठकें, आउटरीच, और सुगम्यता।

(a) आयोग Ralph M. Brown अधिनियम और अन्य लागू होने वाले खुली मीटिंग संबंधी कानूनों का अनुपालन करेगा।

(b) आयोग ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएगा, जिसमें कम प्रतिनिधित्व वाले समुदाय और गैर-अंग्रेजी भाषी समुदाय भी शामिल होंगे।

(c) आयोग सार्वजनिक सुनवाइयाँ और वर्कशॉप इस प्रकार आयोजित करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनता को ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भाग लेने और टिप्पणी करने का अवसर मिलता है।

(d) आयोग अंग्रेजी और स्पेनिश में तथा अध्यादेश के अनुसार आगे दिए गए प्रावधानों के अनुसार आयोग की बैठकों का सीधा प्रसारित अनुवाद उपलब्ध कराएगा। आयोग संघीय और राज्य कानून द्वारा अपेक्षित तथा अध्यादेश के अनुसार निर्धारित भाषाओं में सामग्रियाँ उपलब्ध कराएगा।

(e) आयोग सुगम्यता संबंधी एक योजना विकसित करेगा और उसे क्रियान्वित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक आयोग की बैठकों और सुनवाइयों में पूरी तरह से भाग ले सकें। आयोग इस योजना का विकास सार्वजनिक सुनवाइयों की शुरुआत से पहले करेगा।

(f) गवाही देने के प्रयोजन से, शहर के निर्वाचित अधिकारी भी आम जनता के सदस्यों के समान ही सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाओं के विषयाधीन होंगे।

(g) एकपक्षीय संचार।

(1) आयोग का कोई भी सदस्य सार्वजनिक मीटिंग के बाहर ज़िलों के पुनर्विभाजन मामलों पर किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ संचार नहीं करेगा। यह प्रावधान किसी दूसरे आयुक्त, आयोग के कर्मचारियों, कानूनी वकील, या आयोग द्वारा नियुक्त किए गये परामर्शदाताओं के साथ संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह प्रावधान उस सीमा तक शहर के कर्मचारियों के साथ संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जब तक कि वे संचार प्रशासनिक मामलों या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षिक प्रस्तुतियों से संबंधित हों।

(2) आयोग के कार्यकारी निदेशक, आयोग के किसी भी मानचित्र बनाने वाले कर्मचारी या मानचित्र बनाने वाले परामर्शदाता, तथा आयोग द्वारा नामित अन्य आयोग कर्मचारी, शहर के निर्वाचित अधिकारी, शहर के वैकल्पिक कार्यालय के लिए उम्मीदवार, या ऐसे किसी भी अधिकारी या उम्मीदवार के कर्मचारियों के साथ, सार्वजनिक बैठक के बाहर ज़िलों के पुनर्विभाजन मामलों के बारे में सीधे या किसी एजेंट के जरिए संचार नहीं करेंगे। यह प्रावधान उस सीमा तक शहर के कर्मचारियों के साथ संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जब तक कि वे संचार प्रशासनिक मामलों या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षिक प्रस्तुतियों से संबंधित हों।

(3) शहर के नैतिकता आयोग, शहर के क्लर्क, या शहर के किसी अन्य विभाग की चयन प्रक्रिया में शामिल शहरी विभाग का कोई सदस्य या कर्मचारी, शहर का निर्वाचित अधिकारी, शहर के वैकल्पिक कार्यालय के लिए उम्मीदवार या ऐसे किसी भी अधिकारी या उम्मीदवार के कर्मचारी के साथ, सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से, चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले के बारे में सार्वजनिक बैठक के बाहर उस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले संचार नहीं करेगा। यह प्रावधान उस सीमा तक संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जब तक कि वे संचार प्रशासनिक मामलों या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षिक प्रस्तुतियों से संबंधित हों।

(4) आयोग संचार के संबंध में अन्य नियम भी अपना सकता है, बशर्ते वे नियम Brown अधिनियम के अनुरूप हों, इस उपखंड के प्रावधानों के साथ टकराव में न हों, और आयोग की सार्वजनिक मीटिंग में अपनाए गए हों।

अनुभाग 486. आयोग का व्यावसायिक आचरण, प्रशासन और कार्मिक।

(a) आयोग का प्रत्येक सदस्य और वैकल्पिक सदस्य California राजनीतिक सुधार अधिनियम के अनुसार अपनाए गए आयोग के लिए हितों के टकराव संबंधी संहिता में नामित कर्मचारी होगा, और कानून द्वारा अपेक्षित आर्थिक हितों और अन्य वित्तीय प्रकटीकरण ब्यौरों का विवरण शहर के नैतिकता आयोग के समक्ष दाखिल करेगा।

(b) किसी भी आधिकारिक कार्रवाई के लिए आयोग के बहुमत के सकारात्मक मतदान की ज़रूरत होगी, सिवाय निम्नलिखित कार्यों के जिनके लिए आयोग के दो-तिहाई बहुमत के अनुमोदन की ज़रूरत होगी:

(1) ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना के लिए मतदान;

(2) किसी आयुक्त को हटाने के लिए मतदान;

(3) अनुभाग 483(h) में वर्णित आठ आयुक्तों के चयन के लिए मतदान;

(4) कार्यकारी निदेशक, नक्शे बनाने वाले परामर्शदाता या नक्शे बनाने वाले कर्मचारी सदस्य, तथा आयोग द्वारा प्रमुख स्टाफ के रूप में नामित किसी अन्य पद को नियुक्त करने के लिए मतदान; तथा

(5) भर्ती करने या अनुबंध प्राधिकार के प्रत्यायोजन को अधिकृत करने के लिए मतदान, इस सीमा तक कि ऐसा प्राधिकरण राज्य और शहर के कानून के तहत प्रत्यायोजित करने योग्य हो।

(c) आयोग के वैकल्पिक सदस्य आयोग के विचार-विमर्श में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते हैं और उन्हें कोरम पूरा करने में नहीं गिना जा सकता है।

(d) आयोग, आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए एक आयुक्त का चयन करेगा। आयोग अपने सदस्यों में से अन्य अधिकारियों को मनोनीत कर सकता है।

(e) मसौदा और ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजनाओं के लिए ज़िला सीमाओं को विकसित करने के सिद्धांतों पर विचार सार्वजनिक बैठक में किया जाएगा और आयोग के मतदान द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(f) आयोग प्रस्तावित नक्शा सिद्धांतों और किसी भी प्रस्तावित अंतिम नक्शे को आयोग की सुनवाई या बैठक में विचार करने से पहले कम से कम सात दिनों के लिए आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट करेगा।

(g) आयोग एक कार्यकारी निदेशक और ज़िलों के पुनर्विभाजन, प्रौद्योगिकी और आउटरीच कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जिनके पद चार्टर की नागरिक सेवाओं के प्रावधानों से मुक्त होंगे।

(h) आयोग को चार्टर के अनुबंध प्रावधानों और अध्यादेश के अनुसार प्रदत्त अनुसार प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

(i) शहर का क्लर्क, शहर के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने, शहर के विभागों और कर्मियों के साथ समन्वय करने, तथा आवश्यकतानुसार अन्य प्रशासनिक मामलों में आयोग को सहायता प्रदान करेगा।

(j) आयोग शहर के अटॉर्नी को कानूनी सलाहकार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है या शहर के अटॉर्नी से आयोग के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है।

अनुभाग 487. ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाना।

(a) आयोग संख्या एक पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर तक अपनी ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाएगा, जिसमें ज़िला परिषद की नई सीमाएँ स्थापित की जाएंगी।

(b) अगर आयोग उपखंड (a) में दी गई समय-सीमा तक ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को नहीं अपनाता है, तो शहर का अटॉर्नी अनुभाग 484 में वर्णित ज़िलों के पुनर्विभाजन मानदंडों के अनुसार ज़िला परिषद की नई सीमाओं को निर्धारित करने के आदेश के लिए तुरंत सुपीरियर कोर्ट में याचिका दायर करेगा, और जब तक आयोग ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक वे सीमाएँ शहर के चुनावों पर लागू होंगी।

(c) आयोग अंतिम योजना के साथ एक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस आधार पर आयोग ने अनुभाग 484 में वर्णित ज़िलों के पुनर्विभाजन मानदंडों के अनुपालन को प्राप्त करने के लिए अपने निर्णय लिए।

(d) ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाने के बाद, आयोग योजना, अंतिम रिपोर्ट और अन्य संबंधित सामग्रियों को शहर के क्लर्क को सौंपेगा और इस सामग्री को आयोग की ज़िलों के पुनर्विभाजन की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(e) शहर का क्लर्क आयोग की ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना और रिपोर्ट को शहर की वेबसाइट पर पोस्ट करेगा। शहर का क्लर्क, शिक्षा बोर्ड की नई ज़िला सीमाओं की अंतिम योजना और विवरण को शहर के किसी अन्य अध्यादेश की तरह ही प्रकाशित करेगा।

(f) नए परिषद ज़िलों की स्थापना करने वाली ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना, चार्टर में अध्यादेशों के लिए प्रावधानों के अनुसार, इसके प्रकाशन से 31 दिन बाद प्रभावी हो जाएगी।

(g) ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना शहर के किसी अध्यादेश की तरह ही जनमत संग्रह के अधीन होगी।

(h) ज़िलों के पुनर्विभाजन द्वारा किसी भी ज़िले की सीमा या स्थान में कोई भी परिवर्तन आयोग के किसी भी सदस्य के कार्यकाल को खत्म करने या बर्खास्त करने के लिए संचालित नहीं होगा, उस कार्यकाल की समाप्ति से पहले जिसके लिए वह सदस्य चुना गया था।

(i) आयोग द्वारा अपनाई गई ज़िला सीमाओं में तब तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक कि दस सालों में की जाने वाली अगली संघीय जनगणना न हो जाए, सिवाय किसी कानूनी दावे के निपटारे के लिए या किसी न्यायालय के आदेश के प्रत्युत्तर में।

(j) शहर से संबंधित या उसके साथ समेकित किसी भी क्षेत्र को आयोग द्वारा निकटवर्ती ज़िले या ज़िलों में जोड़ा जाएगा। यह जुड़ाव विलय या समेकन कार्यवाहियों के पूरा होने पर प्रभावी होगा।

अनुभाग 488. आयोग का वित्तपोषण।

(a) नगर परिषद और मेयर आयोग के गठन और संचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आयोग के कर्मचारियों, सलाहकारों और कानूनी सलाहकारों को पारिश्रमिक देना,

ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आउटरीच का संचालन करना, और अगर आवश्यक हो, तो किसी भी कानूनी कार्यवाही में आयोग की कार्रवाइयों का बचाव करना शामिल है।

(b) नगर परिषद और मेयर आयोग के गठन से जुड़े सभी शहरी विभागों को धन उपलब्ध कराएंगे, आयोग को सहायता प्रदान करेंगे तथा आयोग के रिकॉर्डों का रखरखाव करेंगे।

(c) आयुक्तों को अध्यादेश के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

अनुभाग 489. आयोग की सिफ़ारिशें।

(a) आयोग, आयोग की सिफ़ारिशों का समर्थन करने वाले निष्कर्षों, विश्लेषण और आंकड़ों के साथ शहर के नैतिकता आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके शहर के चार्टर और प्रशासनिक संहिता में वर्णित ज़िलों की स्वतंत्र पुनर्विभाजन प्रक्रिया में परिवर्तन की सिफ़ारिश कर सकता है।

(b) शहर का नैतिकता आयोग, आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों की समीक्षा करेगा और ज़िलों के पुनर्विभाजन के संबंध में शहर के चार्टर और प्रशासनिक संहिता में संशोधन के लिए सिफ़ारिशों वाली एक रिपोर्ट नगर परिषद को भेज सकता है। जहाँ तक सिफ़ारिशों में प्रशासनिक संहिता में संशोधन करना शामिल हैं, नैतिकता आयोग शहर के अटॉर्नी की सहायता से किसी भी प्रस्तावित अध्यादेश को तैयार करेगा और प्रेषित करेगा, जो सिफ़ारिश किए गये संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा।

(c) प्रशासनिक संहिता में संशोधन। आचार आयोग की रिपोर्ट और ज़िलों के पुनर्विभाजन के संबंध में प्रशासनिक संहिता में संशोधनों की सिफ़ारिश करने वाले प्रस्तावित अध्यादेश के प्रस्तुत होने के 60 दिनों के भीतर, नगर परिषद उस मामले के संबंध में एक सार्वजनिक सुनवाई करेगी और प्रस्तावित अध्यादेश को बिना किसी परिवर्तन के अनुमोदित करने या अस्वीकृत करने के लिए कार्य करेगी। अगर परिषद 60 दिन की अवधि के भीतर अस्वीकृति नहीं देती है, तो प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदन या वीटो के लिए मेयर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और मेयर के वीटो को रद्द करने के लिए परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर मेयर द्वारा अनुमोदित किया जाता है, या मेयर कार्रवाई करने में असफल रहता है, या मेयर के वीटो को दरकिनार करते हुए परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदित माना जाएगा।

(d) चार्टर में संशोधन। ज़िलों के पुनर्विभाजन के संबंध में शहर के चार्टर में संशोधन की सिफारिश करने वाली नैतिकता आयोग की रिपोर्ट पर नगर परिषद द्वारा समय पर विचार किया जाएगा, ताकि अगले उपलब्ध चुनाव में मतदाताओं के समक्ष चार्टर संशोधन प्रस्तुत किया जा सके। शहर के चार्टर में कोई संशोधन किए जाने के लिए शहर के मतदाताओं का अनुमोदन आवश्यक होता है।

अनुभाग 490. शहर का डेटा ब्यूरो।

अध्यादेश के अनुसार आगे दिए गए प्रावधान के अनुसार आयोग और शहर के अन्य विभागों के लिए जनसांख्यिकीय और भौगोलिक डेटा तैयार करने और प्रबंधित करने के लिए शहर का एक डेटा ब्यूरो स्थापित किया जाएगा। इस खंड का कोई भी प्रावधान डेटा ब्यूरो को शहर के किसी विभाग या कार्यालय में रखे जाने पर रोक नहीं लगाएगा।

अनुभाग 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 204 को निम्नानुसार निरस्त किया जाता है:

~~**अनुभाग 204. नगर परिषद के सदस्यों का चुनाव; ज़िलों का पुनर्विभाजन।**~~

~~(a) **अध्यादेश के अनुसार ज़िलों का पुनर्विभाजन।** प्रत्येक दस वर्ष पर, परिषद अध्यादेश के अनुसार ज़िला~~

रेखाओं को पुनः निर्धारित करेगी, जिसका इस्तेमाल परिषद के सदस्यों के सभी चुनावों के लिए किया जाएगा, जिसमें उन्हें उनके पद से हटाया जाना भी शामिल है, तथा पुनर्विभाजन अध्यादेश के प्रभावी होने की तारीख के बाद परिषद के सदस्य के पद में किसी खाली स्थान को भरने के लिए भी किया जाएगा। इस प्रकार गठित प्रत्येक ज़िले में, यथासंभव, शहर की कुल जनसंख्या का बराबर हिस्सा शामिल होगा, जैसा कि ज़िलों के गठन से ठीक पहले संघीय जनगणना में दर्शाया गया है।

(b) **ज़िलों का पुनर्विभाजन आयोग।** परिषद ज़िला रेखाएँ खींचने के बारे में परिषद को सलाह देने के लिए ज़िलों का एक पुनर्विभाजन आयोग होगा। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी: प्रत्येक परिषद सदस्य द्वारा एक, सिवाय इसके कि परिषद अध्यक्ष दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, मेयर द्वारा तीन, शहर के अटॉर्नी द्वारा एक, और नियंत्रक द्वारा एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। शहर का कोई अधिकारी या कर्मचारी आयोग पर कार्यरत होने का पात्र नहीं होगा। ज़िलों का पुनर्विभाजन आयोग बजटीय अनुमोदन के अनुरूप एक निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जिन पदों को चार्टर के नागरिक सेवा प्रावधानों से छूट प्राप्त होगी।

(c) **पुनर्विभाजन प्रक्रिया।** ज़िलों के पुनर्विभाजन आयोग की नियुक्ति जनगणना ब्यूरो द्वारा दशकीय जनगणना डेटा जारी करने की तारीख तक की जाएगी। प्रत्येक आगामी ज़िलों के पुनर्विभाजन से पहले परिषद को सलाह देने के लिए एक नया आयोग नियुक्त किया जाएगा। आयोग नियुक्ति के बाद किसी भी समय ज़िलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया शुरू करेगा, लेकिन 1 जून 2021 तक, और उस तारीख के बाद प्रत्येक दसवीं वर्षगांठ तक। आयोग ज़िलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया के दौरान जनता से सुझाव मांगेगा। आयोग अध्यादेश के अनुसार निर्धारित की गई तारीख तक परिषद के समक्ष ज़िलों के पुनर्विभाजन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

आयोग को 31 दिसम्बर, 2021, और उस तारीख के बाद प्रत्येक दसवीं वर्षगांठ तक ज़िलों के पुनर्विभाजन अध्यादेश को अपनाना होगा। इस अनुभाग में दिया गया कुछ भी परिषद को अधिक आवृत्ति के साथ ज़िलों का पुनर्विभाजन करने से नहीं रोकेगा, बशर्ते कि गठित प्रत्येक ज़िले में, यथासंभव, शहर की कुल जनसंख्या का लगभग एक समान हिस्सा हो, जैसा कि ज़िलों के गठन से तुरंत पहले संघीय जनगणना द्वारा दर्शाया गया हो या परिषद द्वारा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय मानी गई अन्य जनसंख्या रिपोर्टों या अनुमानों पर आधारित हो।

(d) **ज़िलों के पुनर्विभाजन के लिए मानदंड।** सभी ज़िलों को राज्य और संघीय कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा और, जहाँ तक संभव हो, आस-पड़ोस और समुदायों को बरकरार रखा जाएगा, प्राकृतिक सीमाओं या सड़क रेखाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, और भौगोलिक रूप से सघन बनाया जाएगा।

(e) **ज़िलों के पुनर्विभाजन का पदाधिकारियों पर प्रभाव।** ज़िलों के पुनर्विभाजन द्वारा किसी भी ज़िले की सीमा या स्थान में कोई भी परिवर्तन आयोग के किसी भी सदस्य के कार्यकाल को खत्म करने या बर्खास्त करने के लिए संचालित नहीं होगा, उस कार्यकाल की समाप्ति से पहले जिसके लिए वह सदस्य चुना गया था।

(f) **विलय या समेकन।** शहर से संबंधित या समेकित किसी भी क्षेत्र को, उसके लिए कार्यवाही पूरी होने से पहले या उसके साथ-साथ, परिषद द्वारा अध्यादेश के अनुसार निकटवर्ती ज़िले या ज़िलों में जोड़ा जाएगा, जो कि चार्टर के किसी अन्य विपरीत प्रावधान के बावजूद, विलय या समेकन की कार्यवाही पूरी होने पर प्रभावी होगा।

(g) **कार्यकाल।** विषम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 1997 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा और सम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 1999 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा, सिवाय अनुभाग 205(b) में दिए गए प्रावधान के अलावा और वर्ष 2020 तक। वर्ष 2020 से शुरू करते हुए, सम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष

~~2020 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा और विषम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2022 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा।~~

अनुभाग 3. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 205 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 205. कार्यालय का कार्यकाल।

(a) मेयर, शहर के अटॉर्नी, नियंत्रक और परिषद के सदस्य उपखंड (b) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर चार वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने कार्यालय (पद) धारण करेंगे।

(b) चार्टर में दिए किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, 2020 से शुरू होने वाली चुनाव की नई तारीखों पर पारगमन करने के लिए, 2015 में चुने गए परिषद के सदस्यों को दिसंबर 2020 में समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए चुना जाएगा और वर्ष 2017 में चुने गए मेयर, शहर के अटॉर्नी, नियंत्रक और परिषद के सदस्यों को दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए चुना जाएगा।

(c) ~~शहर के कार्यालय के लिए निर्वाचित किसी पदाधिकारी का कार्यकाल उसके चुनाव के बाद अगली जुलाई की पहली तारीख से शुरू होकर वर्ष 2020 तक होगा। वर्ष 2020 से शुरू करते हुए,~~ सम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित परिषद का सदस्यों के कार्यकाल वर्ष 2020 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा। मेयर, शहर के अटॉर्नी, नियंत्रक और विषम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2022 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा। शहर के कार्यालय के लिए निर्वाचित किसी पदाधिकारी का कार्यकाल उसके चुनाव के बाद अगली दिसम्बर के दूसरे सोमवार से शुरू होगा।

(d) सिवाय तब जबकि अनुभाग 207 के अनुसार पद पर खाली स्थान उत्पन्न हो, निर्वाचित और नियुक्त पदों पर आसीन व्यक्ति तब तक कार्यालय में बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो जाते।

अनुभाग 4. ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग की कार्रवाइयों को नगर परिषद की समीक्षा से छूट देने वाले विधेयक को सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 245 के उपखंड (9) को जोड़ा गया है, जो इस प्रकार पढ़े जाएंगे:

(9) ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग की कार्रवाइयाँ।

अनुभाग 5. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 252 का उपखंड (h) निरस्त किया जाता है, और उपखंडों (i), (j), और (k) को क्रमशः उपखंडों (h), (i), और (j) में पुन: क्रमांकित किया जाता है, जो इस प्रकार पढ़े जाएंगे:

अनुभाग 252. अध्यादेशों, आदेशों और संकल्पों के प्रभावी होने की तारीख।

आदेश और संकल्प पारित होने पर प्रभावी हो जाएंगे, जब तक कि उनके लिए मेयर के द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता न हो, उस स्थिति में वे मेयर के अनुमोदन या मेयर के वीटो को रद्द किए जाने पर प्रभावी होंगे। कोई अध्यादेश अपने प्रकाशन से 31 दिन के भीतर प्रभावी हो जाएगा, सिवाय अनुभाग 253 के अनुसरण में अपनाए गए अत्यावश्यक अध्यादेशों के, और निम्नलिखित अध्यादेशों के, जो प्रकाशन के पश्चात प्रभावी होंगे:

(a) किसी चुनाव का आदेश देता, या अन्यथा चुनाव से संबंधित कोई अध्यादेश;

(b) शहर के वार्षिक टैक्स के अधिरोपण या संग्रहण का आदेश देता, या अन्यथा उससे संबंधित कोई अध्यादेश;

(c) कोई अध्यादेश जो सड़कों, बुलेवार्ड्स, गलियों, कोर्टस या अन्य सार्वजनिक स्थानों के संबंध में अग्रांकित में से किसी के लिए प्रावधान करता है या बदलता है: नाम, कर्ब लाइन्स, ग्रेड, सुधार, उद्घाटन, चौड़ा करना, सीधा करना या विस्तार करना;

(d) सीवर या तूफ़ानी नालियों के निर्माण से संबंधित अध्यादेश;

(e) उपखंडों (c) और (d) में संदर्भित किसी भी उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति पर मुकद्दमों या कार्रवाइयों को लाने या संचालित करने या स्थानीय मूल्यांकनों की उगाही या संग्रह से संबंधित कोई अध्यादेश;

(f) निजी संपत्ति पर स्थानीय मूल्यांकन द्वारा व्यय के भुगतान के लिए कानूनों या अध्यादेशों के तहत पार्कों, बुलेवार्ड या खेल के मैदानों के लिए भूमि के निराकरण से संबंधित अध्यादेश;

(g) पदों की श्रेणियाँ बनाने, वेतन निर्धारित करने, कर्मियों के नियोजन को अधिकृत करने या नियोजन की शर्तें निर्धारित करने से संबंधित अध्यादेश;

~~(h) परिषद या शिक्षा बोर्ड के ज़िलों की स्थापना करने वाला अध्यादेश;~~

~~(i)~~(h) चार्टर के अनुच्छेद XI के अनुसार पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ स्थापित करने वाला अध्यादेश;

~~(j)~~(i) किसी भी अनुबंध को बनाने या अधिकृत करने वाला अध्यादेश, किसी भी मताधिकार, अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान करने वाले अध्यादेश के अलावा; और

~~(k)~~(j) शहर या शहर के भीतर किसी भी ज़िले के बांड्स की बिक्री या जारी करने को अधिकृत करने वाला कोई भी अध्यादेश।

अनुभाग 6. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 272 के उपखंड (c) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

(c) **बोर्डस।** स्वामित्व विभागों के बोर्ड, नैतिकता आयोग, अग्नि एवं पुलिस पेंशन आयुक्तों के बोर्ड, Los Angeles शहर के कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्रणाली के प्रशासन बोर्ड, ~~और~~ जल एवं विद्युत कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्रणाली के प्रशासन बोर्ड, और ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग, ग्राहकों के संबंध में उन मुकद्दमों में निर्णय लेंगे, जिनमें विशेष रूप से वे नीतियाँ और कोष शामिल हैं, जिन पर चार्टर उन बोर्डों को नियंत्रण प्रदान करता है।

अनुभाग 7. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 273 के उपखंड (a) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

(a) **बोर्डस।** स्वामित्व विभागों के बोर्ड, नैतिकता आयोग, अग्नि एवं पुलिस पेंशन आयुक्तों के बोर्ड, Los Angeles शहर के कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्रणाली के प्रशासन बोर्ड, ~~और~~ जल एवं विद्युत कर्मचारी सेवानिवृत्ति प्रणाली के प्रशासन बोर्ड, और ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग के पास उन नीतियों और निधियों से संबंधित मुकद्दमे के निपटारे को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा जिन पर चार्टर उन बोर्डों को नियंत्रण प्रदान करता है। अन्य सभी मुकद्दमों का निपटारा इस अनुभाग के उपखंडों (b) और (c) के अनुसार किया जाएगा।

अनुभाग 8. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 281 में एक नया उपखंड (h) इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है, जो शहर के क्लर्क की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में है:

(h) शहर का क्लर्क चार्टर और अध्यादेश में दिए गए प्रावधान के अनुसार ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग से संबंधित कर्तव्यों का पालन करेगा।

अनुभाग 9. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 502 में एक नया उपखंड (d) इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है, जो आयुक्तों को हटाने के संबंध में है:

(d) हटाना। शहर के नैतिकता आयोग और पुलिस आयोग के अलावा बोर्ड या आयोग के सदस्य, जिन्हें मेयर द्वारा परिषद के अनुमोदन के तहत नियुक्त किया जाता है, को मेयर द्वारा परिषद की पुष्टि के बिना हटाया जा सकता है। पुलिस आयोग के सदस्यों को मेयर द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन हटाया गया सदस्य, हटाए जाने के दस दिनों के भीतर परिषद के समक्ष कार्रवाई के बारे में अपील कर सकता है। अपील प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, परिषद दो-तिहाई मतदान से आयुक्त को वापस बहाल कर सकती है। इस समयावधि के दौरान आयुक्त को बहाल करने में परिषद की विफलता, अपील को अस्वीकार किए जाने के बराबर मानी जाएगी। अपील पर कार्रवाई हटाए गए सदस्य के स्थान पर आने वाले परवर्ती व्यक्ति की नियुक्ति के अनुमोदन से अलग कार्रवाई द्वारा की जाएगी। शहर के नैतिकता आयोग के सदस्यों को अनुभाग 700 के अनुसार हटाया जा सकता है। ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग के सदस्यों को अनुभाग 483 के अनुसार हटाया जा सकता है।

अनुभाग 10. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 514 के उपखंड (b) में एक नया उप-प्रभाग (8) जोड़ा गया है, जो स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग को शहर के विभागों, कार्यालयों और बोर्डों की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए मेयर और नगर परिषद के अधिकार से छूट देता है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(8) ज़िलों का स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग।

अनुभाग 11. आचार आयोग के कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों के संबंध में सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 702 में एक नया उपखंड (m) जोड़ा गया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(m) चार्टर में और अध्यादेश के अनुसार दिए गए प्रावधान के अनुसार ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग से संबंधित कर्तव्यों का पालन करेगा।

अनुभाग 12. अगर इस चार्टर संशोधन के किसी अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग को किसी न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, इस अनुच्छेद की शेष धाराएँ, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस लेख के प्रावधान अलग किए जाने योग्य रहेंगे। इसके अलावा, मतदाता घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस चार्टर संशोधन के असंवैधानिक या अमान्य माने गये सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों के अलावा बाकी सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों को पारित किया होता।

LL LOS ANGELES एकीकृत स्कूल ज़िले के लिए स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोग। चार्टर संशोधन LL.

क्या Los Angeles के एकीकृत स्कूल ज़िले में हर दस साल में शिक्षा बोर्ड की ज़िला सीमा-रेखाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोग को स्थापित किए जाने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा?

निष्पक्ष सारांश
SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

सिटी ऑफ़ Los Angeles (शहर) चार्टर (चार्टर) उस प्रक्रिया को स्थापित करता है जिसके तहत Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले (LAUSD) के शिक्षा बोर्ड (बोर्ड) के ज़िले की सीमा-रेखाएँ हर दस साल में बनाई जाती हैं और संघीय जनगणना के बाद अध्यादेश द्वारा अपनाई जाती हैं। इसके बाद, उन बोर्ड ज़िला सीमा-रेखाओं का इस्तेमाल बोर्ड के सभी सदस्य के चुनावों, रीकॉल (अपने पद से हटाने) और बोर्ड के खाली पदों को भरने के लिए किया जाता है। मौजूदा समय में, एक नियुक्त सलाहकार आयोग पुनर्वितरण प्रक्रिया के दौरान परिषद को उन सीमा-रेखाओं में बदलावों के बारे में सिफ़ारिश करता है। ज़िले की सीमा-रेखाओं के बारे में अंतिम निर्णय परिषद और मेयर द्वारा लिए जाते हैं।

यह विधेयक चार्टर में संशोधन करेगा, जिसके तहत एक स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोग (आयोग) की स्थापना करने की आवश्यकता होगी, जिसके पास प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद हर दस वर्ष में बोर्ड की ज़िला सीमा-रेखाओं को अपनाने की शक्तियाँ, कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ होंगी। आयोग को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, California के संविधान और संघीय मतदान अधिकार अधिनियम के अनुपालन में परिषद की ज़िला सीमा-रेखाएँ निर्धारित करने की आवश्यकता होगी, साथ ही चार्टर और अन्य शहरी कानून में निर्धारित किए गये पुनर्वितरण मानदंडों और प्रक्रिया का पालन करना होगा।

आयोग को निर्वाचित अधिकारियों की भागीदारी के बिना बोर्ड की ज़िला सीमा-रेखाओं के विकास में निष्पक्ष तरीके से काम करना होगा। अंतिम बोर्ड ज़िला सीमा-रेखाओं को केवल आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आयोग जनता को पुनर्वितरण के बारे में शिक्षित और सूचित करेगा; सार्वजनिक बैठकें और सुनवाइयाँ आयोजित करेगा; जनता से सुझाव प्राप्त करेगा और उन पर विचार करेगा; पुनर्वितरण प्रक्रिया के संबंध में शहर को सिफ़ारिशें करेगा; और शहर के कानून द्वारा निर्धारित अन्य पुनर्वितरण संबंधी काम करेगा। आयोग का कोई भी सदस्य सार्वजनिक मीटिंग के बाहर ज़िलों के पुनर्वितरण मामलों पर किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ संचार करने से प्रतिबंधित होगा। आयोग, शहर के कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को आयोग में भाग लेने की अनुमति दे सकता है।

आयोग का चयन निर्वाचित पदाधिकारियों की भागीदारी के बिना किया जाएगा और इसमें 14 सदस्य तथा चार वैकल्पिक सदस्य होंगे। आयोग की स्थापना प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद हर दस वर्ष में की जाएगी और ज़ीरो पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल तक की जाएगी। आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल चयन होने की तारीख से शुरू होगा और अगले आयोग के प्रथम सदस्य के चयन पर समाप्त होगा। आयोग के सदस्यों की योग्यताओं और प्रतिबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- चयन के समय कम से कम 18 वर्ष का होना और LAUSD का निवासी होना;

- व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों तक LAUSD में निवास किया गया होना;
- सहयोगात्मक कौशल, नागरिक सहभागिता में अनुभव और जटिल डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता का प्रदर्शन करना;
- किसी व्यक्ति का पंजीकृत मतदाता होना या संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक नहीं है;
- वह व्यक्ति आवेदन सबमिट करने से कम से कम चार वर्ष पहले तक LAUSD का कर्मचारी या LAUSD आयुक्त नहीं हो सकता/ती है;
- वह व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या परिवार ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोगों के लिए पात्रता आवश्यकताओं के संबंध में California चुनाव संहिता प्रावधानों में बताई गई पूर्व राजनीतिक लॉबिंग गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता/ती है;
- आयोग के सदस्य के लिए आर्थिक हितों और अन्य वित्तीय खुलासों का विवरण दाखिल करना आवश्यक है;
- आयोग में कार्यरत रहने के दौरान, वह व्यक्ति शिक्षा बोर्ड के किसी निर्वाचित अधिकारी या शिक्षा बोर्ड के निर्वाचित कार्यालय के लिए उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकता/ती, उसके लिए काम नहीं कर सकता/ती, उसके लिए स्वयंसेवा नहीं कर सकता/ती, या अभियान में योगदान नहीं कर सकता/ती, या किसी अन्य सरकारी संस्था के लिए ज़िलों के पुनर्वितरण आयोग में कार्यरत नहीं हो सकता/ती;
- किसी आयुक्त को पद पर रहते हुए कर्तव्य की उपेक्षा करने या अन्य कदाचार के लिए आयोग के दो-तिहाई मतदन से हटाया जा सकता है, जिसके विरुद्ध शहर के नैतिकता आयोग में अपील की जा सकती है; और
- शहर का क्लर्क आयोग की आवेदन प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा, और शहर के नैतिकता आयोग की निगरानी करेगा।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह चार्टर संशोधन प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण
MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

यह विधेयक प्रत्येक दस वर्ष में Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले (LAUSD) के लिए 14-सदस्यों वाले एक स्वतंत्र पुनर्वितरण आयोग की स्थापना करता है। आयुक्त का मुआवजा अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसकी राशि फिलहाल अभी पता नहीं है। इस विधेयक के तहत शहर के क्लर्क और नैतिकता आयोग को आयुक्त के चयन में सहयोग करना होगा, तथा शहर के क्लर्क को आयोग के सामान्य कार्यों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना होगा। जबकि आयुक्त का मुआवजा अध्यादेश के जरिए स्थापित किया जाएगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ विकसित होने के बाद शहरी विभाग के प्रशासनिक खर्चों को शहर की वार्षिक बजट प्रक्रिया के भाग के रूप में संबोधित किया जाएगा, इसकी वास्तविक लागतें आयोग के कार्यभार के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहेगी। आंशिक वार्षिक लागतें 2028-29 से शुरू होने का अनुमान है, जिसका शहर के सामान्य कोष पर अनुमानित प्रभाव $1,163,746 होगा। 2029-30 के लिए पूरे वर्ष की लागत $2,485,756 होने का अनुमान है। आयोग के पूरे जीवनकाल में संचयी लागत लगभग $6,161,630 होने का अनुमान है। लागत की प्रतिपूर्ति LAUSD द्वारा की जाएगी।

चार्टर संशोधन LL के पक्ष में तर्क

चार्टर संशोधन LL पर हाँ – Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले का ज़िलों का स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग।

Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले (LAUSD) के परिवार और विद्यार्थी ऐसी ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया के हकदार हैं, जो सामुदायिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देती है—न कि राजनीति के अंदरूनी लोगों को। प्रत्येक दस वर्ष में, संघीय कानून के अनुसार जनसंख्या बदलाव के कारण बोर्ड ज़िलों की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है। यह ज़िलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया निर्धारित करती है कि बोर्ड ज़िले की सीमाएँ कहाँ तय की जाएँगी, और यह प्रभावित करती है कि LAUSD बोर्ड में किन समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा, तथा किन समुदायों को चुप करा दिया जाएगा।

मौजूदा समय में, वर्तमान राजनेता बोर्ड ज़िले की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। LAUSD के विद्यार्थियों, परिवारों और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय इस प्रक्रिया को राजनीति द्वारा कमजोर बना दिया गया है। हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो ज़िलों के पुनर्विभाजन की ताकत जनता को दे, न कि राजनेताओं को।

चार्टर संशोधन LL, LAUSD में समुदाय के सदस्यों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ताकत प्रदान करेगा तथा राजनेताओं के हाथों से यह ताकत पूरी तरह से छीन लेगा। ज़िलों का स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग एक सिद्ध, विश्वसनीय, गैर-पक्षपाती सुधार है, जिसने California के अनगिनत अन्य न्यायक्षेत्रों में अच्छा काम किया है। यह LAUSD के निष्पक्ष और निष्पक्ष निवासियों को जनता से प्राप्त इनपुट के आधार पर बोर्ड ज़िले की सीमाएँ निर्धारित करने की अनुमति देता है।

चार्टर संशोधन LL करेगा:

- ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयुक्तों को राजनेताओं के प्रभाव के बिना LAUSD के लिए नई पुनर्विभाजन योजनाओं को अपनाने का पूर्ण अधिकार देगा, साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सार्वजनिक इनपुट की आवश्यकता को ज़रूरी बनाएगा
- LAUSD में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा, जिसमें ज़िले के भीतर के शहर और असंगठित समुदाय भी शामिल हैं
- हितधारक समुदायों की रक्षा करेगा ताकि बोर्ड ज़िलों में उनका ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व हो सके
- किसी उम्मीदवार या पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ज़िलों की हेराफेरी किए जाने पर रोक लगाएगा और तिकड़मबाजी पर रोक लगाएगा
- सुनिश्चित करेगा कि वर्तमान LAUSD विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावकों का आयोग में प्रतिनिधित्व हो

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

- गारंटी देगा कि LAUSD के हितधारक – जिनमें युवा और विद्यार्थी, ज़िले के कर्मचारी और शिक्षक, और अन्य व्यक्ति शामिल हैं – भाग ले सकते हैं

नया आयोग 2030 में अपना महत्वपूर्ण कार्य शुरू करेगा और इस प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त करेगा।

कृपया चार्टर संशोधन LL पर हाँ में मतदान करने में हमारे साथ शामिल हों!

चार्टर संशोधन LL के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

COMMON CAUSE
Dan Vicuna
ज़िलों के पुनर्विभाजन और प्रतिनिधित्व निदेशक

TANYA ORTIZ FRANKLIN
बोर्ड सदस्य
Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला

JOHN KIM
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Catalyst California

VANESSA ARAMAYO
मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष
Alliance for a Better Community

JACKIE GOLDBERG
बोर्ड अध्यक्ष
Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला

HECTOR SANCHEZ
डिप्टी राजनीतिक निदेशक
Community Coalition

DAVID LEVITUS
कार्यकारी निदेशक
LA Forward Institute

इस उपाय के खिलाफ कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

चार्टर संशोधन LL के पक्ष में तर्क का खंडन

चार्टर संशोधन LL पर हाँ में मतदान करना यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता, परिवार, और सामान्य लोग Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला (LAUSD) के लिए ज़िलों के पुनर्विभाजन को नियंत्रित करते हैं।

मतदाताओं को अपने राजनेताओं का चयन करना चाहिए, न कि राजनेताओं को अपने मतदाताओं का चयन करना चाहिए। चार्टर संशोधन LL **ज़िलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया के दौरान LAUSD के विद्यार्थियों और परिवारों को प्राथमिकता देता है** और राजनेताओं को स्कूल बोर्ड ज़िलों की सीमाओं में हेराफेरी करने से रोकता है। हाँ के मतदान का मतलब है कि योग्य और निष्पक्ष समुदाय के सदस्यों से बना ज़िलों के पुनर्विभाजन का स्वतंत्र आयोग इस प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। समुदाय के सदस्य LAUSD समुदायों की विविधता को प्रतिबिंबित करेंगे, तथा राजनेताओं द्वारा अपने स्वयं के ज़िले निर्धारित करने में निहित हितों के टकराव को समाप्त करेंगे।

“जिन क्षेत्राधिकारों ने वास्तव में स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोगों का गठन किया है, वहाँ जनता की भागीदारी का स्तर ऊंचा उठा है, ज़िलों की सीमाओं को निर्धारित करने में हेराफेरी कम हुई है और ऐसे ज़िले बने हैं जो व्यक्तिगत राजनेताओं के हितों का नहीं, बल्कि समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।” – The Los Angeles Times

ज़िलों के पुनर्विभाजन का स्वतंत्र आयोग लोगों के हितों को सबसे पहले रखता है। चार्टर संशोधन LL पर **हाँ** में मतदान करने में हमारे साथ शामिल हों!

चार्टर संशोधन LL के पक्ष में तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

CALIFORNIA COMMON CAUSE
Russia Chavis Cardenas
मतदान अधिकार और ज़िलों के पुनर्विभाजन के प्रोग्राम मैनेजर

DR. LORAINE LUNDQUIST
पूर्व सदस्य
2021 LAUSD Redistricting Commission

REVEREND EDDIE ANDERSON
LA शहर के ज़िलों के पुनर्विभाजन आयुक्त 2020

KRISTINE WILLIAMS
उपाध्यक्ष - रणनीतिक पहलें
Community Development Technologies Center

HENRY PEREZ
कार्यकारी निदेशक
InnerCity Struggle

LAURICE SOMMERS और MARY DICKSON
सह-अध्यक्ष
League of Women Voters Greater Los Angeles

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को ~~स्ट्राइकआउट~~ टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन LL

अनुभाग 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर में अनुभागों 810 से 819 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले का ज़िलों का स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग

अनुभाग 810. आयोग की स्थापना एवं उद्देश्य।

(a) यहाँ Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले का ज़िलों का एक स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोग ("आयोग") होगा, जिसकी अध्यादेश के अनुसार शहर के चार्टर में निर्धारित की गईं शक्तियाँ, कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ होंगी।

(b) इस आयोग का उद्देश्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी और ज़िलों की स्वतंत्र पुनर्विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा बोर्ड के ज़िले की सीमाओं को विकसित करके Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के संचालन को मजबूत बनाना है, जो इसकी कार्यवाहियों में जनता की भागीदारी और जनता की पहुंच को सशक्त बनाता है।

अनुभाग 811. आयोग का संगठन, शक्तियाँ और कर्तव्य।

(a) इस आयोग में 14 सदस्य और चार वैकल्पिक सदस्य शामिल होंगे।

(b) दस सालों में की जाने वाली प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद हर दस वर्ष में एक नया आयोग स्थापित किया जाएगा। इस आयोग के सदस्यों का चयन नंबर शून्य पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल तक कर लिया जाएगा।

(c) इस आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उस आयुक्त के संबंधित चयन की तारीख से शुरू हो जाएगा और अगले आयोग के पहले सदस्य का चयन किए जाने पर समाप्त हो जाएगा।

(d) इस आयोग की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:

(1) दस सालों में की जाने वाली प्रत्येक संघीय जनगणना के बाद Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के शिक्षा बोर्ड ज़िलों की सीमाओं को अपनाना;

(2) चार्टर और अध्यादेश के अनुसार निर्धारित ज़िलों के पुनर्विभाजन के मानदंडों और प्रक्रिया का अनुपालन करना;

(3) एक ऐसे निष्पक्ष तरीके से काम करना जिससे ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो;

(4) ज़िलों के पुनर्विभाजन के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करना, ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया में जनता को भागीदारी करने का आग्रह करना और उन्हें प्रोत्साहित करना, और जनता की अभिगम्य मीटिंगों और सुनवाइयों को आयोजित करना तथा जनता को पूरी प्रक्रिया में भाग लेने और टिप्पणी देने का अवसर प्रदान करना;

(5) ज़िलों के पुनर्विभाजन मामलों के संबंध में मेयर, नगर परिषद, और शहर के नैतिकता आयोग को सिफ़ारिशें प्रस्तुत करना; और

(6) अध्यादेश के अनुसार निर्धारित ज़िलों के पुनर्विभाजन संबंधी अन्य कार्य करना।

(e) यह आयोग इस आयोग में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागी प्रदान कर सकता है, जिनका चयन एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, तथा उन्हें अध्यादेश के अनुसार प्रदान की गई शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होंगे।

अनुभाग 812. आयोग की योग्यताएँ और प्रतिबंध।

(a) आयोग के प्रत्येक सदस्य की आयु कम से कम 18 वर्ष होगी, जब तक कि अध्यादेश के अनुसार कोई अन्य न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित न कर दी जाए। आयोग का प्रत्येक सदस्य चुने जाने के समय Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले का निवासी होगा, और उस व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से तुरंत पहले Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले में कम से कम तीन साल तक रहते होना ज़रूरी होगा। आयुक्त का संयुक्त राज्य अमेरिका का पंजीकृत मतदाता होना या नागरिक होना ज़रूरी नहीं है।

(b) कोई व्यक्ति आयोग में आवेदन करने या सेवा करने के योग्य नहीं होगा अगर वह व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले के चार वर्षों में किसी भी समय Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले का कर्मचारी या Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला आयोग का सदस्य रहा हो।

(c) अगर कोई व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या परिवार ने ज़िलों के स्वतंत्र पुनर्विभाजन आयोगों के लिए पात्रता आवश्यकताओं के संबंध में California चुनाव संहिता प्रावधानों में बताई गई पूर्व राजनीतिक और लॉबिंग गतिविधियों में भाग लिया है, तो वह व्यक्ति आयोग में आवेदन करने या सेवारत होने के योग्य नहीं होगा। अध्यादेश के अनुसार अतिरिक्त पात्रता आवश्यकताएँ लागू की जा सकती हैं।

(d) आयोग के आवेदकों को सहयोगात्मक कौशल, नागरिक सहभागिता में अनुभव, तथा जटिल डेटा का विश्लेषण करने की क्षमता का प्रदर्शन करना होगा।

(e) आयोग में कार्यरत रहने के दौरान, आयोग का कोई सदस्य शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य या शिक्षा बोर्ड के किसी निर्वाचित पद के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगा, उसके लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए स्वयंसेवा नहीं करेगा, या अभियान में योगदान नहीं देगा, या किसी अन्य सरकारी निकाय के लिए ज़िलों के पुनर्विभाजन आयोग में कार्यरत नहीं होगा।

(f) आयोग का कोई सदस्य या पूर्व सदस्य निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा:

(1) शिक्षा बोर्ड के निर्वाचित कार्यालय के लिए उम्मीदवार न बनना, जब तक कि आयोग में आयुक्त की पिछली बार कार्यरत होने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक समय न बीत गया हो या आयोग में आयुक्त के चयन की तारीख से दस वर्ष का समय न बीत गया हो, इनमें से जो भी कम हो।

(2) किसी भी ज़िले के लिए शिक्षा बोर्ड के निर्वाचित कार्यालय के लिए उम्मीदवार बनना, जिसके लिए चुनाव उस ज़िले की सीमाओं का इस्तेमाल करके आयोजित किया जाएगा जिसे उस आयोग द्वारा अपनाया गया था जिस पर वह सदस्य कार्यरत था।

(g) आयोग में कार्यरत होने की अंतिम तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या आयोग में चयन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए, जो भी कम हो, आयोग का कोई सदस्य या पूर्व सदस्य निम्नलिखित में से कोई भी कार्य नहीं करेगा:

(1) Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले में किसी अन्य आयोग पर नियुक्ति स्वीकार करना।

(2) शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य या शिक्षा बोर्ड के किसी निर्वाचित पद के लिए उम्मीदवार के वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में रोज़गार स्वीकार करना या सलाहकार के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करना।

(3) Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के साथ गैर-प्रतिस्पर्धी बोली अनुबंध प्राप्त करना।

(4) Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के एक पंजीकृत लॉबिस्ट (पैरवी करने वाले) की तरह काम करना।

(5) Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के किसी कार्यालय में नियुक्ति स्वीकार करना।

(h) आयोग के वैकल्पिक सदस्यों पर भी अन्य आयोग सदस्यों के समान ही पात्रता आवश्यकताएँ, आचरण के मानक और प्रतिबंध लागू होंगे।

अनुभाग 813. आयुक्त का चयन और उन्हें हटाना।

(a) भावी आयुक्तों की पहचान करने की आवेदन प्रक्रिया, जो संख्या नौ पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल तक शुरू होगी।

(b) शहर का क्लर्क आयोग की आवेदन प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा, और शहर के नैतिकता आयोग की निगरानी करेगा। शहर का क्लर्क और शहर के नैतिकता आयोग इन ज़िम्मेदारियों को अपने कर्मचारियों या सलाहकारों को सौंप सकते हैं।

(c) शहर का क्लर्क यह सुनिश्चित करने के लिए एक आउटरीच और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करेगा कि आयोग की आवेदन प्रक्रिया के बारे में प्रकाशन और जागरूकता हो, वंचित समुदायों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और अध्यादेश के अनुसार पहचानी गई विविध भाषाओं में प्रयास किए जाएंगे। शहर का क्लर्क प्रस्तुत किए गये आवेदनों के जनसांख्यिकीय डेटा की निगरानी करेगा और उन्हें सार्वजनिक करेगा तथा आवश्यकतानुसार पहुँच को बेहतर बनाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक पूल में पर्याप्त संख्या में योग्य आवेदक हैं और यह Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले की विविधता को उचित रूप से दर्शाता है।

(d) आयोग पर कार्यरत होने के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी इच्छुक व्यक्ति शहर के क्लर्क के पास एक आवेदन पेश कर सकता है। शहर का क्लर्क आवेदनों की समीक्षा करेगा और उन व्यक्तियों वाले एक आवेदक पूल की स्थापना करेगा जिसमें वे व्यक्ति शामिल होंगे जो अनुभाग 812 की उपखंडों (a) से (c) में निर्दिष्ट की गई वस्तुनिष्ठ पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(e) शहर का क्लर्क जनता की समीक्षा के लिए आवेदक पूल में शामिल किए गये व्यक्तियों के नामों को प्रकाशित करेगा और एक प्रक्रिया की स्थापना करेगा जिसके द्वारा जनता को आवेदक पूल में से किसी भी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सके। शहर का नैतिकता आयोग जनता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की समीक्षा करेगा तथा यह निर्धारित करेगा कि क्या किसी व्यक्ति को आवेदक सूची से हटाया जाएगा।

(f) जनता की समीक्षा अवधि के बाद, शहर का नैतिकता आयोग आवेदक पूल में व्यक्तियों के आवेदनों का मूल्यांकन करेगा ताकि उन व्यक्तियों की पहचान की जा सके जो अनुभाग 812 की उपखंडों (a) से (d) में निर्दिष्ट

पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जिन्हें आयोग चयन पूल में शामिल किया जाएगा। आयोग चयन पूल की स्थापना होने के बाद, शहर के नैतिकता आयोग को जनता से जानकारी प्राप्त करने और आयोग चयन पूल में व्यक्तियों की निरंतर पात्रता के संबंध में निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(g) शहर का क्लर्क शिक्षा बोर्ड के सात ज़िलों में से प्रत्येक के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति का चयन करने के लिए एक सार्वजनिक मीटिंग में यादृच्छिक ड्राइंग का आयोजन करेगा। इस चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आयोग के सात सदस्यों का चयन होगा, जिनमें शिक्षा बोर्ड के सात ज़िलों में प्रत्येक के भौगोलिक क्षेत्र में से एक सदस्य होगा।

(h) चुने गये सात आयुक्त आयोग के सात अतिरिक्त सदस्यों का चयन करने के लिए आयोग चयन पूल में शेष सभी आवेदकों के आवेदनों की समीक्षा करेंगे। ये चयन एक सार्वजनिक मीटिंग में सात प्रारंभिक आयुक्तों के दो-तिहाई वोट से किए जाएंगे, जो आवेदक के प्रासंगिक अनुभवों और पृष्ठभूमि, Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के आस-पड़ोस से परिचितता, निष्पक्ष होने की क्षमता और यह सुनिश्चित करने के आधार पर किए जाएंगे कि आयोग Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले की विविधता को प्रदर्शित करता है, जिसमें नस्लीय, जातीय, लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, आयु, आमदनी, पेशेवर और भौगोलिक विविधता शामिल है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए फार्मूले या अनुपातों को लागू नहीं किया जाएगा। ये चयन एक ऐसे तरीके से किये जाएंगे जो यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के 14 सदस्यों में से कम से कम चार सदस्य ऐसे विद्यार्थियों के माता-पिता या संरक्षक हैं जो चयन के समय Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले में स्थित किसी स्कूल में जाते हैं।

(i) 14 आयुक्तों का चयन हो जाने के बाद, आयोग वैकल्पिक आयुक्तों के तौर पर काम करने के लिए आयोग चयन पूल में शेष आवेदकों में से चार व्यक्तियों का चयन करेगा। वैकल्पिक आयुक्तों का चयन ऐसे तरीके से किया जाएगा जो वैकल्पिक आयुक्तों के बीच भौगोलिक विविधता को सुनिश्चित करता हो।

(j) आयोग किसी आयुक्त को कर्तव्य की पर्याप्त रूप से उपेक्षा करने, कार्यालय में घोर दुर्वयवहार करने, कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होने, अनुभाग 812 में वर्णित आयुक्त की पात्रता आवश्यकताओं और प्रतिबंधों का पालन न कर पाने, अनुचित रूप से अनुपस्थित रहने, या पारदर्शिता आवश्यकताओं का पालन न कर पाने के कारण हटा सकता है। इस प्रावधान के तहत हटाए जाने के लिए सदस्य को सार्वजनिक सुनवाई की सूचना देने तथा सार्वजनिक सुनवाई में लिखित रूप में प्रतिक्रिया देने का अवसर देने के बाद आयोग के दो-तिहाई मतदान की आवश्यकता होगी। हटाया गया सदस्य आयोग के फैसले पर शहर के नैतिकता आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

(k) आयोग ऐसे आयुक्त को तुरंत हटा सकता है जिस पर घोर अपराध का आरोप लगाया गया हो, या जिस पर अनुभाग 207(c) में वर्णित आधिकारिक कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया हो। इस प्रावधान के तहत हटाए जाने के लिए आयोग के दो-तिहाई मतदान की आवश्यकता होगी। हटाया गया सदस्य आयोग के फैसले पर शहर के नैतिकता आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

(l) अगर वह सदस्य किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है या कोई प्रतिवाद नहीं करता है या उसे किसी घोर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो आयोग के सदस्य का यह पद खाली हो जाएगा।

(m) अगर आयोग का कोई पद खाली हो जाता है, तो आयोग के अध्यक्ष द्वारा एक सार्वजनिक मीटिंग में यादृच्छिक ड्राइंग आयोजित करके आयुक्त के रूप में काम करने के लिए वैकल्पिक आयुक्तों में से एक का चयन किया जाएगा।

अनुभाग 814. ज़िलों के पुनर्विभाजन का मानदंड।

(a) आयोग शिक्षा बोर्ड की ज़िला सीमाओं को अपनाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, California के संविधान और संघीय मताधिकार अधिनियम 1965 के अनुरूप होंगी। प्रत्येक ज़िले की जनसंख्या यथोचित रूप से अन्य ज़िलों के बराबर होगी, सिवाय उन ज़िलों के जहाँ संघीय मताधिकार अधिनियम के अनुपालन के लिए विचलन की आवश्यकता हो या कानून द्वारा स्वीकार्य हो।

(b) उपखंड (a) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अतिरिक्त, आयोग निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा बोर्ड की ज़िला सीमाओं को अपनाएगा:

(1) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, ज़िले भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से सटे होंगे। वे क्षेत्र जो केवल आसन्न कोनों पर मिलते हैं, एक-दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं। जो क्षेत्र एक-दूसरे से पानी से अलग होते हैं और किसी पुल, सुरंग या नियमित फैरी (नौका) सेवा से जुड़े नहीं होते, वे एक-दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं।

(2) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, और जहाँ यह इस उपखंड में पूर्ववर्ती मानदंड के साथ संघर्ष नहीं करता है, किसी भी समान हित वाले स्थानीय पड़ोस या स्थानीय समुदाय की भौगोलिक अखंडता का इस तरह से सम्मान किया जाएगा जिससे उसका विभाजन कम से कम हो। "समान हित वाले समुदाय" का मतलब ऐसी आबादी है जो समान सामाजिक या आर्थिक हितों को साझा करती है, उसे प्रभावी और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। समान हित वाले समुदायों की विशेषताओं में शिक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, आवास, परिवहन और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच जैसी साझा सार्वजनिक नीति संबंधी चिंताएँ शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। समान हित वाले समुदायों की विशेषताओं में सांस्कृतिक ज़िले, साझा सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ, समान मतदाता पंजीकरण दरें और भागीदारी दरें तथा साझा इतिहास भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। समान हित वाले समुदायों में राजनीतिक दलों, पदाधिकारियों, या राजनीतिक उम्मीदवारों के साथ संबंध शामिल नहीं होते हैं।

(3) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, और जहाँ यह इस उपखंड में पूर्ववर्ती मानदंड के साथ संघर्ष नहीं करता है, ज़िले प्राकृतिक और कृत्रिम अवरोधों द्वारा, सड़कों द्वारा, या Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले की सीमाओं से घिरे होंगे। ज़िले की सीमाएँ निवासियों द्वारा आसानी से पहचानी जाने योग्य और समझ आने योग्य होनी चाहिएं।

(4) अधिकतम व्यवहार्य हद तक, और जहाँ यह इस उपखंड में पूर्ववर्ती मानदंड के साथ संघर्ष नहीं करता है, भौगोलिक सघनता को प्रोत्साहित करने के लिए ज़िलों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि निकटवर्ती आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक दूर स्थित आबादियों के पक्ष में नज़रअंदाज न किया जाए।

(c) आयोग किसी पदाधिकारी, राजनीतिक उम्मीदवार या राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात या भेदभाव करने के उद्देश्य से ज़िला सीमाओं को नहीं अपनाएगा, तथा ज़िला सीमाओं को विकसित करने में किसी पदाधिकारी या उम्मीदवार के निवास स्थान पर विचार नहीं किया जाएगा।

(d) ज़िला सीमाओं को अपनाते समय आयोग को अन्य अतिरिक्त मानदंडों पर भी विचार करना चाहिए, जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक स्थानों और संसाधनों के साथ सामुदायिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर विचार किया

जाना भी शामिल है। अतिरिक्त मानदंडों से संबंधित सभी फैसलों पर सार्वजनिक बैठकों में विचार किया जाएगा और उन्हें अनुमोदित किया जाएगा। आयोग द्वारा अतिरिक्त मानदंडों पर विचार उपखंडों (a) से (c) तक की लागू होने वाली आवश्यकताओं के अनुपालन में और उनके अधीन किया जाना चाहिए।

(e) आयोग के ज़िला सीमाओं को अपनाने के बाद, आयोग प्रत्येक शिक्षा बोर्ड ज़िले को इस प्रकार क्रमांकित करेगा कि, अधिक से अधिक निवासियों के लिए, जिस शिक्षा बोर्ड ज़िले में वे रहते हैं, उसकी संख्या समान रहे।

अनुभाग 815. सार्वजनिक बैठकें, आउटरीच, और सुगम्यता।

(a) आयोग Ralph M. Brown अधिनियम और अन्य लागू होने वाले खुली मीटिंग संबंधी कानूनों का अनुपालन करेगा।

(b) आयोग ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएगा, जिसमें कम प्रतिनिधित्व वाले समुदाय और गैर-अंग्रेजी भाषी समुदाय भी शामिल होंगे।

(c) आयोगसार्वजनिक सुनवाइयाँ और वर्कशॉप इस प्रकार आयोजित करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनता को ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भाग लेने और टिप्पणी करने का अवसर मिलता है।

(d) आयोग अंग्रेजी और स्पेनिश में तथा अध्यादेश के अनुसार आगे दिए गए प्रावधानों के अनुसार आयोग की बैठकों का सीधा प्रसारित अनुवाद उपलब्ध कराएगा। आयोग संघीय और राज्य कानून द्वारा अपेक्षित तथा अध्यादेश के अनुसार निर्धारित भाषाओं में सामग्रियाँ उपलब्ध कराएगा।

(e) आयोग सुगम्यता संबंधी एक योजना विकसित करेगा और उसे क्रियान्वित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक आयोग की बैठकों और सुनवाइयों में पूरी तरह से भाग ले सकें। आयोग इस योजना का विकास सार्वजनिक सुनवाइयों की शुरुआत से पहले करेगा।

(f) गवाही देने के प्रयोजन से, शिक्षा बोर्ड के सदस्य भी आम जनता के सदस्यों के समान ही सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाओं के विषयाधीन होंगे।

(g) एकपक्षीय संचार।

(1) आयोग का कोई भी सदस्य सार्वजनिक मीटिंग के बाहर ज़िलों के पुनर्विभाजन मामलों पर किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ संचार नहीं करेगा। यह प्रावधान किसी दूसरे आयुक्त, आयोग के कर्मचारियों, कानूनी वकील, या आयोग द्वारा नियुक्त किए गये परामर्शदाताओं के साथ संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह प्रावधान शहर और Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के कर्मचारियों के साथ संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जब तक कि वे संचार प्रशासनिक मामलों या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षिक प्रस्तुतियों से संबंधित हों।

(2) आयोग के कार्यकारी निदेशक, आयोग के किसी भी नक्शे बनाने वाले कर्मचारी या नक्शे बनाने वाले परामर्शदाता, तथा आयोग द्वारा नामित अन्य आयोग कर्मचारी, शिक्षा बोर्ड के किसी भी सदस्य या शहर के निर्वाचित अधिकारी, शिक्षा बोर्ड या शहर के कार्यालय के लिए निर्वाचित उम्मीदवार, या ऐसे किसी भी सदस्य या उम्मीदवार के कर्मचारियों के साथ, सार्वजनिक बैठक के बाहर ज़िलों के पुनर्विभाजन मामलों के बारे में सीधे या किसी एजेंट के जरिए संचार नहीं करेंगे। यह प्रावधान

शहर और Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के कर्मचारियों के साथ संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जब तक कि वे संचार प्रशासनिक मामलों या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षिक प्रस्तुतियों से संबंधित हों।

(3) शहर के नैतिकता आयोग, शहर के क्लर्क, या शहर के किसी अन्य विभाग की चयन प्रक्रिया में शामिल शहरी विभाग का कोई सदस्य या कर्मचारी, शिक्षा बोर्ड के किसी भी सदस्य या शहर के निर्वाचित अधिकारी, शिक्षा बोर्ड या शहर के कार्यालय के लिए निर्वाचित उम्मीदवार या ऐसे किसी भी अधिकारी या उम्मीदवार के कर्मचारी के साथ, सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से, चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले के बारे में सार्वजनिक बैठक के बाहर उस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले संचार नहीं करेगा। यह प्रावधान उस सीमा तक संचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जब तक कि वे संचार प्रशासनिक मामलों या जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली शैक्षिक प्रस्तुतियों से संबंधित हों।

(4) आयोग संचार के संबंध में अन्य नियम भी अपना सकता है, बशर्ते वे नियम Brown अधिनियम के अनुरूप हों, इस उपखंड के प्रावधानों के साथ टकराव में न हों, और आयोग की सार्वजनिक मीटिंग में अपनाए गए हों।

अनुभाग 816. आयोग का व्यावसायिक आचरण, प्रशासन और कार्मिक।

(a) आयोग का प्रत्येक सदस्य और वैकल्पिक सदस्य California राजनीतिक सुधार अधिनियम के अनुसार अपनाए गए आयोग के लिए हितों के टकराव संबंधी संहिता में नामित कर्मचारी होगा, और कानून द्वारा अपेक्षित आर्थिक हितों और अन्य वित्तीय प्रकटीकरण ब्यौरों का विवरण शहर के नैतिकता आयोग के समक्ष दाखिल करेगा।

(b) किसी भी आधिकारिक कार्रवाई के लिए आयोग के बहुमत के सकारात्मक मतदान की ज़रूरत होगी, सिवाय निम्नलिखित कार्यों के जिनके लिए आयोग के दो-तिहाई बहुमत के अनुमोदन की ज़रूरत होगी:

(1) ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना के लिए मतदान;

(2) किसी आयुक्त को हटाने के लिए मतदान;

(3) अनुभाग 813(h) में वर्णित सात आयुक्तों के चयन के लिए मतदान;

(4) कार्यकारी निदेशक, नक्शे बनाने वाले परामर्शदाता या नक्शे बनाने वाले कर्मचारी सदस्य, तथा आयोग द्वारा प्रमुख कर्मचारियों के रूप में नामित किसी अन्य पद को नियुक्त करने के लिए मतदान; और

(5) भर्ती करने या अनुबंध प्राधिकार के प्रत्यायोजन को अधिकृत करने के लिए मतदान, इस सीमा तक कि ऐसा प्राधिकरण राज्य और शहर के कानून के तहत प्रत्यायोजित करने योग्य हो।

(c) आयोग के वैकल्पिक सदस्य आयोग के विचार-विमर्श में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते हैं और उन्हें कोरम पूरा करने में नहीं गिना जा सकता है।

(d) आयोग, आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए एक आयुक्त का चयन करेगा। आयोग अपने सदस्यों में से अन्य अधिकारियों को मनोनीत कर सकता है।

(e) मसौदा और ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजनाओं के लिए ज़िला सीमाओं को विकसित करने के सिद्धांतों पर विचार सार्वजनिक बैठक में किया जाएगा और आयोग के मतदान द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(f) आयोग प्रस्तावित नक्शा सिद्धांतों और किसी भी प्रस्तावित अंतिम नक्शे को आयोग की सुनवाई या बैठक में विचार करने से पहले कम से कम सात दिनों के लिए आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट करेगा।

(g) आयोग एक कार्यकारी निदेशक और ज़िलों के पुनर्विभाजन, प्रौद्योगिकी और आउटरीच कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जिनके पद चार्टर की नागरिक सेवाओं के प्रावधानों से मुक्त होंगे।

(h) आयोग को चार्टर के अनुबंध प्रावधानों और अध्यादेश के अनुसार प्रदत्त अनुसार प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए परामर्शदाताओं को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

(i) शहर का क्लर्क, शहर के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने, शहर और Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला विभागों और कर्मियों के साथ समन्वय करने, तथा आवश्यकतानुसार अन्य प्रशासनिक मामलों में आयोग को सहायता प्रदान करेगा। शिक्षा बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी आयोग को भी सहायता प्रदान करेगा।

(j) आयोग शहर के अटॉर्नी को कानूनी सलाहकार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है या शहर के अटॉर्नी से आयोग के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है।

अनुभाग 817. ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाना।

(a) आयोग संख्या एक पर समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर तक अपनी ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाएगा, जिसमें शिक्षा बोर्ड की नई ज़िला सीमाएँ स्थापित की जाएंगी।

(b) अगर आयोग उपखंड (a) में दी गई समय-सीमा तक ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को नहीं अपनाता है, तो शहर का अटॉर्नी अनुभाग 814 में वर्णित ज़िलों के पुनर्विभाजन मानदंडों के अनुसार शिक्षा बोर्ड की नई ज़िला सीमाओं को निर्धारित करने के आदेश के लिए तुरंत सुपीरियर कोर्ट में याचिका दायर करेगा, और जब तक आयोग ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक वे सीमाएँ शिक्षा बोर्ड के चुनावों पर लागू होंगी।

(c) आयोग अंतिम योजना के साथ एक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस आधार पर आयोग ने अनुभाग 814 में वर्णित ज़िलों के पुनर्विभाजन मानदंडों के अनुपालन को प्राप्त करने के लिए अपने निर्णय लिए।

(d) ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना को अपनाने के बाद, आयोग योजना, अंतिम रिपोर्ट और अन्य संबंधित सामग्रियों को शहर के क्लर्क को सौंपेगा और इस सामग्री को आयोग की ज़िलों के पुनर्विभाजन की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(e) शहर का क्लर्क आयोग की ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना और रिपोर्ट को शहर की वेबसाइट पर पोस्ट करेगा। शहर का क्लर्क, शिक्षा बोर्ड की नई ज़िला सीमाओं की अंतिम योजना और विवरण को शहर के किसी अन्य अध्यादेश की तरह ही प्रकाशित करेगा।

(f) नए शिक्षा बोर्ड ज़िलों की स्थापना करने वाली ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना, चार्टर में अध्यादेशों के लिए प्रावधान के अनुसार, इसके प्रकाशन से 31 दिन बाद प्रभावी हो जाएगी।

(g) ज़िलों के पुनर्विभाजन की अंतिम योजना शहर के किसी अध्यादेश की तरह ही जनमत संग्रह के अधीन होगी।

(h) ज़िलों के पुनर्विभाजन द्वारा किसी भी ज़िले की सीमा या स्थान में कोई भी परिवर्तन शिक्षा बोर्ड के किसी भी सदस्य के कार्यकाल को खत्म करने या बर्खास्त करने के लिए संचालित नहीं होगा, उस कार्यकाल की समाप्ति से पहले जिसके लिए वह सदस्य चुना गया था।

(i) आयोग द्वारा अपनाई गई ज़िला सीमाओं में तब तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक कि दस सालों में की जाने वाली अगली संघीय जनगणना न हो जाए, सिवाय किसी कानूनी दावे के निपटारे के लिए या किसी न्यायालय के आदेश के प्रत्युत्तर में।

(j) Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले से संबंधित या उसके साथ समेकित किसी भी क्षेत्र को आयोग द्वारा निकटवर्ती ज़िले या ज़िलों में जोड़ा जाएगा। यह जुड़ाव विलय या समेकन कार्यवाहियों के पूरा होने पर प्रभावी होगा।

अनुभाग 818. आयोग का वित्तपोषण।

(a) नगर परिषद और मेयर आयोग के गठन और संचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आयोग के कर्मचारियों, सलाहकारों और कानूनी सलाहकारों को पारिश्रमिक देना, ज़िलों की पुनर्विभाजन प्रक्रिया में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आउटरीच का संचालन करना, और अगर आवश्यक हो, तो किसी भी कानूनी कार्यवाही में आयोग की कार्रवाइयों का बचाव करना शामिल है।

(b) नगर परिषद और मेयर आयोग के गठन से जुड़े सभी शहरी विभागों को धन उपलब्ध कराएंगे, आयोग को सहायता प्रदान करेंगे तथा आयोग के रिकॉर्डों का रखरखाव करेंगे।

(c) Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला आयोग के गठन और संचालन के लिए शहर के विभागों सहित शहर द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा।

(d) आयुक्तों को अध्यादेश के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

अनुभाग 819. आयोग की सिफ़ारिशें।

(a) आयोग, आयोग की सिफ़ारिशों का समर्थन करने वाले निष्कर्षों, विश्लेषण और आंकड़ों के साथ शहर के नैतिकता आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके शहर के चार्टर और प्रशासनिक संहिता में वर्णित ज़िलों की स्वतंत्र पुनर्विभाजन प्रक्रिया में परिवर्तन की सिफ़ारिश कर सकता है।

(b) शहर का नैतिकता आयोग, आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों की समीक्षा करेगा और ज़िलों के पुनर्विभाजन के संबंध में शहर के चार्टर और प्रशासनिक संहिता में संशोधन के लिए सिफ़ारिशों वाली एक रिपोर्ट नगर परिषद को भेज सकता है। जहाँ तक सिफ़ारिशों में प्रशासनिक संहिता में संशोधन करना शामिल हैं, नैतिकता आयोग शहर के अटॉर्नी की सहायता से किसी भी प्रस्तावित अध्यादेश को तैयार करेगा और प्रेषित करेगा, जो सिफ़ारिश किए गये संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा।

(c) प्रशासनिक संहिता में संशोधन। आचार आयोग की रिपोर्ट और ज़िलों के पुनर्विभाजन के संबंध में प्रशासनिक संहिता में संशोधनों की सिफ़ारिश करने वाले प्रस्तावित अध्यादेश के प्रस्तुत होने के 60 दिनों के भीतर,

नगर परिषद उस मामले के संबंध में एक सार्वजनिक सुनवाई करेगी और प्रस्तावित अध्यादेश को बिना किसी परिवर्तन के अनुमोदित करने या अस्वीकृत करने के लिए कार्य करेगी। अगर परिषद 60 दिन की अवधि के भीतर अस्वीकृति नहीं देती है, तो प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदन या वीटो के लिए मेयर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और मेयर के वीटो को रद्द करने के लिए परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर मेयर द्वारा अनुमोदित किया जाता है, या मेयर कार्रवाई करने में असफल रहता है, या मेयर के वीटो को दरकिनार करते हुए परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदित माना जाएगा।

(d) चार्टर में संशोधन। ज़िलों के पुनर्विभाजन के संबंध में शहर के चार्टर में संशोधन की सिफारिश करने वाली नैतिकता आयोग की रिपोर्ट पर नगर परिषद द्वारा समय पर विचार किया जाएगा, ताकि अगले उपलब्ध चुनाव में मतदाताओं के समक्ष चार्टर संशोधन प्रस्तुत किया जा सके। शहर के चार्टर में कोई संशोधन किए जाने के लिए शहर के मतदाताओं का अनुमोदन आवश्यक होता है।

अनुभाग 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 802 को निम्नानुसार निरस्त किया जाता है:

~~अनुभाग 802. शिक्षा बोर्ड के ज़िलों का पुनर्विभाजन।~~

~~(a)~~ **~~अध्यादेश के अनुसार ज़िलों का पुनर्विभाजन।~~** ~~प्रत्येक दस वर्ष पर, परिषद अध्यादेश के अनुसार Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले को सात ज़िलों में पुनर्वितरित करेगी, जिन्हें अध्यादेश में एक से सात सहित तक की संख्या में निर्दिष्ट किया जाएगा। उन ज़िलों का इस्तेमाल शिक्षा बोर्ड के सदस्यों के सभी चुनावों के लिए किया जाएगा, जिसमें उन्हें पद से हटाया जाना भी शामिल है, तथा अध्यादेश के प्रभावी होने की तारीख के बाद और नए ज़िलों की स्थापना होने तक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के पद में किसी भी खाली स्थान को भरने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा।~~

~~(b)~~ **~~ज़िलों का पुनर्विभाजन आयोग।~~** ~~बोर्ड ज़िला रेखाएँ खींचने के बारे में परिषद को सलाह देने के लिए ज़िलों का एक पुनर्विभाजन आयोग होगा। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: शिक्षा बोर्ड के प्रत्येक सदस्य द्वारा एक, परिषद के अध्यक्ष द्वारा चार, तथा मेयर द्वारा चार। अनुभाग 501(d) के प्रावधान के बावजूद, परिषद अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में से एक का, और मेयर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में से एक का Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले में लेकिन शहर की सीमाओं के बाहर रहना ज़रूरी है। स्कूल ज़िले का कोई अधिकारी या कर्मचारी आयोग पर कार्यरत होने का पात्र नहीं होगा। ज़िलों का पुनर्विभाजन आयोग बजटीय अनुमोदन के अनुरूप एक निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जिन पदों को चार्टर के नागरिक सेवा प्रावधानों से छूट प्राप्त होगी।~~

~~(c)~~ **~~पुनर्विभाजन प्रक्रिया।~~** ~~ज़िलों के पुनर्विभाजन आयोग की नियुक्ति जनगणना ब्यूरो द्वारा दशकीय जनगणना डेटा जारी करने की तारीख से पहले की जाएगी। प्रत्येक आगामी ज़िलों के पुनर्विभाजन से पहले परिषद को सलाह देने के लिए एक नया आयोग नियुक्त किया जाएगा। आयोग नियुक्ति के बाद किसी भी समय ज़िलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया शुरू करेगा, लेकिन 1 जून 2021 तक, और उस तारीख के बाद प्रत्येक दसवीं वर्षगांठ तक। आयोग ज़िलों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया के दौरान जनता से सुझाव मांगेगा। आयोग अध्यादेश के अनुसार निर्धारित की गई तारीख तक परिषद के समक्ष ज़िलों के पुनर्विभाजन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।~~

~~परिषद को 31 दिसम्बर, 2021, और उस तारीख के बाद प्रत्येक दसवीं वर्षगांठ तक ज़िलों के पुनर्विभाजन अध्यादेश को अपनाना होगा। इस अनुभाग में दिया गया कुछ भी परिषद को अधिक आवृत्ति के साथ ज़िलों का पुनर्विभाजन करने से नहीं रोकेगा, बशर्ते कि गठित प्रत्येक ज़िले में, यथासंभव, Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले की कुल जनसंख्या का लगभग एक समान हिस्सा हो, जैसा कि ज़िलों के गठन से तुरंत पहले संघीय जनगणना द्वारा दर्शाया गया हो या परिषद द्वारा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय मानी गई अन्य जनसंख्या रिपोर्टों या अनुमानों पर आधारित हो।~~

~~(d) **ज़िलों के पुनर्विभाजन के लिए मानदंड।** सभी ज़िलों को राज्य और संघीय कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा और, जहाँ तक संभव हो, आस-पड़ोस और समुदायों को बरकरार रखा जाएगा, प्राकृतिक सीमाओं या सड़क रेखाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, और भौगोलिक रूप से सघन बनाया जाएगा, और हाई स्कूल की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के अनुरूप बनाया जाएगा।~~

~~(e) **ज़िलों के पुनर्विभाजन का पदाधिकारियों पर प्रभाव।** ज़िलों के पुनर्विभाजन द्वारा किसी भी ज़िले की सीमा या स्थान में कोई भी परिवर्तन शिक्षा बोर्ड के किसी भी सदस्य के कार्यकाल को खत्म करने या बर्खास्त करने के लिए संचालित नहीं होगा, उस कार्यकाल की समाप्ति से पहले जिसके लिए वह सदस्य चुना गया था।~~

~~(f) **विलय या समेकन।** ज़िलाकरण अध्यादेश को अपनाने के बाद Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले में जोड़े गए क्षेत्र को परिषद द्वारा अध्यादेश के अनुसार किसी समीपवर्ती और सन्निहित ज़िले या ज़िलों में जोड़ा जाएगा।~~

~~(g) **कार्यकाल।** अनुभाग 806 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, शिक्षा बोर्ड के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। विषम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 1979 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा और सम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 1981 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा, सिवाय अनुभाग 806 में दिए गए प्रावधान के अलावा और वर्ष 2020 तक। वर्ष 2020 से शुरू करते हुए, विषम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2020 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा और सम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित परिषद के सदस्यों के कार्यकाल वर्ष 2022 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा। शिक्षा बोर्ड के सदस्य के तौर पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में तीन से अधिक कार्यकालों पर सेवारत नहीं हो सकता है। कार्यकाल की संख्या पर यह सीमा किसी समाप्त न हुई कार्यकाल अवधि पर लागू नहीं होगी जिसके लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ हो या नियुक्त किया गया हो, यदि कार्यकाल का शेष भाग उस पदावधि के पूर्ण कार्यकाल के आधे से कम हो। कार्यकाल की संख्या पर यह सीमा सिर्फ़ उन कार्यकालों पर लागू होगी जो 1 मार्च, 2007 को या उसके बाद शुरू होते हैं।~~

अनुभाग 3. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 806 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 806. शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल।

(a) उपखंड (b) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, शिक्षा बोर्ड के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे।

(b)~~(a)~~ चार्टर में दिए किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, 2020 से शुरू होने वाली चुनाव की नई तारीखों पर पारगमन करने के लिए, 2015 में चुने गए शिक्षा बोर्ड के सदस्यों को दिसंबर 2020 में समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए चुना जाएगा और वर्ष 2017 में चुने गए सदस्यों को दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाले एक कार्यकाल के लिए चुना जाएगा।

(c)~~(b) शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य का कार्यकाल उसके चुनाव के बाद अगली जुलाई की पहली तारीख से शुरू होकर वर्ष 2020 तक होगा। वर्ष 2020 से शुरू करते हुए,~~ विषम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2020 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा। सम संख्या वाले ज़िलों से निर्वाचित शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2022 की प्रत्येक चौथी वर्षगांठ के दौरान शुरू होगा। शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य का कार्यकाल उसके चुनाव के बाद अगली दिसम्बर के दूसरे सोमवार को शुरू होगा।

(d)~~(c)~~ शिक्षा बोर्ड के एक सदस्य के तौर पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में तीन से अधिक कार्यकालों के लिए सेवारत नहीं होगा। कार्यकाल की संख्या पर यह सीमा किसी समाप्त न हुई कार्यकाल अवधि पर लागू नहीं होगी जिसके लिए कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ हो या नियुक्त किया गया हो, यदि कार्यकाल का शेष भाग उस पदावधि के पूर्ण कार्यकाल के आधे से कम हो। कार्यकाल की संख्या पर यह सीमा सिर्फ़ उन कार्यकालों पर लागू होगी जो 1 मार्च, 2007 को या उसके बाद शुरू होते हैं। इस उपखंड ~~के उद्देश्यों से अनुभाग 802(g) में शामिल कार्यकाल~~, इस अनुभाग के उपखंड (b)~~(a)~~ में वर्णित अनुसार 2015 और 2017 में निर्वाचित शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल एक कार्यकाल के रूप में गिना जाएगा।

अनुभाग 4. अगर इस चार्टर संशोधन के किसी अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग को किसी न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, इस अनुच्छेद की शेष धाराएँ, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस लेख के प्रावधान अलग किए जाने योग्य रहेंगे। इसके अलावा, मतदाता घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस चार्टर संशोधन के असंवैधानिक या अमान्य माने गये सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों के अलावा बाकी सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों को पारित किया होता।

HH शहर का संचालन, नियुक्तियाँ, और चुनाव। चार्टर संशोधन HH.

क्या शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा, ताकि: आयोग में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की पुष्टि किए जाने से पहले उन्हें वित्तीय खुलासे दर्ज करने की आवश्यकता होगी; शहरी ठेकेदारों के संबंध में नियंत्रक के लेखा-परीक्षण प्राधिकरण को स्पष्ट किया जाए; शहरी वकील की सम्मन शक्ति का विस्तार किया जाए; कुछ सामान्य प्रबंधकीय पदों पर अस्थायी नियुक्तियों को अधिकृत किया जाए; पहल याचिका द्वारा प्रस्तावित कानूनों के प्रभावों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया स्थापित की जाए; और शहरी प्रशासन, नियुक्तियों, और चुनावों के संबंध में अन्य परिवर्तन और स्पष्टीकरण किए जाएँ?

निष्पक्ष सारांश
SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

Los Angeles शहर की सरकार का मूल कानून शहरी चार्टर में लिखा हुआ होता है। शहरी चार्टर शहर की सरकार की संरचना, ज़िम्मेदारियों, कार्यों, प्रक्रियाओं और शक्तियों को स्थापित करता है। शहर प्रशासन, नियुक्तियों और चुनावों के संबंध में शहरी चार्टर में विभिन्न बदलावों और स्पष्टीकरण का प्रस्ताव किया जा रहा है। शहरी चार्टर में संशोधन केवल शहर के मतदाताओं के बहुमत से ही किया जा सकता है।

यह विधेयक शहर के प्रशासन, नियुक्तियों और चुनावों के संबंध में विभिन्न बदलाव और स्पष्टीकरण करने के लिए शहरी चार्टर को संशोधित करेगा, जिसमें निम्न करना शामिल होगा:

- नगर परिषद के किसी सदस्य को संयुक्त शक्ति प्राधिकरण के बोर्ड में सेवा करने की अनुमति देना, अगर उन्हें उस सेवा के लिए पारिश्रमिक नहीं मिलता है;
- प्रस्तावित कार्रवाई की अस्वीकृति के संबंध में नगर परिषद के मतदान नियमों को स्पष्ट करना;
- शहर के नियंत्रक के लेखा-परीक्षण प्राधिकरण को स्पष्ट करना ताकि शहर की निधियों को प्राप्त करने वाले या प्रबंधित करने वाले ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के रिकॉर्डों और कर्मियों तक पहुंच बनाई जा सके;
- शहर के अटॉर्नी की सम्मन शक्ति का विस्तार करके इसमें गवाहों को सम्मन जारी करने, शपथ दिलाने और प्रतिज्ञान कराने तथा राज्य या स्थानीय कानून के उल्लंघन की जांच-पड़ताल के दौरान रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता को शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें शहर के कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों की जांच-पड़ताल करने की शक्ति शामिल नहीं की जाएगी;
- शहर के चुनाव की तारीखों के संबंध में अप्रचलित भाषा को हटाना;
- पहल याचिकाओं के लिए हस्ताक्षर इकट्ठे करने की समय-सीमा और अंतिम तिथियों को स्पष्ट करना;
- नगर परिषद द्वारा अध्यादेश को अपनाने या निरस्त करने, या उसे मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लेने से पहले, किसी पहल या जनमत संग्रह याचिका द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश के प्रभावों पर रिपोर्ट करने के लिए शहर के कार्यालयों और विभागों के लिए एक प्रक्रिया और समय-सीमा प्रदान करना;
- किसी प्रस्तावक को जनमत संग्रह याचिका वापस लेने की अनुमति देना;
- यह अनिवार्य करना कि शहर के बोर्ड या आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति नैतिक आयोग के समक्ष वित्तीय प्रकटीकरण विवरण दाखिल करे तथा नगर परिषद द्वारा नियुक्त व्यक्ति की पुष्टि किए जाने से पहले प्रकटीकरण को नगर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करे;

- यह अनिवार्य है कि बंदरगाह आयुक्तों के बोर्ड के दो सदस्य बंदरगाह क्षेत्र में निवास करें, एक San Pedro समुदाय से और एक Wilmington समुदाय से;
- खाली पद होने की स्थिति में सार्वजनिक उत्तरदायित्व कार्यालय के अस्थायी कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए एक तरीका स्थापित करना; और
- खाली पद होने की स्थिति में पेंशन या रिटायरमेंट प्रणाली के अस्थायी महाप्रबंधक की नियुक्ति के लिए एक तरीका स्थापित करना।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण
MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

इस विधेयक से शहर के प्रशासन से संबंधित शहरी चार्टर की कई धाराओं में संशोधन होगा, जिसमें आयोगों और शहर के अन्य पदों पर की जाने वाली नियुक्तियाँ भी शामिल हैं। यह विधेयक पहल याचिकाओं के जरिए प्रस्तावित कानूनों के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया भी स्थापित करेगा, शहर के ठेकेदारों के संबंध में नियंत्रक के लेखा-परीक्षण प्राधिकरण को स्पष्ट करेगा, और शहर के अटॉर्नी की सम्मन शक्ति का विस्तार करेगा। इस विधेयक में बदलावों को लागू करने के लिए धन के विनियोजन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, भूमिकाओं का स्पष्टीकरण, प्रक्रियाओं की स्थापना, तथा शहर के अटॉर्नी की सम्मन शक्तियों का विस्तार, शहर के विभिन्न विभागों के कार्यभार को बढ़ा सकता है, जिसे मौजूदा संसाधनों के अंतर्गत समायोजित किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। इस समय, प्रभावित विभागों में से किसी के लिए लागत निर्धारित करने के लिए जानकारी अपर्याप्त है।

चार्टर संशोधन HH के पक्ष में तर्क

चार्टर संशोधन HH शहरी चार्टर में पुरानी भाषा से छुटकारा दिलाता है, नैतिक खामियों को दूर करता है, और शहर के प्रशासन में कुछ बहुत ज़रूरी सुधारों का प्रावधान करता है।

- चार्टर संशोधन HH शहर के अटॉर्नी को कानून के संभावित उल्लंघन या अन्य गलत कार्यों की जांच करते समय गवाहों को सम्मन जारी करने और सबूतों का खुलासा करने के लिए बाध्य करने का अधिकार देता है। चार्टर की वर्तमान भाषा, Los Angeles के लोगों की ओर से न्याय प्राप्त करने के लिए शहर के अटॉर्नी को आवश्यक साधन प्रदान नहीं करती है।

- चार्टर संशोधन HH, शहर नियंत्रक को उन सभी ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के वित्तीय रिकॉर्ड और कर्मचारियों तक पहुंच का अधिकार देता है जो शहर की निधियों को खर्च करते हैं या प्राप्त करते हैं। शहर के अनुबंध पारदर्शी होने चाहिए, तथा शहर की निधियाँ प्राप्त करने वालों को इस बात के लिए जवाबदेह होना चाहिए कि वे उस निधि को किस प्रकार खर्च करते हैं।

- चार्टर संशोधन HH परिषद को शहर के आयोग में किसी भी नियुक्ति को अनुमोदित करने से रोकता है जब तक कि नामित व्यक्ति के वित्तीय प्रकटीकरण विवरण को नैतिकता आयोग, परिषद और जनता के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है। शहरी आयोग में किसी भी नियुक्ति को मंजूरी देने से पहले हितों के टकराव को सामने लाया जाना चाहिए।

- चार्टर संशोधन HH परिषद को मतदाता पहलों के संभावित वित्तीय या अन्य प्रभावों की समीक्षा करने के लिए 30 दिन का समय देता है, इससे पहले कि वह उन्हें विधान बनाएँ या मतदाताओं के निर्णय के लिए उन्हें मतपत्र पर रखे। मतदाताओं को पहले से पता होना चाहिए कि प्रस्तावित पहल का क्या प्रभाव होगा तथा इसकी लागत कितनी होगी।

- चार्टर संशोधन HH Los Angeles बंदरगाह के परिचालनों से सबसे अधिक प्रभावित समुदायों के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए बंदरगाह आयुक्तों के बोर्ड के गठन को संशोधित करेगा। हमारा बंदरगाह पूरे प्रांत के लिए एक आर्थिक चालक का काम करता है, जिसका विशेष प्रभाव आसपास के समुदायों पर पड़ता है। बोर्ड में स्थानीय प्रतिनिधित्व को आवश्यक बनाने द्वारा, यह विधेयक बंदरगाह क्षेत्र के निवासियों, व्यवसायों और श्रमिकों की चिंताओं और अनुभवों को सामने लाकर समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देगा।

चार्टर संशोधन HH पर हाँ में मतदान करें!

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

PAUL KREKORIAN
परिषद सदस्य, ज़िला 2
सिटी ऑफ़ Los Angeles

TIM MCOSKER
परिषद सदस्य, ज़िला 15
सिटी ऑफ़ Los Angeles

इस उपाय के खिलाफ कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था।

चार्टर संशोधन HH के पक्ष में तर्क का खंडन

चार्टर संशोधन HH हमारे शहर के चार्टर में अपडेट करता है और हमारे शहर के शासन में कई आवश्यक सुधार करता है।

चार्टर संशोधन HH शहर के अटॉर्नी को नागरिक मामलों में गवाहों को सम्मन जारी करने और सबूतों का खुलासा करने का अधिकार देता है।

चार्टर संशोधन HH शहर द्वारा भुगतान की जा रही फर्मों के सार्थक लेखा-परीक्षणों का प्रावधान करता है तथा शहरी नियंत्रक को उनके रिकॉर्डों तक पहुंच प्रदान करता है।

चार्टर संशोधन HH सुनिश्चित करता है कि नगर परिषद, शहरी आयोगों में नियुक्त किए गए लोगों की पुष्टि किए जाने से पहले उनके वित्तीय रिकॉर्डों की समीक्षा कर सके, और मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले मतपत्र पहलों की लागत की समीक्षा करने का समय देता है।

चार्टर संशोधन HH बंदरगाह आयुक्तों के बोर्ड (जो Los Angeles बंदरगाह का संचालन करता है) के लिए बंदरगाह के संचालनों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले बंदरगाह समुदायों में रहने वाले आम लोगों को इसमें शामिल करना आवश्यक बनाता है।

ज़िम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी शासन के लिए मतदान करें।

चार्टर संशोधन HH पर हाँ में मतदान करें!

चार्टर संशोधन HH के पक्ष में तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

PAUL KREKORIAN
परिषद सदस्य, ज़िला 2
City of Los Angeles

TIM MCOSKER
परिषद सदस्य, ज़िला 15
City of Los Angeles

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को ~~स्ट्राइकआउट~~ टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन HH

अनुभाग 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 212 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

परिषद का कोई भी सदस्य, अपने निर्वाचित कार्यकाल के दौरान, किसी अन्य कार्यालय में कार्य नहीं करेगा, अगर वह पद परिषद द्वारा नियुक्त किया गया हो या परिषद द्वारा पुष्टि के अधीन हो। यह अनुभाग परिषद के किसी सदस्य को संयुक्त शक्ति प्राधिकरण के बोर्ड में सेवा करने से रोकने पर लागू नहीं होगा, अगर उस सदस्य को काम करने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।

अनुभाग 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 244 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

परिषद के दो-तिहाई सदस्य काम का संचालन करने के लिए कार्यवाह संख्या (कोरम) का गठन करेंगे। चार्टर में दिया कुछ भी कम संख्या को उपस्थित सदस्यों के बहुमत से काम का संचालन करने से नहीं रोकेगा, जो अनुच्छेद IV में दिए गए तरीके से परिषद की सदस्यता में खाली पदों को भरने के लिए आवश्यक है, जहाँ खाली पदों को भरने के अलावा कोई कोरम इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। चार्टर में अन्यथा दिए गए किसी प्रावधान के अलावा, परिषद द्वारा की जाने वाली कार्रवाई परिषद के संपूर्ण सदस्यों के बहुमत से की जाएगी; हालांकि, बशर्ते कि अगर परिषद के संपूर्ण सदस्यों का बहुमत किसी प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध मतदान करता है जिसके लिए अनुमोदन या नामंज़ूरी की ज़रूरत होती है, तो वह मतदान परिषद की अस्वीकृति का गठन करेगा और अस्वीकृति के लिए अलग से मतदान करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब कभी भी चार्टर में कोई कार्रवाई करने के लिए परिषद के एक विशिष्ट अनुपात की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब परिषद की सम्पूर्ण सदस्यता के उस अनुपात से होगा।

अनुभाग 3. नियंत्रक की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 261 में एक नया उपखंड (e) इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

(e) आम तौर पर स्वीकृत सरकारी लेखा-परीक्षण मानकों के अनुपालन में, शहर के सभी विभागों और कार्यालयों का लेखा-परीक्षण करना, जिसमें स्वामित्व वाले विभाग भी शामिल हैं, जहाँ शहर के कोई भी कोष प्राप्त या खर्च किए जाते हैं; इस कार्य को करने के लिए शहर के उन सभी ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों सहित, ~~विभाग के~~ सभी रिकॉर्डों और कर्मियों तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार होना, जो या तो शहर के कोष को खर्च कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं; यह सुनिश्चित करने के लिए एक लेखा-परीक्षण चक्र स्थापित करना कि प्रत्येक विभाग के प्रदर्शन, कार्यक्रमों और गतिविधियों का नियमित आधार पर लेखा-परीक्षण किया जाता है, और मेयर, परिषद और शहर के अटॉर्नी को तुरंत पूरी लेखा-परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना और उन रिपोर्टों को जनता के लिए उपलब्ध कराना;

अनुभाग 4. शहर के अटॉर्नी की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 271 में एक नया उपखंड (f) इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

(f) चार्टर के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, राज्य या स्थानीय कानून के किसी उल्लंघन की जांच के दौरान, जिसे लागू करने का अधिकार शहर के अटॉर्नी को है, शहर के अटॉर्नी के पास गवाहों को सम्मन जारी करने, उन्हें उपस्थित होने और गवाही के लिए बाध्य करने, शपथ दिलाने और पुष्टिकरण कराने, सबूत लेने, किसी भी पुस्तक,

कागजात, रिकॉर्ड या अन्य वस्तुओं को प्रस्तुत करने को आवश्यक बनाने, और जांच से संबंधित लिखित पूछताछ के जवाब की आवश्यकता रखने की शक्ति होगी, सिवाय इसके कि इस उपखंड द्वारा दी गई शक्तियों में शहर के कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों की जांच-पड़ताल करने या शहर के कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों से दस्तावेज़ या गवाही प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्ति शामिल नहीं होगी। पुलिस प्रमुख, या अध्यादेश के अनुसार नामित कोई अन्य अधिकारी, ऐसे सभी सम्मनों या अन्य लिखित आदेशों की तामील करवाएगा। परिषद अध्यादेश के अनुसार सम्मन की अवज्ञा करने, तथा गवाहों द्वारा गवाही देने, सबूत प्रस्तुत करने, या लिखित पूछताछ का जवाब देने से इंकार करने पर उपयुक्त दंड निर्धारित करेगी।

अनुभाग 5. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 401 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) साल 2020 तक, शहरी कार्यालयों और शिक्षा बोर्ड के चुनावों के लिए, प्राथमिक नामांकन चुनाव प्रत्येक विषम संख्या वाले वर्ष में मार्च के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को होंगे, और आम नगरपालिका चुनाव प्रत्येक विषम संख्या वाले वर्ष में मई माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे, सिवाय इसके कि उपखंड (b) में दिए गए अनुसार चुनाव की नई तारीखों पर बदलाव करने के लिए वर्ष 2019 में ऐसा कोई चुनाव आयोजित नहीं किए जाएंगे।

(b) साल 2020 से शुरू करते हुए, शहरी कार्यालयों और शिक्षा बोर्ड के चुनावों के लिए, प्राथमिक नामांकन चुनाव प्रत्येक सम संख्या वाले वर्ष में मार्च के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को होंगे, और आम नगरपालिका चुनाव प्रत्येक सम संख्या वाले वर्ष में नवम्बर महीने के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे। परिषद, अध्यादेश के अनुसार, प्राथमिक नामांकन और आम नगरपालिका चुनावों के लिए अलग-अलग तारीखों को निर्दिष्ट कर सकती हैं ताकि वे उन्हीं तारीखों पर आयोजित किए जा सकें जिन तारीखों पर राज्यव्यापी प्राथमिक और आम चुनाव होते हैं।

अनुभाग 6. पहल याचिकाओं के संबंध में, सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 451 के उपखंड (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(b) किसी याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले सभी नाम, याचिका दायर करने की तारीख से 120 दिन से अधिक पहले प्राप्त न किए गये होने ज़रूरी हैं। इस समयावधि के बाहर लिए गए किसी भी हस्ताक्षर को याचिका की पर्याप्तता को निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा। परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के योग्य होने के लिए, पहल याचिका पर शहर के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो कि पिछले आम नगरपालिका चुनाव या प्राथमिक नामांकन चुनाव में मेयर के पद के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए डाले गए कुल मतदानों के 15% के बराबर हो, जिस पर शहर के क्लर्क द्वारा याचिका के प्रसार को अनुमोदित करने की तारीख याचिका दायर करने की तारीख से पहले मेयर का चुनाव हो चुका हो। शहर के क्लर्क के पास दाखिल करने के लिए स्वीकार किए जाने हेतु, याचिका पर अपेक्षित संख्या में हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं।

अनुभाग 7. पहल याचिकाओं के संबंध में, सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 452 के उपखंड (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(b) जब प्रस्तावित अध्यादेश को परिषद द्वारा अपनाने का अनुरोध करने वाली पहल याचिका शहर के क्लर्क द्वारा परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो परिषद को प्रस्तुति के बाद 20 दिनों के अंदर-अंदर निम्नलिखित में से कोई एक कार्रवाई करनी होगी, जब तक कि प्रस्तावकों द्वारा याचिका अन्यथा वापस नहीं ले ली जाती:

(1) प्रस्तावित अध्यादेश को बिना किसी संशोधन के अपनाना;

(2) प्रस्तावित अध्यादेश को बिना किसी संशोधन के शहर के निर्वाचकों के समक्ष मतदान के लिए

~~प्रस्तुत करने की याचिका के बारे में परिषद की कार्रवाई करने के बाद, 110 दिनों से पहले नहीं तथा 140 दिनों के बाद नहीं (110 से 140 दिनों के अंदर-अंदर), विशेष चुनाव आयोजित किए जाने का आह्वान करना; या~~

(2)~~(3)~~ प्रस्तावित अध्यादेश को बिना किसी संशोधन के या तो एक विशेष चुनाव, अगले नियमित शहरी चुनाव, या अगले राज्यव्यापी चुनाव में शहर के निर्वाचकों के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय लेना, जो याचिका के बारे में परिषद की कार्रवाई करने की तारीख से 110 दिनों के बाद आयोजित किया जाएगा, ~~या Los Angeles काउंटी द्वारा आयोजित अगले राज्यव्यापी चुनाव में, जो याचिका के बारे में परिषद की कार्रवाई की तारीख से 110 दिनों के बाद आयोजित किया जाएगा~~; या

(3) प्रस्तावित अध्यादेश को शहर पर इसके वित्तीय और अन्य प्रभावों पर रिपोर्ट करने के लिए किसी विभाग या कार्यालय को संदर्भित कर सकता है, बशर्ते कि परिषद को प्रस्तावित अध्यादेश को रिपोर्ट करने के लिए संदर्भित करने के बाद 30 दिनों के अंदर-अंदर इस उपखंड के उप-प्रभाग (1) या (2) में बताए गये कामों में से एक को करना होगा।

अनुभाग 8. जनमत संग्रह याचिकाओं के संबंध में, सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 462 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) किसी जनमत संग्रह याचिका के समर्थक शहर की चुनाव संहिता में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार याचिका को वापस ले सकते हैं।

(b) जब कोई जनमत संग्रह याचिका शहर के क्लर्क द्वारा नगर परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो परिषद को प्रस्तुति के 20 दिनों के अंदर-अंदर निम्नलिखित में से कोई एक कार्रवाई करनी होगी, जब तक कि प्रस्तावकों द्वारा याचिका अन्यथा वापस नहीं ले ली जाती:

(1)~~(a)~~ अध्यादेश को निरस्त करना;

~~(b) अध्यादेश को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत करने के लिए याचिका के बारे में परिषद की कार्रवाई करने के बाद, 110 दिनों से पहले नहीं तथा 140 दिनों के बाद नहीं, विशेष चुनाव आयोजित किए जाने का आह्वान करना; या~~

(2) ~~(c)~~ अध्यादेश को या तो एक विशेष चुनाव, अगले नियमित शहरी चुनाव, या अगले राज्यव्यापी चुनाव में शहर के योग्य निर्वाचकों के समक्ष अनुमोदन या नामंजूर किए जाने के लिए अध्यादेश को प्रस्तुत करने का निर्णय लेना, जो याचिका के बारे में प्रमाणीकरण की तारीख से 110 दिनों से अधिक के बाद आयोजित किया जाएगा, ~~या Los Angeles काउंटी द्वारा आयोजित अगले राज्यव्यापी चुनाव में, जो याचिका के बारे में प्रमाणीकरण की तारीख से 110 दिनों से अधिक के बाद आयोजित किया जाएगा~~; या

(3) अध्यादेश को शहर पर इसके वित्तीय और अन्य प्रभावों पर रिपोर्ट करने के लिए किसी विभाग या कार्यालय को संदर्भित कर सकता है, बशर्ते कि परिषद को प्रस्तावित अध्यादेश को रिपोर्ट करने के लिए संदर्भित करने के बाद 30 दिनों के अंदर-अंदर इस उपखंड के उप-डिवीजन (1) या (2) में बताए गये कामों में से एक को करना होगा।

अनुभाग 9. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 502 में एक नया उपखंड (e) इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है, जो आयुक्तों को नियुक्त किए जाने के संबंध में है:

(e) **वित्तीय प्रकटीकरण**। परिषद किसी नियुक्त किए गये व्यक्ति को तब तक अनुमोदित नहीं करेगी जब तक कि नियुक्त किए गये व्यक्ति के वित्तीय प्रकटीकरण विवरण नैतिकता आयोग के पास दाखिल न कर दिए गए

हों और परिषद के समक्ष प्रस्तुत न कर दिए गए हों। उपखंडों (a) और (b) के बावजूद, किसी नियुक्त किए गये व्यक्ति को अस्वीकृत माना जाएगा अगर नियुक्त किए गये व्यक्ति के वित्तीय प्रकटीकरण विवरण नैतिकता आयोग के पास दाखिल नहीं किए गए हैं और परिषद के समक्ष नियुक्ति के प्रस्तुत होने के 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अनुभाग 10. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 650 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

बंदरगाह आयुक्तों के बोर्ड में पांच सदस्य होंगे, जिन्हें अनुभाग 502 के अनुसार नियुक्त किया और हटाया जाएगा। बोर्ड में कम से कम एक सदस्य ऐसा शामिल होगा जो San Pedro क्षेत्र में रहता हो, और एक सदस्य ऐसा होगा जो Wilmington क्षेत्र में रहता हो, जो Harbor ज़िले के आस-पास का क्षेत्र है, क्योंकि वे क्षेत्र अध्यादेश के अनुसार परिभाषित हैं।

अनुभाग 11. सार्वजनिक जवाबदेही कार्यालय के कार्यकारी निदेशक के संबंध में सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 683 के उपखंड (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(b) OPA (सार्वजनिक जवाबदेही कार्यालय) का नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक करेंगे, जिन्हें नागरिक सेवा से छूट प्राप्त होगी। कार्यकारी निदेशक को एक नागरिक समिति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, तथा नियुक्ति के लिए परिषद और मेयर द्वारा पुष्टि की जाएगी। परिषद अध्यादेश के अनुसार कार्यकारी निदेशक को हटाने के लिए शहर के चार्टर के अनुभाग 575(e) में निर्धारित प्रक्रिया के समान, और केवल अध्यादेश के अनुसार प्रदान किए गए कारणों के लिए प्रावधान करेगी। परिषद अध्यादेश के अनुसार नागरिक समिति की संरचना और चयन का तरीका निर्धारित करेगी।

नागरिक समिति कार्यकारी निदेशक के पद पर किसी भी खाली पद को नियुक्ति के जरिए से भरेगी, जो परिषद और मेयर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। मेयर खाली स्थान के भरे जाने तक काम करने के लिए एक अस्थायी कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति कर सकते हैं, जो परिषद द्वारा पुष्टि के अधीन होगा, हालांकि यह शर्त है कि कोई भी अस्थायी कार्यकारी निदेशक नागरिक समिति के अनुमोदन के बिना छह महीने से अधिक समय तक कार्य नहीं करेगा।

अनुभाग 12. पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रणालियों के महाप्रबंधकों के संबंध में, सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1108 में एक नए उपखंड (d) को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

(d) **अस्थायी नियुक्तियाँ**। यदि महाप्रबंधक के पद पर कोई खाली स्थान पैदा होता है, तो उस खाली स्थान के भरे जाने तक, बोर्ड छह महीने के लिए एक अस्थायी महाप्रबंधक की नियुक्ति कर सकता है, जिसकी अवधि मेयर और परिषद की सहमति से अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है।

अनुभाग 13. अगर इस चार्टर संशोधन के किसी अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग को किसी न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, इस अनुच्छेद के शेष अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस लेख के प्रावधान अलग किए जाने योग्य रहेंगे। इसके अलावा, मतदाता घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस चार्टर संशोधन के असंवैधानिक या अमान्य माने गये सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों के अलावा बाकी सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों को पारित किया होता।

II शहरी प्रशासन और परिचालन। चार्टर संशोधन II.

क्या शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा, ताकि: यह स्पष्ट हो कि El Pueblo स्मारक और चिड़ियाघर पार्क की संपत्ति हैं; यह स्पष्ट हो कि विभाग शहर के परिचालनों में सहायता करने के लिए सामान बेच सकते हैं; शहर द्वारा रोज़गार पर लागू होने वाले गैर-उत्पीड़न संबंधी नियमों में लैंगिक पहचान शामिल की जाए; हवाई अड्डा आयोग के शुल्कों और विनियमों को स्थापित करने के प्राधिकरण को स्पष्ट किया जाए; और शहरी प्रशासन और परिचालनों से संबंधित अन्य परिवर्तन और स्पष्टीकरण किए जाएँ।

निष्पक्ष सारांश
SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

Los Angeles शहर की सरकार का मूल कानून शहरी चार्टर में लिखा हुआ होता है। शहरी चार्टर शहर की सरकार की संरचना, ज़िम्मेदारियों, कार्यों, प्रक्रियाओं और शक्तियों को स्थापित करता है। सिटी शहरी प्रशासन और परिचालनों के संबंध में शहरी चार्टर में विभिन्न बदलावों और स्पष्टीकरणों का प्रस्ताव कर रही है। शहरी चार्टर में संशोधन केवल शहर के मतदाताओं के बहुमत से ही किया जा सकता है।

इस विधेयक से शहरी प्रशासन और परिचालन के संबंध में विभिन्न बदलाव और स्पष्टीकरण करने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- साफ़ तौर पर स्पष्ट करे कि विभाग राजस्व उत्पन्न करने वाली छूट वाली गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम हैं, जैसे कि विभाग के परिचालनों में सहायता करने के लिए धन जुटाने के लिए माल या भोजन बेचना;
- शहरी रोज़गार में गैर-भेदभाव के संबंध में चार्टर के अनुभाग में लिंग पहचान और लिंग अभिव्यक्ति को शामिल करना;
- मौजूदा व्यवहार के अनुरूप होने के लिए विभिन्न चार्टर अनुभागों में "प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक" और "प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय" का नाम बदलकर "शहर का प्रशासनिक अधिकारी" और "शहर के प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय" कर दिया जाना। यह परिवर्तन प्रभावित चार्टर अनुभागों को अन्यथा संशोधित नहीं करता है;
- यह स्पष्ट करे कि पुस्तकालय और मनोरंजन और पार्क विभागों सहित शहर के प्रत्येक कार्यालय और विभाग को चार्टर, अध्यादेशों और अन्य लागू होने वाले कानून द्वारा प्रावधान किए गये नियमों के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी सहायता के लिए विनियोजित धन खर्च करने का अधिकार है;
- यह स्पष्ट करे कि ज़ोनिंग प्रशासन कार्यालय के नियमों और विनियमों का निरीक्षण California सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम के अनुसरण में उपलब्ध होगा;
- मनोरंजन और पार्क विभाग को सार्वजनिक पार्क प्रयोजनों के अनुरूप सार्वजनिक भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले को स्थान पट्टे पर देने की अनुमति देना;
- साफ़ तौर पर स्पष्ट करे कि El Pueblo ऐतिहासिक स्मारक और Los Angeles चिड़ियाघर मनोरंजन और पार्क आयुक्त बोर्ड के नियंत्रण से हटाए जाने के बाद भी पूरी तरह से पार्क संपत्ति बने रहेंगे;

- बंदरगाह विभाग, हवाई अड्डों के विभाग, और जल एवं विद्युत विभाग के महा-प्रबंधक के लिए वैकल्पिक शीर्षक का इस्तेमाल करने की अनुमति देना;
- यह स्पष्ट करे कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का इस्तेमाल बंदरगाह विभाग, हवाई अड्डों के विभाग, और जल एवं विद्युत विभाग द्वारा जारी राजस्व बॉन्ड्स के संबंध में किया जा सकता है;
- वैमानिकी और ज़मीनी परिवहन उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक और निजी मालिकों द्वारा हवाई अड्डे की संपत्ति के इस्तेमाल और उस तक पहुंच के लिए शुल्क, नियम और विनियम स्थापित करने की हवाई अड्डा आयुक्तों के बोर्ड की क्षमता को स्पष्ट करना;
- हवाई अड्डा विभाग के आधिकारिक नाम के रूप में "Los Angeles World Airports" शब्द के इस्तेमाल की अनुमति देना;
- कार्मिक विभाग की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति देने के लिए नागरिक सेवा परीक्षाओं की सूचना प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी के संबंध में लचीलापन प्रदान करना; और
- स्पष्ट करना कि नागरिक सेवा प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल एक से अधिक विभागों द्वारा एक साथ किया जा सकता है।

बहुमत मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण
MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

यह विधेयक शहर की विभिन्न प्रशासनिक और परिचालन प्रथाओं को औपचारिक बनाने के लिए शहरी चार्टर के कई अनुभागों में संशोधन करता है। यह विधेयक पुष्टि करता है कि El Pueblo स्मारक और चिड़ियाघर पार्क की संपत्ति हैं, विभागों को परिचालन में सहायता देने के लिए माल बेचने की अनुमति देता है, रोज़गार के गैर-भेदभाव संबंधी नियमों में लिंग पहचान को शामिल करता है, शुल्क और विनियमन निर्धारित करने के लिए हवाई अड्डा आयोग के अधिकार को निर्दिष्ट करता है, और प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय से शहर प्रशासनिक अधिकारी के चार्टर-निर्दिष्ट नाम को रीसेट करता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य किसी भी विभाग को नई शक्तियाँ प्रदान किए बिना वर्तमान प्रथाओं को औपचारिक बनाना है। इस विधेयक में परिवर्तनों को लागू करने के लिए धन के विनियोजन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, माल बेचने वाले या शुल्क और विनियमन निर्धारित करने वाले विभागों को राजस्व अर्जित करने और इकट्ठा करने में सहायता करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। इस समय, प्रभावित विभागों में से किसी के लिए लागत निर्धारित करने के लिए जानकारी अपर्याप्त है, न ही मौजूदा प्रथाओं को औपचारिक बनाने से अर्जित हो सकने वाली राजस्व राशि के बारे में जानकारी मौजूद है।

चार्टर संशोधन II के पक्ष में तर्क

चार्टर संशोधन II शहर की सेवाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए शहरी चार्टर को अपडेट करता है।

पिछले वर्ष, शहर के प्रशासन के सुधार पर नगर परिषद की तदर्थ समिति ने सभी शहरी विभागों के प्रबंधन से सुझाव देने को कहा था कि सेवाओं के प्रावधान में सुधार करने के लिए शहरी चार्टर को किस प्रकार अपडेट किया जा सकता है।

उनमें से कई सुझाव चार्टर भाषा में तकनीकी सुधार थे जिन्हें इस संशोधन में शामिल किया गया है। अन्य सुझाव सार्वजनिक सेवाओं में ठोस सुधार करेंगे।

अन्य बातों के अलावा, चार्टर संशोधन II:

- Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला और मनोरंजन एवं पार्क विभाग के बीच संयुक्त इस्तेमाल के समझौतों की अनुमति देना, जिससे वंचित पड़ोसों में बच्चों के लिए अधिक मनोरंजनात्मक स्थान उपलब्ध हो सके।
- हवाई अड्डा आयुक्त बोर्ड को हमारे हवाई अड्डों पर जमीनी परिवहन और अन्य वाणिज्यिक सेवाओं के विनियमन और प्रबंधन के लिए शुल्क लेने देना।
- शहर के सुविधा-स्थलों पर खाद्य और व्यापारिक छूटें प्रदान करने की अनुमति देकर करदाताओं को लाभान्वित करना।
- इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से अधिक दक्षता प्राप्त करना।
- California सार्वजनिक रिकॉर्ड्स अधिनियम के अनुसार सभी क्षेत्रीकरण नियमों और विनियमों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

चार्टर संशोधन II का अर्थ है:

- बच्चों के लिए अधिक पार्क स्थान
- हवाई अड्डे तक और वहाँ से आने-जाने के लिए बेहतर जमीनी परिवहन
- दूर बैठे शहरी फॉर्म और आवेदन भरने का एक आसान तरीका
- शहर के कार्यक्रमों और सुविधा-स्थलों में भोजन और पेय-पदार्थों के अधिक विकल्प

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

ये वे बदलाव हैं जिनकी मांग शहर के विभागों ने की थी ताकि वे आपको बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। ये वे बदलाव हैं जिन्हें आप अब शहरी चार्टर में संशोधन करने के लिए मतदान करके कर सकते हैं। किसी ने भी इस विधेयक के विरुद्ध कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि उपरोक्त में से किसी के भी विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करना कठिन है!

चार्टर संशोधन II पर हाँ में मतदान करें!

चार्टर संशोधन II के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

PAUL KREKORIAN
परिषद सदस्य, ज़िला 2
City of Los Angeles

इस उपाय के खिलाफ कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

चार्टर संशोधन II के पक्ष में तर्क का खंडन

चार्टर संशोधन II शहर के चार्टर में बदलाव करता है जिससे शहर के विभाग और एजेंसियाँ आपके, यानि जनता के लिए अपनी सेवाओं में सुधार कर सकेंगे। इनमें से बहुत से बदलाव तकनीकी प्रकृति के हैं, लेकिन इन्हें किए जाने की आवश्यकता काफी लंबे समय से है। वस्तुतः किसी ने भी इस संशोधन के खिलाफ़ कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये क्योंकि ये बदलाव केवल शहरी सेवाओं में सुधार ही करते हैं।

चार्टर संशोधन II का अर्थ है उन इलाकों में बच्चों के लिए अधिक मनोरंजन के स्थान बनाना जहाँ पर्याप्त संख्या में पार्क मौजूद नहीं हैं।

चार्टर संशोधन II का मतलब है कि कॉर्पोरेट ऑपरेटरों से राजस्व इकट्ठा करके हमारे हवाई अड्डों को बेहतर बनाना, ताकि आप बेहतर सेवाएँ प्राप्त कर सकें।

चार्टर संशोधन II भोजन, पेय और व्यापारिक विकल्प प्रदान करता है, जिसका आनंद आम जनता शहर की सुविधाओं और आयोजनों में ले सकती है।

चार्टर संशोधन II डिजिटल प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार को अधिक कुशल बनाया जा रहा है, जिससे आप बिना गाड़ी चलाए, पार्किंग किए और शहर के कार्यालयों में लाइन में इंतजार किए बिना शहर के कई फॉर्म और आवेदन भर सकते हैं।

शहर की सरकार को और प्रभावी बनाएँ। चार्टर संशोधन II पर हाँ में मतदान करें!

चार्टर संशोधन II के पक्ष में तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

PAUL KREKORIAN
परिषद सदस्य, ज़िला 2
City of Los Angeles

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को ~~स्ट्राइकआउट~~ टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन II

अनुभाग 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 104 के उपखंड (g) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(g) **व्यापारिक उद्यम।** शहर किसी भी पूर्ण रूप से वाणिज्यिक या औद्योगिक उद्यम में संलग्न नहीं होगा, सिवाय सवालिया मुद्दे पर मतदान करने वाले शहर के मतदाताओं के बहुमत मतदान के अलावा, जब तक कि चार्टर के प्रभावी होने के समय शहर द्वारा उद्यम को पहले से ही अन्यथा संलग्न न कर लिया गया हो, या जब तक कि इस उद्यम में संलग्न होने को चार्टर में कहीं और विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो। इस उपखंड में दिया गया कोई भी प्रावधान शहर को भोज्य पदार्थों और माल की खुदरा बिक्री में सीधे तौर पर संलग्न होने से नहीं रोकेगा, जब वे छूटें शहर के परिचालनों और उद्देश्यों के अनुरूप हों और उनका समर्थन करती हों।

अनुभाग 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 104 के उपखंड (i) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(i) **भेदभाव रहित।** शहर की सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति करने में, जाति, धर्म, राष्ट्रीय मूल, वंश, लिंग, लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिव्यक्ति, लैंगिक रुझान, आयु, विकलांगता या वैवाहिक स्थिति के आधार पर चयन या पारिश्रमिक में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 3. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 201 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

शहर के कार्यालय निम्न होंगे:

मेयर का कार्यालय
नगर परिषद का कार्यालय
शहर के अटॉर्नी का कार्यालय
नियंत्रक का कार्यालय
~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं का कार्यालय~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय
शहर के क्लर्क का कार्यालय
वित्त कार्यालय

अनुभाग 4. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 210 के पहले वाक्य को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

शहर के नियंत्रक, शहर के अटॉर्नी, कोषाध्यक्ष, शहर के क्लर्क और ~~प्रशासनिक एवं अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक एक सहायक या डिप्टी को नामित करेंगे, जो कार्यालय में कोई खाली स्थान होने की स्थिति में कार्यकारी पदाधिकारी बनेंगे।

अनुभाग 5. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 233 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

मेयर कर्मचारियों की अस्थायी कमी को दूर करने के लिए, या किसी कार्यालय या विभाग में अस्थायी या मौसमी आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों की अस्थायी मांग को पूरा करने के लिए, किसी भी कैलेंडर वर्ष में 120 दिनों से अधिक नहीं, स्वामित्व विभागों को छोड़कर, एक नियुक्त किए गये कार्यालय या विभाग में से दूसरे कार्यालय या विभाग में कर्मचारियों का अस्थायी स्थानांतरण कर सकता है। मेयर कर्मचारियों के स्थानांतरण के समय शहर के क्लर्क को सूचित करेगा, और शहर का क्लर्क परिषद के अध्यक्ष, ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक सेवा आयुक्तों के बोर्ड को स्थानांतरण के बारे में सूचित करेगा। इस तरह से स्थानांतरित किए गये कर्मचारियों का मुआवजा उस स्थानांतरण की अवधि के लिए उस कार्यालय या विभाग से लिया जाएगा जहाँ वे कर्मचारी स्थानांतरित किए गये हैं। नियुक्ति करने वाले किसी भी प्राधिकारी द्वारा अस्थायी स्थानांतरण पर लिखित रूप में आपत्ति किए जाने की स्थिति में, मेयर यह निर्धारित करेंगे कि स्थानांतरण किया जाए या नहीं।

अनुभाग 6. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 290 से पहले के पदनाम को संशोधित करके "प्रशासनिक अनुसंधान सेवाओं का कार्यालय" शब्दांश के स्थान पर "शहर के प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय" शब्दांश रखा गया है।

अनुभाग 7. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 290 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति और बर्खास्तगी अनुभाग 508 के अनुसरण में की जाएगी। ~~निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी के पास ~~निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति से ठीक पहले दस वर्षों के भीतर कार्यकारी या प्रशासनिक स्तर पर पांच वर्षों के अनुभव द्वारा प्रदर्शित प्रशासनिक और कार्यकारी क्षमता होगी। ~~निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी चार्टर और अध्यादेश द्वारा अधिकृत किए गये अनुसार सहायकों को नियुक्त कर सकते और हटा सकते हैं।

अनुभाग 8. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 291 के पहले वाक्य को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

~~निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी के पास निम्नलिखित के लिए शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे:

अनुभाग 9. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 291 के उपखंड (h) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(h) मेयर के अनुमोदन के अधीन, ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत मामलों को संचालित करने वाले नियम और मानक निर्धारित करना, जिनका शहर के सभी अधिकारियों और विभागों को अनुपालन करना होगा;

अनुभाग 10. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 291 के आखिरी वाक्य को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 292 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, इस अनुभाग में निर्धारित ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य स्वामित्व विभागों पर लागू नहीं होंगे।

अनुभाग 11. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 292 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी शहर की सरकार के सभी नियुक्त कार्यालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों के संगठन, नीतियों और आचरणों में सुधार के लिए प्रशासनिक प्रबंधन में अनुसंधान का संचालन करेंगे, जिसमें बिना किसी सीमा के, स्वामित्व विभाग भी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न पदों के कर्तव्यों, कार्य-प्रणालियों और दक्षता के मानकों के संबंध में कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और प्रदर्शन मापदंड विकसित करना है। ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी मेयर, परिषद और संबंधित विभागों और एजेंसियों को उन परिवर्तनों की सिफारिश करेंगे जो शहर सरकार के संचालन में अर्थव्यवस्था और दक्षता को बढ़ावा देंगे।

अनुभाग 12. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 293 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 213 में दिए गये के बावजूद, प्रबंधकों-कर्मचारी संबंधों से संबंधित अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ या अन्य ज़िम्मेदारियाँ जो अन्य विभागों, कार्यालयों और आयोगों की ज़िम्मेदारी नहीं हैं, उन्हें अध्यादेश के अनुसार ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा जा सकता है। अन्य विभागों, कार्यालयों और आयोगों की ज़िम्मेदारियों को केवल अनुभाग 514 के अनुसार ही ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है।

अनुभाग 13. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 311 के उपखंड (a) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) मेयर द्वारा निर्धारित समय पर, लेकिन प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी तक, किसी भी विभाग या कार्यालय, या शहर की अन्य सरकारी गतिविधि के प्रमुख पद पर प्रत्येक बोर्ड या अधिकारी, उन विभागों के अलावा जो अपने स्वयं के निधियों पर नियंत्रण रखते हैं, परिषद और ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी को प्रतियों के साथ, मेयर को, मेयर द्वारा निर्धारित फॉर्मों और तरीके से, अपने विभागों और कार्यालयों के उचित संचालन के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक धनराशि का एक विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करेंगे। इन अनुमानों में एकसमान बजट वर्गीकरण शामिल होंगे और निष्पादित किए जाने वाले कार्यों और ऐसे निष्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया होगा। अनुमानों के साथ सारांश, समय-सारणियाँ और सहायक आंकड़े संलग्न किए जाएंगे। कोई विभाग प्रमुख या अधिकारी जो पिछले वर्ष की विनियोजित धनराशि से अधिक का अनुरोध कर रहा हो, उसे यह बताना होगा कि किस वर्गीकरण में वृद्धि की आवश्यकता है और प्रत्येक वर्गीकरण के लिए तत्काल आवश्यकता के क्रम को अंकित करना होगा। किसी अधिकारी या विभाग के अध्यक्ष के साथ परामर्श के बाद, मेयर विभाग, कार्यालय या गतिविधि के लिए अधिकतम राशि के आधार पर संशोधित अनुमान तैयार करने के निर्देश के साथ अनुमान को वापस भेज सकता है, वह अधिकतम राशि मेयर द्वारा निर्धारित की जाएगी, या आगे की योग्यता के साथ, जैसा कि मेयर निर्धारित करेगा। विभाग के अधिकारी या प्रमुख संशोधित अनुमान को मेयर को प्रस्तुत करेंगे, और उसकी एक प्रतिलिपि परिषद को और ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी को मेयर द्वारा निर्धारित तारीख पर प्रस्तुत करेंगे।

अनुभाग 14. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 311 के उपखंड (c) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(c) प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को या उससे पहले नियंत्रक परिषद को और ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी को एक प्रतिलिपि के साथ, मेयर को उस धनराशि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसका नियंत्रक अनुमान लगाता है कि ब्याज और डूबते हुए निधियों के लिए और शहर या विशेष ज़िलों के सभी बकाया बंधक ऋणग्रस्तता और अन्य वैध दायित्वों के लिए आवश्यक होगा, और जुर्मानों, लाइसेंसों और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व का अनुमान भी प्रस्तुत करेगा।

अनुभाग 15. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 320 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

शहर के सामान्य बजट में प्रावधानित प्रत्येक कार्यालय और विभाग, तथा पुस्तकालय और मनोरंजन और पार्क विभाग, उस हद तक जहाँ तक उन्हें सामान्य निधि से विनियोजन द्वारा सहायता प्राप्त होती है, को आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने समर्थन के लिए विनियोजित निधियों को चार्टर, अध्यादेश और लागू होने वाले अन्य कानून के अन्य प्रावधानों द्वारा निर्धारित तरीके से खर्च करने का अधिकार होगा, लेकिन केवल योजनाबद्ध खर्च के कार्यक्रम के अनुसार, जिसे कानून द्वारा प्रावधानित अनुसार समय-समय पर तैयार, दायर और संशोधित किया जाएगा। शहर की सरकार का कोई भी विभाग, ब्यूरो, या कार्यालय उसके लिए विनियोजित धनराशि से अधिक खर्च नहीं करेगा या देनदारियाँ नहीं उठाएगा।

अनुभाग 16. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 342 के उपखंड (a) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) मेयर के अनुमोदन पर, अध्यादेश के अनुसार स्थापित धनराशि से अधिक न होने वाले हस्तांतरणों के लिए, बशर्ते कि मेयर ऐसे हस्तांतरण की सूचना उस हस्तांतरण को किए जाने के समय पर शहर के क्लर्क को देगा, जो परिषद के अध्यक्ष, नियंत्रक और ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी को इस हस्तांतरण के बारे में सूचित करेगा;

अनुभाग 17. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 343 के उपखंड (d) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(d) **नोटिस**। इस अनुभाग के अनुसार जब भी निधियों का हस्तांतरण किया जाता है, तो हस्तांतरण को मंजूरी देने वाला प्राधिकारी शहर के क्लर्क को सूचना देगा, जो परिषद के अध्यक्ष, नियंत्रक और ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी को इस हस्तांतरण के बारे में सूचित करेगा।

अनुभाग 18. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 508 के उपखंड (d) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(d) **वार्षिक समीक्षा**। मेयर प्रत्येक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का वार्षिक तौर पर मूल्यांकन करेगा। ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उन दिशा-निर्देशों से संबंधित सिफारिशें परिषद को दिए जाने के बाद, मेयर परिषद द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित या समायोजित करेगा।

अनुभाग 19. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 508 के उपखंड (f) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(f) **किसी आयोग द्वारा नियुक्त किया गया मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।** अध्यादेश के अनुसार किसी आयोग द्वारा नियुक्त किया गया मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करने वाले आयोग द्वारा वार्षिक समीक्षा की जाएगी। ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उन दिशा-निर्देशों से संबंधित सिफारिशें परिषद को दिए जाने के बाद, वह आयोग परिषद द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या कार्यकारी निदेशक के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित या समायोजित करेगा। वह आयोग मूल्यांकन और वेतन निर्धारण की एक प्रति मेयर और परिषद को जानकारी के लिए आगे भेजेगा।

अनुभाग 20. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 561 के तीसरे पैराग्राफ़ को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

मुख्य क्षेत्रीकरण प्रशासक अध्यादेश द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन ज़रूरी नियमों को अपना सकता है, जो उन अध्यादेशों के साथ संघर्ष में या असंगत नहीं हैं। सभी नियम और विनियम California सार्वजनिक रिकॉर्ड्स अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसरण में ~~क्षेत्रीकरण प्रशासन कार्यालय में~~ निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

अनुभाग 21. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 571 के उपखंड (b) के उप-प्रभाग (2) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(2) ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उन दिशा-निर्देशों से संबंधित सिफारिशें परिषद को दिए जाने के बाद, पुलिस प्रमुख का वार्षिक मूल्यांकन करना, परिषद द्वारा स्थापित वेतन संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत पुलिस प्रमुख के लिए पारिश्रमिक निर्धारित या समायोजित करना; और मूल्यांकन और वेतन निर्धारण की एक प्रति मेयर और परिषद को जानकारी के लिए आगे भेजना।

अनुभाग 22. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 594 के उपखंड (c) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(c) **समर्पित पार्कों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध।** सार्वजनिक पार्क के तौर पर अब तक या इसके बाद अलग की गई या समर्पित की गई सभी ज़मीनें अखण्ड रूप से हमेशा जनता के उपयोग के लिए बनी रहेगी; लेकिन बोर्ड किसी भी पार्क उद्देश्य के लिए ज़मीनों के उपयोग को अधिकृत कर सकता है, और इसके लिए:

> (1) शहर के स्वामित्व वाली किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता के संबंध में शहर या उसके निवासियों को सेवा देने के लिए आवश्यक और सुविधाजनक किसी भी कार्य, सुधार या संरचना के लिए सुगमताओं या रास्ते का अधिकार देने। समान परिस्थितियों में, फ्रैंचाइज़ी रखने वाली किसी भी निजी सार्वजनिक उपयोगिता को समान अनुमति दी जा सकती है, और फ्रैंचाइज़ी के जीवनकाल तक सीमित की जा सकती है। ये सुगमताएँ और रास्ते के अधिकार अध्यादेश के अनुसार निर्धारित विनियमों के अधीन होंगे।
>
> (2) Los Angeles काउंटी, ~~या~~ Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला, California राज्य, या संयुक्त राज्य अमेरिका को सार्वजनिक पार्क उद्देश्यों के अनुरूप सार्वजनिक भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए किसी भी सार्वजनिक पार्क में ~~एक~~ स्थललों के लिए दिए गये पट्टे- जो 50 वर्ष से अधिक की अवधियों के लिए न हों।

(3) मोल्डिंग रेत या अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार लेना और उनका निपटान करना तथा ऐसे तरीके से करना जिससे परिसर के सार्वजनिक इस्तेमाल और उपभोग में कोई बहुत बड़ा विकार न हो।

(4) बोर्ड द्वारा नियंत्रित पार्क की ज़मीन पर तथा उसके बीच से होकर जाने वाली सड़कों या अन्य सार्वजनिक मार्गों को खोलना, स्थापित करना तथा उनका रखरखाव करना।

अनुभाग 23. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 598 में एक नए अनुभाग को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 598. El Pueblo de Los Angeles ऐतिहासिक स्मारक और Los Angeles चिड़ियाघर।

(a) सभी अचल संपत्तियाँ जो पहले मनोरंजन और पार्क विभाग द्वारा नियंत्रित और संचालित की जाती थी, जिन्हें सार्वजनिक पार्क के तौर पर समर्पित किया गया था, और जिसे चिड़ियाघर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अलग रखा गया था, वह हमेशा सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए ही बनी रहेंगी। ऐसी किसी संपत्ति को मनोरंजन और पार्क विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग द्वारा संचालित, प्रबंधित, रखरखाव, और नियंत्रित किया जा सकता है, जैसा कि अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो सकता है, और ऐसे किसी विभाग के पास ऐसी संपत्ति पर वही शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो मनोरंजन और पार्क आयुक्त बोर्ड के पास मनोरंजन और पार्क विभाग की संपत्ति पर होते हैं।

(a) सभी अचल संपत्तियाँ जो पहले मनोरंजन और पार्क विभाग द्वारा नियंत्रित और संचालित की जाती थी, जिसे एक सार्वजनिक पार्क के रूप में समर्पित किया गया था, और जिसमें El Pueblo de Los Angeles ऐतिहासिक स्मारक शामिल है, वह हमेशा सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए ही बनी रहेंगी। ऐसी किसी संपत्ति को मनोरंजन और पार्क विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग द्वारा संचालित, प्रबंधित, रखरखाव, और नियंत्रित किया जा सकता है, जैसा कि अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो सकता है, और ऐसे किसी विभाग के पास ऐसी संपत्ति पर वही शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो मनोरंजन और पार्क आयुक्त बोर्ड के पास मनोरंजन और पार्क विभाग की संपत्ति पर होते हैं।

अनुभाग 24. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 604 के उपखंड (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(b) **वार्षिक समीक्षा।** ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उन दिशा-निर्देशों से संबंधित सिफारिशें परिषद को दिए जाने के बाद, प्रत्येक स्वामित्व विभाग के बोर्ड, परिषद द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपने महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर) का कम से कम सालाना रूप से मूल्यांकन करेगा और महाप्रबंधक के मुआवजे की राशि निर्धारित या समायोजित करेगा। बोर्ड अपने कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और वेतन निर्धारण की एक प्रति मेयर और परिषद को जानकारी के लिए आगे भेजेगा।

अनुभाग 25. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 604 में एक नए उपखंड (d) को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

(d) **वैकल्पिक पद।** प्रत्येक स्वामित्व विभाग का बोर्ड, महाप्रबंधक के लिए एक वैकल्पिक पद को नामित कर सकता है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशक शामिल हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

अनुभाग 26. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 609 के उपखंड (d) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(d) **प्रतिस्पर्धी बोली या निजी बिक्री।** राजस्व बॉन्ड्स को एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसार बेचा जाएगा; हालांकि राजस्व बॉन्ड्स को निजी बिक्री द्वारा या किसी ऐसे तरीके से बेचा जा सकता है जो विभाग को और परिषद को स्वीकृत हो और जैसा कि प्रक्रियात्मक अध्यादेश द्वारा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, प्राधिकृत किया गया है:

(1) किसी विभाग के बोर्ड ने उस विभाग के मुख्य वित्तीय अधिकारी की लिखित सिफारिश, जिसमें यह कारण बताए गये हैं कि निजी बिक्री से विभाग को क्या लाभ होगा, के बाद निजी बिक्री के अनुसरण में राजस्व बॉन्ड्स की बिक्री को अधिकृत किया है।

(2) परिषद, ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के निदेशक~~ शहर के प्रशासनिक अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, ने निजी बिक्री को अनुमोदित कर दिया है।

(3) प्रक्रियात्मक अध्यादेश में निर्धारित किए गये अनुसार, परिषद को राजस्व बॉन्ड्स की निजी बिक्री के लिए किसी विभाग द्वारा जोखिम अंकन फर्म(फर्मों) के चयन को अस्वीकृत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

अनुभाग 27. शहर के स्वामित्व वाले विभागों द्वारा जारी किये गये राजस्व बॉन्ड्स के संबंध में, सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 609 के उपखंड (g) के उप-प्रभाग (3) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(3) *राजस्व बॉन्ड्स की वैधता।* राजस्व बॉन्ड्स की वैधता, बशर्ते कि वे इस अनुभाग के अनुसरण में जारी किए गए हों, चार्टर के किसी अन्य अनुभाग में निहित किसी प्रावधान या सीमा से प्रभावित नहीं होगी। इस अनुभाग के अनुसरण में जारी किए गए राजस्व बॉन्ड्स पर कोई भी आवश्यक हस्ताक्षर फैक्स द्वारा, ~~या~~ ऑटोग्राफ द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा किया जा सकता है। 1 जून, 1996 को मौजूद चार्टर अनुभाग 146, 146.1, 229, 229.1 और 239 इस अनुभाग के अपनाए जाने के पश्चात पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे, जब तक कि परिषद इस अनुभाग में दिए गए प्रक्रियात्मक अध्यादेश(शों) को नहीं अपना लेती।

अनुभाग 28. हवाई-अड्डे आयुक्त की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 632 में नए उपखंड (a) और (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

इस बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:

(a) **दरें और शुल्क।** हवाई अड्डे की संपत्तियों के इस्तेमाल और विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए दरें और शुल्क निर्धारित करना तथा उन्हें इकट्ठा करना, जिसमें वैमानिकी और भूमि परिवहन प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक और निजी ऑपरेटरों द्वारा हवाई अड्डे की संपत्ति के इस्तेमाल और उस तक पहुंच के लिए शुल्क निर्धारित करना शामिल है।

(b) **नियम और विनियम।** वाणिज्य के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्तियों के तहत, शहर के अंदर और बाहर स्थित शहर के स्वामित्व या नियंत्रण वाले हवाई अड्डों के इस्तेमाल और नियंत्रण को संचालित करने वाले सभी आवश्यक नियमों और विनियमों को बनाना और लागू करना और हवाई नेविगेशन के लिए इन हवाई अड्डों के निकट वायुमार्गों और जलमार्गों के इस्तेमाल को नियंत्रित करना। बोर्ड द्वारा अपनाए गए विनियमों को अध्यादेश द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसमें इन नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने निर्धारित किए जाएंगे। इन नियमों और विनियमों में निम्नलिखित विषय शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

(1) हवाई नेविगेशन और उड़ान के लिए, या उन संचालनों के संबंध में सुविधाजनक या आवश्यक सभी उपकरणों का चढ़ाव, उतराव, मूरिंग, संचलन, रखरखाव, संचालन या उपयोग; ~~और~~

(2) किसी भी हवाई अड्डे पर किसी भी उपयोगिता, मशीन, भवन, संरचना या सुधार का डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उपयोग, स्थिति और संचालन, और हवाई अड्डों पर या उनमें खुदाई, अवरोधों और यातायात का नियंत्रण; और

(3) वाणिज्यिक परिवहन सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुंच सहित हवाई अड्डे की संपत्ति पर ज़मीनी परिवहन का प्रबंधन और विनियमन।

(c) **हवाई अड्डों का विकास।** विभागीय प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाने वाली सभी संपत्ति, सुधार, उपयोगिताओं, उपकरणों, आपूर्तियों या सुविधाओं को खरीदना, पट्टे पर देना, प्राप्त करना, नष्ट करना, डिजाइन करना, निर्माण करना, रखरखाव करना, सुधारना, मरम्मत करना और संचालित करना। अनुपयोगी घोषित करने की शक्ति का प्रयोग केवल परिषद के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

अनुभाग 29. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 637 में एक नए अनुभाग को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 637. विभाग का नाम।

हवाई अड्डे विभाग को Los Angeles वर्ल्ड एयरपोर्ट्स के नाम से भी जाना और संदर्भित किया जा सकता है।

अनुभाग 30. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1001 के उपखंड (a) के उप-प्रभाग (14) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(14) ~~प्रशासनिक और अनुसंधान सेवाओं का कार्यालय~~शहर के प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय में सभी सहायक निदेशक।

अनुभाग 31. परीक्षण संबंधी बुलेटिन के संबंध में, सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1007 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

प्रत्येक परीक्षण के समय, स्थान और सामान्य दायरे की सूचना ~~कार्मिक विभाग के महाप्रबंधक द्वारा~~ नागरिक सेवाओं के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

अनुभाग 32. नागरिक सेवा के प्रमाणीकरणों के संबंध में, सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1010 में एक नए उपखंड (f) को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

(f) इस अनुभाग में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी प्रमाणन को एक से अधिक विभागों द्वारा एक साथ उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

अनुभाग 33. अगर इस चार्टर संशोधन के किसी अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग को किसी न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, इस अनुच्छेद के शेष अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस लेख के प्रावधान अलग किए जाने योग्य रहेंगे। इसके अलावा, मतदाता घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस चार्टर संशोधन के असंवैधानिक या अमान्य माने गये सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों के अलावा बाकी सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों को पारित किया होता।

ER शहरी नैतिकता आयोग का प्राधिकरण और परिचालन स्वतंत्रता। चार्टर संशोधन ER.

क्या शहरी नैतिकता आयोग के लिए एक न्यूनतम वार्षिक बजट स्थापित करने; आयोग के खर्च संबंधी फैसलों और भर्ती संबंधी मामलों पर प्राधिकरण को बढ़ाने; आयोग को सीमित परिस्थितियों में बाहरी सलाहकार प्राप्त करने की अनुमति देने; आयोग के सदस्यों पर अतिरिक्त योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को लागू करने; शहरी समिति को आयोग के प्रस्तावों पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता को ज़रूरी बनाने; और शहरी कानूनों के उल्लंघनों के लिए जुर्मानों में वृद्धि करने के लिए शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा?

निष्पक्ष सारांश
SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

Los Angeles शहर में नैतिकता आयोग की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि शहर कुशलता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है, साथ ही शहर की सरकार और चुनाव प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास कायम रखने के लिए भी काम कर रहा है। कानून के अनुसार, नैतिकता आयोग को अभियान के वित्तपोषण, भावी ठेकेदारों और डेवलपर्स से संबंधित शहरी अनुबंधों, सरकार में नैतिकता और लॉबिंग से संबंधित शहरी और राज्य कानूनों को लागू करना आवश्यक है।

2023 में, परिषद ने शहरी चार्टर में सुधार करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की। इस कोशिश के एक हिस्से के रूप में, नैतिकता आयोग ने नगर परिषद को कई सिफ़ारिशें प्रस्तुत कीं, जो आयोग के अधिकार और संचालन स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए शहरी चार्टर को अपडेट करेंगी, साथ ही आयोग की नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित प्रशासनिक प्रावधानों को भी अपडेट करेंगी।

इस विधेयक से शहरी चार्टर में निम्न के लिए संशोधन किया जाएगा:

- उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाना जिन्हें नैतिकता आयोग में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के रिश्तेदार या अन्य निर्वाचित शहरी अधिकारियों के रिश्तेदार, किसी राजनीतिक अभियान सलाहकार, या किसी राजनीतिक अभियान के लिए एक प्रमुख दानकर्ता के नामांकन को रोका जा सकेगा;
- आयोग के सदस्यों और कार्यकारी निदेशक के लिए उनके कार्यकाल के दौरान योग्यताएँ शामिल करना, जिसमें शहर के साथ अनुबंध करने या विवेकाधीन अनुमोदन प्राप्त करने वाले व्यापार में स्वामित्व हित रखने, अभियानों में प्रमुख दाता के रूप में भाग लेने, या अभियानों को मुआवजा सलाह या सेवाएँ प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाना शामिल हैं;
- नैतिकता आयोग के नियुक्त किए गये सदस्यों को उन्हें नियुक्त करने वाले प्राधिकारियों द्वारा हटाने की अनुमति दी जाएगी, और आयोग में खाली पद को भरने के लिए समय सीमा को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन किया जाएगा;
- नैतिकता संबंधी उल्लंघनों के लिए मौद्रिक दंड को $5,000 से बढ़ाकर $15,000 किया जाएगा, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार इस दंड को सालाना रूप से समायोजित किया जाएगा;
- कार्यकारी निदेशक के नामित व्यक्ति को यह निर्धारित करने की अनुमति देना कि क्या शहरी चार्टर या शहर के अध्यादेशों के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में कोई संभावित कारण मौजूद है;

- नगर परिषद को 180 दिनों के भीतर नैतिकता आयोग के नीति प्रस्ताव पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता होगी;
- नैतिकता आयोग को सीमित परिस्थितियों में बाहरी कानूनी सलाहकार रखने की अनुमति देना, जिसमें शहर के अटॉर्नी, शहर के अटॉर्नी के कार्यालय, शहर के अटॉर्नी के अभियान, या विशिष्ट जांच-पड़ताल और प्रवर्तन मामलों से जुड़े मामले शामिल हैं;
- विशेष अभियोजक के लिए आयोग के बजट को $250,000 से बढ़ाकर $500,000 किया जाएगा, और उन प्रावधानों को अपडेट किया जाएगा जो आयोग को अनुमोदित सूची में से विशेष अभियोजक का चयन करने के लिए अधिकृत करेंगे, जब शहर का अटॉर्नी हितों के टकराव की घोषणा करता है;
- वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होकर नैतिकता आयोग के वार्षिक परिचालन बजट के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम $7 मिलियन का विनियोजन करना, और शहर के पिछले वर्ष के राजस्व के आधार पर प्रत्येक वर्ष इस विनियोजन को समायोजित करना, जब तक कि परिषद को यह न पता लगे कि ऐसा न करने के लिए परिस्थितियाँ मौजूद हैं;
- जब खर्चे आयोग के बजट के अनुकूल हो, तो शहरी कार्यालयों या कार्मिकों से पूर्व अनुमोदन के बिना नैतिकता आयोग द्वारा खर्चों को अधिकृत करना, जब तक कि परिषद को यह न पता लगे कि ऐसा न करने के लिए परिस्थितियाँ मौजूद हैं;
- नैतिकता आयोग को आयोग के कार्यकारी निदेशक का वेतन निर्धारित करने के लिए अधिकृत करना, और वेतन सीमा को अन्य नगर महा-प्रबंधकों की वेतन सीमा के अनुरूप बनाना;
- नैतिकता आयोग के कर्मचारियों को नागरिक सेवा रोज़गार प्रावधानों से छूट दिया जाना; और
- अगर नैतिकता आयोग अपने अनुमोदित बजट के अनुकूल काम करता है तो उसे नियुक्ति पर रोक से छूट दिया जाना।

बहुमत मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण
MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

यह विधेयक शहर के नैतिकता आयोग के लिए न्यूनतम वार्षिक बजट $7,000,000 निर्धारित करता है, जिसमें नियुक्त किए गये किसी भी विशेष अभियोजक का समर्थन करने के लिए $500,000 शामिल है; खर्च संबंधी निर्णयों और नियुक्ति के मामलों पर आयोग के अधिकार को बढ़ाता है; आयोग को कुछ परिस्थितियों में बाहरी वकील प्राप्त करने की अनुमति देता है; और, शहर के कानूनों के उल्लंघन के लिए दंड को बढ़ाता है। वर्तमान बजट से 2025-26 में $7,000,000 तक पहुंचने के लिए अपेक्षित वृद्धि $380,000 होने का अनुमान है। इसके अलावा, इस विधेयक के तहत यह आवश्यक है कि बजट राशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष में शहर के राजस्व में हुए परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाए। हालांकि, परिषद को ऐसा पता लग सकता है कि ऐसी अत्यावश्यक परिस्थितियाँ मौजूद हैं कि उस वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन नहीं किया जाना चाहिए। अपेक्षित वृद्धि की संभावित भरपाई उल्लंघनों के लिए जुर्माने से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व से हो सकती है। आगामी वर्षों में जारी किए जाने वाले और वसूले जाने वाले जुर्माने की संख्या और राशि का निर्धारण इस समय नहीं किया जा सकता।

चार्टर संशोधन ER के पक्ष में तर्क

चार्टर संशोधन ER के साथ शहरी प्रशासन में वास्तविक नैतिक सुधार के लिए मतदान करें। यह संशोधन शहर के नैतिकता आयोग को नैतिकता उल्लंघनों की जांच करने की अधिक स्वतंत्रता देता है, और नियमों को तोड़ने वालों के लिए संभावित दंड को बढ़ाता है।

हाल ही के कुछ वर्षों में, शहर के कुछ अधिकारियों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचार के कृत्यों द्वारा अपने पद को अपमानित किया है, और उन्हें कानून के तहत दंडित भी किया गया है। शहर के अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं और हमारे नैतिक नियमों का सम्मान करते हैं। दुर्भाग्यवश, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके खुद को समृद्ध बनाने या अपने स्वयं के हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।

शहर की प्रभावशाली सरकार का निंदा से परे होना आवश्यक है। Los Angeles के लोग सरकार में जनता के विश्वास को कमजोर करने वाले उल्लंघनों को रोकने के लिए शहर के नैतिकता आयोग पर निर्भर करते हैं।

चार्टर संशोधन ER नैतिकता आयोग के इतिहास में पहला महत्वपूर्ण नैतिकता सुधार विधेयक है। इससे आयोग द्वारा नैतिकता उल्लंघनों के लिए लगाए जाने वाले दंड में काफी अधिक वृद्धि हो जाती है, तथा आयोग को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है।

अन्य कार्रवाइयों के साथ-साथ, चार्टर संशोधन ER करेगा:

- नैतिकता कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर मौजूदा दंडों को तिगुना करेगा।
- शहर के साथ व्यापार करने वाले या शहर के कामों में किसी भी प्रकार का वित्तीय हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नैतिकता आयोग में सेवा करने से प्रतिबंधित करेगा।
- निर्वाचित अधिकारियों को अपने रिश्तेदारों, अभियान सलाहकारों या प्रमुख अभियान दाताओं को आयोग में नियुक्त करने से रोकेगा।
- नगर परिषद को 180 दिनों के भीतर सभी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए बाध्य करेगा।
- न्यूनतम वार्षिक बजट निर्धारित करके नैतिकता आयोग को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिसे परिषद की स्वीकृति के बिना आयोग विशिष्ट खर्चों के लिए नियंत्रित कर सकेगा, और आयोग को अपना स्वयं का कानूनी सलाहकार रखने की अनुमति देगा।

नैतिकता प्रवर्तन को मजबूत बनाएगा और शहर की सरकार में विश्वास बहाल करेगा!

चार्टर संशोधन ER पर हाँ में मतदान करें।

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

चार्टर संशोधन ER के पक्ष में तर्क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

PAUL KREKORIAN
परिषद सदस्य, ज़िला 2
City of Los Angeles

इस उपाय के खिलाफ कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था।

चार्टर संशोधन ER के पक्ष में तर्क का खंडन

30 साल से भी अधिक समय पहले, Los Angeles के लोगों ने एक शहरी नैतिकता आयोग बनाने के लिए मतदान किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारी वास्तव में जनता की सेवा करें और शहर के नैतिक नियमों का पालन करें। तीन दशकों में पहली बार, अब हमारे पास नैतिकता आयोग को मजबूत बनाने का मौका है। चार्टर संशोधन ER से नैतिकता आयोग को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, उसे हितों के टकराव से बचाया जा सकेगा, तथा शहर के नैतिकता नियमों का उल्लंघन करने वालों और जनता के विश्वास का दुरुपयोग करने वालों के लिए दंड में वृद्धि होगी।

चार्टर संशोधन ER नैतिक उल्लंघनों के लिए दंड को तीन गुना बढ़ाता है; यह आयोग को एक स्वतंत्र बजट प्रदान करता है, ताकि उसे प्रत्येक खर्च को मंजूरी देने के लिए नगर परिषद पर निर्भर न रहना पड़े; और, यह आयोग को नैतिक उल्लंघनों की जांच करने और आयोग को सलाह देने के लिए अपने स्वयं के वकीलों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।

हमारे शहर के नैतिकता आयोग को मज़बूत बनाकर हमारी सरकार को बेहतर बनाता है।

शहरी हॉल में सुधार करने के लिए हाँ में मतदान करें। चार्टर संशोधन ER पर हाँ में मतदान करें!

चार्टर संशोधन ER के पक्ष में तर्क के खंडन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति

PAUL KREKORIAN
परिषद सदस्य, ज़िला 2
City of Los Angeles

NITHYA RAMAN
परिषद सदस्य, ज़िला 4
City of Los Angeles

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को ~~स्ट्राइकआउट~~ टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन ER

अनुभाग 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 700 के उपखंड (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(b) **नियुक्ति।** मेयर, शहर के अटॉर्नी, नियंत्रक, परिषद के अध्यक्ष और परिषद के अस्थायी अध्यक्ष में से प्रत्येक आयोग में एक सदस्य की नियुक्ति करेंगे। सभी नियुक्तियाँ परिषद के बहुमत मतदान द्वारा पुष्टि के अधीन होंगी। कोई नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी अपने रिश्तेदार या शहर के किसी अन्य निर्वाचित अधिकारी के रिश्तेदार, अभियान सलाहकार या प्रमुख दानकर्ता को नियुक्त नहीं करेगा। इस प्रावधान के उद्देश्यों के लिए: रिश्तेदार में पति या पत्नी, घरेलू साथी, बच्चा, माता-पिता, भाई-बहन या सास-ससुर शामिल हैं; अभियान सलाहकार में वह व्यक्ति शामिल है जिसने पिछले 12 महीनों में किसी राजनीतिक अभियान या शहर के किसी पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित समिति को पारिश्रमिक के बदले परामर्श या सेवाएँ प्रदान की हैं; और किसी प्रमुख दाता में वह व्यक्ति शामिल है जिसने पिछले 12 महीनों में राजनीतिक सुधार अधिनियम के तहत प्रमुख दाता के रूप में योग्यता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन आयोग द्वारा किया जाएगा और वे अनुभाग 503 में निर्धारित की गई क्षमताओं पर कार्यरत रहेंगे।

अनुभाग 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 700 के उपखंड (d) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(d) **योग्यताएँ।** आयोग का प्रत्येक सदस्य शहर का पंजीकृत मतदाता होगा। ना तो ~~आयोग~~ का कोई सदस्य और न ही उसका कार्यकारी निदेशक शहर के किसी भी कार्यालय या Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िले के शिक्षा बोर्ड कार्यालय के लिए चुनाव लड़ेगा, जिसके संबंध में आयोग ने आयुक्त या कार्यकारी निदेशक के कार्यकाल के दौरान कोई निर्णय लिया हो, जब तक कि उस कार्यालय के लिए चुनाव का आयोजन आयुक्त या कार्यकारी निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम दो वर्ष बाद न किया गया हो। ~~अपने कार्यकाल के दौरान, न तो आयोग का कोई सदस्य और न ही~~ उसका कार्यकारी निदेशक निम्नलिखित करेगा:

(1) कोई अन्य सार्वजनिक पद धारण करना;

(2) शहर के चुनाव अभियान में भाग लेना या योगदान करना;

(3) Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला शिक्षा बोर्ड के सदस्य के लिए चुनाव अभियान में भाग लेना या योगदान करना;

(4) किसी भी निर्वाचित कार्यालय के लिए चुनाव लड़ रहे शहर के अधिकारी या Los Angeles एकीकृत स्कूल ज़िला शिक्षा बोर्ड के सदस्य के लिए भाग लेना या योगदान करना; ~~या~~

(5) सिटी ऑफ़ Los Angeles में लॉबिस्ट के रूप में पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक व्यक्ति की तरह नियुक्त करना या नियुक्त होना;~~।~~

(6) किसी ऐसे व्यवसाय में स्वामित्व हित रखना (सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में स्टॉक के अलावा) जो शहर के साथ अनुबंध करता है या उसके विवेकाधीन अनुमोदन प्राप्त करता है; या किसी अनुबंध के तहत शहर को व्यक्तिगत रूप से मुआवज़े के बदले सेवाएँ प्रदान करता है;

(7) कसिी राजनीतकि अभयिान या शहर के कसिी पदाधकिारी द्वारा नयिंत्रति समतिि को मुआवज़े के बदले सलाह या सेवाएँ प्रदान करना; या

(8) समतियिों में इस प्रकार का योगदान करना कि वह व्यक्ति राजनीतकि सुधार अधनियिम के तहत प्रमुख दाता के रूप में योग्य पाया जाए।

अनुभाग 3. सटिी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 700 के उपखंड (e) और (f) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधति कयिा जाता है:

(e) **हटाना।** आयोग के कसिी ससदस्य को, सदस्य के नयिुक्ति करने वाले प्राधकिारी मेयर द्वारा, बहुमत द्वारा परषिद की सहमति से या परषिद के दो-तहिाई मतदानों से, कर्तव्य की काफी अधकि उपेक्षा कएि जाने, पद पर रहते हुए घोर कदाचार कएि जाने, पद की शक्तयिों और कर्तव्यों का नर्विहन करने में असमर्थ होने या इस अनुच्छेद के उल्लंघन के लिए हटाया जा सकता है, जसिके लिए उन आधारों की लखिति सूचना दी जानी ज़रूरी है जनिके आधार पर उसे हटाया गया है और जवाब देने का अवसर दयिा जाना ज़रूरी है।

(f) **खाली पद।** आयोग में खाली पदों को भरने के लिए नयिुक्तयिाँ उसी नयिुक्ति करने वाले उसी प्राधकिारी द्वारा 9030 दनिों के अंदर-अंदर की जाएंगी जसिने उस पद के पूर्व धारक को नयिुक्त कयिा था। खाली पदपदों को भरने के लिए नयिुक्ति उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए होगी जसि पर नयिुक्त कएि गये व्यक्ति को भर्ती कयिा गया है। कसिी खाली पद या खाली पदों से आयोग की शक्तयिों का प्रयोग करने के शेष सदस्यों के अधकिार पर कोई प्रतकिूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुभाग 4. सटिी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 701 के उपखंड (a) और (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधति कयिा जाता है:

अनुभाग 701. कार्यकारी नदिेशक, आयोग के कर्मचारी और प्राधकिरण का प्रतनिधिमिंडल।

(a) आआयोग एक कार्यकारी नदिेशक की नयिुक्ति करेगा और आयोग को उसे काम से नकिालने का अधकिार होगा, जो आयोग की नीतयिों एवं वनियिमों और लागू होने वाले कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। कार्यकारी नदिेशक आयोग की इच्छानुसार काम करेगा, नागरकि सेवा प्रावधानों के अधीन नहीं होगा या होगी, और कार्यकारी नदिेशक की नयिुक्ति में उसका कोई संपत्ति हति नहीं होगा। आयोग कार्यकारी नदिेशक के लिए समान कर्तव्यों और ज़मि्मेदारयिों पर वचिार करते हुए, अन्य नगर महाप्रबंधकों (जनरल मैनेजरों) के साथ संगत वेतन सीमा नर्धारति करेगा, और उस सीमा के अंदर-अंदर कार्यकारी नदिेशक के लिए वेतन को वार्षकि रूप से नर्धारति या समायोजति करेगा।कार्यकारी नदिेशक का वेतन परषिद द्वारा नर्धारति कयिा जाएगा, जो मेयर के अनुमोदन के वषियाधीन होगा और यह नयिुक्ति प्रशासनकि एवं अनुसंधान सेवाओं के कार्यालय के नदिेशक द्वारा पद में नहिति ज़मि्मेदारयिों और प्राधकिार की समीक्षा और वशि्लेषण के बाद प्रस्तुत की गई सफ़ारशि पर आधारति होगी। कार्यकारी नदिेशक उस पद पर दस वर्ष से अधकि समय तक काम नहीं करेगा।

(b) कार्यकारी नदिेशक आयोग के स्टाफ सदस्यों की नयिुक्ति करेगा और उन्हें कार्यमुक्त करने और उनके कर्तव्यों का नर्धारण करने का अधकिार रखता है। आयोग के गैर-लपिकि कर्मी कार्यकारी नदिेशक की इच्छानुसार काम करेंगे, नागरकि सेवा प्रावधानों के अधीन नहीं होंगे, और कार्यकारी नदिेशक का उनकी नयिुक्ति में कोई संपत्ति हति नहीं होगा।

अनुभाग 5. अनुभाग 703 के शीर्षक को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधति कयिा जाएगा:

नयिम, वनियिम और प्रस्ताव

अनुभाग 6. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 703 के उपखंड (c) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए जोड़ा गया है:

(c) आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी नीति प्रस्ताव को परिषद को प्रेषित करने के 180 दिनों के अंदर-अंदर, परिषद उस प्रस्ताव पर एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करेगी। अगर परिषद 180 दिन की अवधि के अंदर-अंदर सुनवाई का आयोजन नहीं करती है, तो शहर का क्लर्क नगर परिषद की अगली नियमित बैठक में प्रस्ताव को अनुसूचित करेगा।

अनुभाग 7. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 706 के उपखंड (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

(b) **संभावित कारण के निष्कर्ष; प्रशासनिक प्रवर्तन।** अगर आयोग के कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी निदेशक द्वारा नामित व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि यह मानने का संभावित कारण मौजूद है कि अभियान के वित्तपोषण, लॉबिंग, हितों के टकराव या शासकीय नैतिकता से संबंधित चार्टर या शहर के अध्यादेशों के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, तो कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी निदेशक द्वारा नामित व्यक्ति एक प्रशासनिक प्रवर्तन अभियोग जारी करवाएगा और उसे पहुंचवाएगा। कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी निदेशक के नामित व्यक्ति ~~आयोग~~ द्वारा संभावित कारण का कोई निष्कर्ष तब तक नहीं निकाला जाएगा, जब तक कि कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी निदेशक के नामित व्यक्ति द्वारा कथित उल्लंघन पर विचार करने से कम से कम 21 दिन पहले, उल्लंघन करने वाले कथित व्यक्ति को वापसी रसीद के अनुरोध के साथ प्रक्रिया या पंजीकृत मेल द्वारा सर्व (पहुंचाए जाने) किए जाने द्वारा कथित उल्लंघन की सूचना नहीं दी जाती है, उसे साक्ष्य का सारांश प्रदान नहीं किया जाता है, और उसे इस उद्देश्य के लिए आयोजित की गई किसी मुकद्दमेबाजी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने के ~~उसके~~ अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया जाता, जो इस बात पर विचार करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है कि क्या संभावित कारण मौजूद है कि उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है। कथित उल्लंघनकर्ता को नोटिस, सर्व (पहुंचाए जाने) किए जाने की तारीख को, पंजीकृत डाक रसीद पर हस्ताक्षर की तारीख को, या अगर पंजीकृत डाक रसीद पर हस्ताक्षर नहीं हैं, तो डाकघर द्वारा वापस लौटाए जाने की तारीख को पहुंचाया गया माना जाएगा। संभावित कारण पर विचार करने के उद्देश्य से आयोजित कोई अदालती कार्यवाही निजी होगी, जब तक कि कथित उल्लंघनकर्ता आयोग के समक्ष लिखित अनुरोध न कर दे कि कार्यवाही को सार्वजनिक बनाया जाए।

अनुभाग 8. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 706 के उपखंड (c) और (d) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(c) **प्रशासनिक सुनवाइयाँ, आदेश और जुर्माने।** किसी आरोप के जारी होने और सर्व (पहुंचाए जाने) किए जाने के बाद, आयोग यह निर्धारित करने के लिए सार्वजनिक साक्ष्य सुनवाई आयोजित करेगा कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है। जब आयोग सुनवाई में प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करता है कि उल्लंघन हुआ है, तो वह एक आदेश जारी करेगा जिसके तहत उल्लंघनकर्ता को यह करने की आवश्यकता होगी:

(1) उल्लंघन करना बंद करना और उसे करने से बचना;

(2) कानून द्वारा अपेक्षित कोई भी रिपोर्टें, बयान या अन्य दस्तावेज़ या जानकारी दायर करना; और/या

(3) प्रत्येक उल्लंघन के लिए शहर के सामान्य कोष में ~~पाँच~~ पंद्रह हज़ार डॉलर ($15,000 ~~5,000)~~ ~~तक का मौद्रिक जुर्माना देना, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष~~ समायोजित किया जाएगा, या उस राशि का तीन गुना जो वह व्यक्ति उचित

रूप से रिपोर्ट करने में विफल रहा था या गैरकानूनी तरीके से योगदान दिया, खर्च किया, दिया या प्राप्त किया, जो भी अधिक हो। जब आयोग यह निर्धारित कर लेता है कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वह यह बताते हुए एक घोषणा प्रकाशित करेगा।

(d) **एजेंसियों के बीच रेफ़रल।** चाहे कार्यकारी निदेशक या नामित व्यक्ति संभावित कारण के संबंध में कोई औपचारिक निर्धारण करें या नहीं, मामले को प्रवर्तन के उद्देश्यों से किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी को आगे भेजा जा सकता है।

अनुभाग 9. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 708 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 708. कानूनी सेवाएँ।

शहर का अटॉर्नी आयोग को कानूनी सेवाएँ प्रदान करेगा, सिवाय इसके कि, अनुभाग 275 में दिए गये प्रावधान के बावजूद, आयोग को सलाह देने के लिए और इस अनुभाग में वर्णित दो परिस्थितियों के तहत आवश्यक होने पर आयोग द्वारा निर्देशित कार्रवाई करने के लिए आयोग अपने स्वयं के कानूनी सलाहकार को काम पर बनाए रख सकता है। ~~अनुभाग 275 में दिए गये प्रावधान के बावजूद,~~ पहला, शहर के अटॉर्नी से स्वतंत्र, आयोग, आयोग को परामर्श देने के लिए और आयोग द्वारा निर्देशित कार्रवाई करने के लिए स्टाफ वकील को नियुक्त या अनुबंधित कर सकता है, जो~~जो~~ सीधे शहर के अटॉर्नी के आचरण, शहर के अटॉर्नी के अपने कार्यालय या शहर के अटॉर्नी के अपने चुनाव अभियान से संबंधित मामलों पर लागू होता है। दूसरा, आयोग किसी विशिष्ट जांच या प्रवर्तन मामले पर अनुभाग 706 के तहत आयोग की ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की कानूनी सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। इस दूसरी परिस्थिति में, आयोग और शहर के अटॉर्नी कानूनी फर्मों या वकीलों के एक पैनल को मंजूरी देंगे, जिसमें से आयोग इन सेवाओं के लिए कानूनी वकील का चयन कर सकता है।

अनुभाग 10. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 710 के उपखंड (a), (b) और (c) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(a) अनुभाग 275 के बावजूद, जब शहर का अटॉर्नी यह निर्धारित करता है कि शहर के अटॉर्नी के अपने कार्यालय में संभावित हितों का टकराव है और कार्यालय को चार्टर, शहरी अध्यादेश~~शों~~ या विनियम~~मों~~, या अभियान के वित्तपोषण, लॉबिंग, हितों के टकराव या शासकीय नैतिकता से संबंधित कानून~~नों~~ के एक कथित उल्लंघन की जांच नहीं की जानी चाहिए या मुकद्दमा नहीं चलाया जाना चाहिए, तो शहर का अटॉर्नी शहर के नैतिकता आयोग को सूचित करेगा, जो अपने सभी सदस्यों के चार बटा पांच मतदान से जांच-पड़ताल का आयोजन करने के लिए एक विशेष अभियोजक की ~~नियुक्ति~~ का ~~अनुरोध~~ करने का निर्णय ले सकता है। विशेष अभियोजक की नियुक्ति तब नहीं की जाएगी जब प्रारंभिक जांच-पड़ताल से यह प्रतीत हो कि कथित उल्लंघन के लिए केवल नागरिक क्षतिपूर्तियों या प्रशासनिक जुर्मानों की कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी।

(b) विशेष अभियोजक की नियुक्ति के लिए आयोग का ~~अनुरोध~~ विशेष अभियोजकों की सूची ~~में से प्रत्येक विषम-संख्या वाले वर्ष की शुरुआत में आयोग द्वारा चयनित~~ अनुमोदित तीन सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) न्यायाधीशों से बनी एक स्थायी समिति को भेजा जाएगा। ~~तीन न्यायाधीशों का पैनल~~ विशेष अभियोजक को नामित करेगा, ~~जिसे~~ नियुक्ति के बाद, जनता के नाम पर आपराधिक और नागरिक मुकद्दमे दायर करने और मुकद्दमे चलाने का अधिकार होगा।

(c) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शहर के नैतिकता आयोग के बजट में इस अनुभाग के अंतर्गत नियुक्त किसी विशेष अभियोजक को सहायता देने के लिए खर्च हेतु पाँच सौ~~दो सौ पचास~~ हजार डॉलर ($500,000~~250,000~~) की राशि ~~शामिल की जाएगी~~। अगर ये सभी निधियाँ किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले खर्च हो चुकी हों या

खर्च हो जाने की संभावना हो, तो आयोग परिषद से अतिरिक्त विनियोजन का अनुरोध करकह सकता है। किसी भी परिस्थिति में किसी विशेष अभियोजक के लिए अनुबंध के तहत विनियोजित या प्रदान की गई राशि, परिषद की मंजूरी के बिना किसी भी वित्तीय वर्ष में पाँच सौ दो सौ पचास हजार डॉलर ($500,000250,000) से अधिक नहीं होगी। आयोग से अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या संशोधित करने के लिए परिषद के पास इसकी प्राप्ति के बाद 30 दिन (सप्ताहांत और छुट्टियों को छोड़कर) का समय होगा। अगर परिषद उस समयावधि के अंदर-अंदर कार्रवाई नहीं करती है, तो इस अनुरोध को अनुमोदित माना जाएगा। अगर अनुरोध को पांच दिनों के अंदर-अंदर (सप्ताहांत और छुट्टियों को छोड़कर) अनुमोदित माना जाता है तो मेयर परिषद की कार्रवाई या निष्क्रियता पर कार्रवाई करेगा। अगर मेयर परिषद की कार्रवाई पर निषेधाधिकार लगाता है, तो परिषद के पास दो-तिहाई मतों से उस निषेधाधिकार को खारिज करने के लिए पांच दिन (सप्ताहांत और छुट्टियों को छोड़कर) होंगे।

अनुभाग 11. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 711 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 711. विनियोजन एवं खर्च।

(a) 2025-2026 वित्तीय वर्ष के बजट से शुरू करते हुए, परिषद आयोग के वार्षिक परिचालन बजट के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम सात मिलियन ($7,000,000) डॉलर का विनियोजन करेगी। विनियोजित राशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष में शहर के राजस्व में हुए परिवर्तन के आधार पर समायोजित किया जाएगा। हालांकि, अगर परिषद को लगता है कि ऐसी आपातकालीन परिस्थितियाँ मौजूद हैं कि उस वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन नहीं किया जाना चाहिए, तो पिछले वर्ष में शहर के राजस्व में हुए परिवर्तन के आधार पर आयोग के वार्षिक बजट में समायोजन की आवश्यकता नहीं है। परिषद प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष से कम से कम एक वर्ष पहले आयोग के लिए धनराशि का विनियोजन करेगी।

(b) आयोग के खर्चों के लिए शहर के कार्यालयों या कार्मिकों की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ खर्च आयोग के बजट के अंदर-अंदर हो, जब तक कि परिषद को अत्यावश्यक परिस्थितियों का पता न चल जाए। आयोग खर्च से संबंधित लागू होने वाली शहर की आवश्यकताओं, प्रक्रियाओं और कानूनों का अनुपालन करेगा।

(c) आयोग जब अपने बजट के अंदर-अंदर परिचालन करता है तो उस पर भर्ती पर रोक नहीं लगाई जाती, जब तक कि परिषद को किसी अत्यावश्यक परिस्थिति का पता न चल जाए।

अनुभाग 12. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1001 के उपखंड (a) (13) में संशोधन करके प्रावधान किया जाता है कि आचार आयोग के सभी पद नागरिक सेवा से मुक्त होंगे और निम्नलिखित अनुसार पढ़े जाएंगे:

(13) शहर के नैतिकता आयोग के कार्यकारी निदेशक और सभी गैर-लिपिक कर्मी।

अनुभाग 13. अगर इस चार्टर संशोधन के किसी अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग को किसी न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, इस अनुच्छेद के शेष अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस लेख के प्रावधान अलग किए जाने योग्य रहेंगे। इसके अलावा, मतदाता घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस चार्टर संशोधन के असंवैधानिक या अमान्य माने गये सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों के अलावा बाकी सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों को पारित किया होता।

FF LOS ANGELES अग्नि विभाग और पुलिस पेंशन; शांति अधिकारी। चार्टर संशोधन FF.

क्या शहरी चार्टर में संशोधन किया जाएगा, ताकि: पुलिस, हवाई अड्डा, बंदरगाह, और मनोरंजन और पार्क विभागों द्वारा रोज़गाररत शांति अधिकारियों को Los Angeles शहर कर्मचारी सेवानिवृत्त प्रणाली (LACERS) से Los Angeles अग्नि विभाग और पुलिस पेंशन योजना (LAFPP) में सदस्यता और सेवा को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए; और शहर के लिए संबंधित लागतें भरने को आवश्यक बनाया जाए, जिसमें पूर्व स्थानांतरणों के लिए कुछ हवाई अड्डा और पुलिस विभाग के सदस्यों को धन-वापसियाँ (रीफंड) किया जाना शामिल हो?

निष्पक्ष सारांश
SHARON M. TSO, मुख्य विधायी विश्लेषक द्वारा

Los Angeles शहरी चार्टर (चार्टर) में प्रावधान है कि कुछ शहर के कर्मचारी जो शपथबद्ध शांति अधिकारी हैं और शहर के पुलिस, हवाई अड्डों, बंदरगाह और मनोरंजन और पार्क विभागों के लिए शांति अधिकारी कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे Los Angeles शहर के कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्रणाली (LACERS शांति अधिकारी) के सदस्य हैं। पिछले चार्टर संशोधनों ने शपथबद्ध शांति अधिकारियों के योग्य समूहों को LACERS से LACERS से Los Angeles अग्निशमन विभाग और पुलिस पेंशन प्लैन (LAFPP) में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया है। शहर के अन्य शपथबद्ध शांति अधिकारी कर्मचारियों में से अधिकांश LAFPP के सदस्य हैं। LAFPP का श्रेणी 6 LAFPP के योग्य सदस्यों के लिए पेंशन प्लैन है।

यह विधेयक चार्टर में संशोधन करेगा, जिससे नगर परिषद को एक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जा सकेगा, जिसके तहत LACERS शांति अधिकारी, जो 12 जनवरी 2025 को सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, LAFPP में स्थानांतरित होने के लिए एक बार का चुनाव कर सकेंगे। इसमें LACERS के वे शांति अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्होंने पूर्व में चार्टर संशोधनों के अनुसरण में LAFPP में स्थानांतरित होने का चुनाव नहीं किया था।

यह विधेयक शहर और Los Angeles हवाई अड्डा शांति अधिकारी संघ द्वारा प्रतिनिधित्व वाली सौदेबाजी वाली यूनिटों के बीच निष्पादित समझौता पत्रों के अनुरूप है। यह विधेयक शहर की कार्यकारी कर्मचारी संबंध समिति द्वारा शहर के पुलिस और बंदरगाह विभागों के शपथबद्ध कर्मचारियों को शामिल करने के लिए की गई कार्रवाई के अनुरूप भी है, जो इस समय LACERS के सदस्य हैं। प्रस्तावित विधेयक चार्टर के अनुच्छेद XI, भाग 3 की कुछ धाराओं में संशोधन करता है। यह विधेयक नगर परिषद को एक कार्यान्वित किए जाने वाला अध्यादेश अपनाने तथा Los Angeles प्रशासनिक संहिता में संहिताबद्ध LACERS प्लैन के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार भी देता है।

इस विधेयक के चार प्रमुख घटक हैं:

- नगर परिषद को एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अधिकृत करना जिसके तहत 12 जनवरी 2025 को सक्रिय रूप से कार्यरत LACERS शांति अधिकारी, LACERS से LAFPP के श्रेणी 6 में अपनी सदस्यता स्थानांतरित करने के लिए एक बार का अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकते हैं, जिसमें सदस्यता

के बाद LACERS से LAFPP के श्रेणी 6 में सेवा के सभी पिछले वर्षों और योगदानों का स्थानांतरण भी शामिल है।

- नगर परिषद को एक प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अधिकृत करना जिसके द्वारा कुछ श्रेणी 6 सदस्य शहर के बाकी बचे सेवा कार्यकाल और रिटायरमेंट योगदान को LACERS से LAFPP में स्थानांतरित कर सकें।
- Los Angeles प्रशासनिक संहिता के अनुसार, LAFPP को श्रेणी 6 सदस्यों द्वारा अपने शहर के सेवा कार्यकाल या श्रेणी 6 स्वास्थ्य लाभों के किसी भी हिस्से को खरीदने के लिए पहले से किए गए सभी पैसे का टैक्स-अनुपालन वाला रीफंड प्रदान करने की आवश्यकता है।
- शहर को LACERS शांति अधिकारियों को LACERS से LAFPP श्रेणी 6 में स्थानांतरित करने से संबंधित सभी लागतों का भुगतान करने की आवश्यकता है, और इस चार्टर संशोधन के अनुसरण में अपनाए गए किसी भी संबद्ध अध्यादेश के अनुसार श्रेणी 6 सदस्यों को वापस की गई धनराशि की पूरी लागत के लिए LAFPP को प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। शहर का सामान्य कोष, हवाई अड्डे, बंदरगाह, तथा मनोरंजन एवं पार्क विभाग पेंशन प्लैन सदस्यता और पूर्व सेवा कार्यकाल के हस्तांतरण से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेंगे।

अगर मतदाताओं के बहुमत से इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक प्रभावी हो जाएगा।

वित्तीय प्रभाव का विवरण
MATTHEW W. SZABO, शहर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

यह विधेयक इस समय पुलिस, हवाई अड्डे, बंदरगाह, और मनोरंजन एवं पार्क विभागों में कार्यरत लगभग 460 शांति अधिकारियों और पार्क रेंजरों को Los Angeles शहर के कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्रणाली (LACERS) से पेंशन योजना सदस्यता और सेवा कार्यकाल को Los Angeles अग्निशमन और पुलिस पेंशन (LAFPP) में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इस विधेयक के तहत शहर को LAFPP को स्थानांतरणों से संबंधित सभी एकमुश्त और वार्षिक लागतों का भुगतान करना होगा, साथ ही उन अन्य सदस्यों को धन-वापसी (रीफंड) की लागतों का भी भुगतान करना होगा, जिन्होंने पहले किसी वैकल्पिक स्थानांतरण में शहर का सेवा कार्यकाल खरीदा था। अनुमानित एकमुश्त लागत $109,500,000 है, जिसमें $106,000,000 स्थानांतरण लागतें और $3,500,000 धन-वापसियाँ (रीफंड) शामिल हैं। अनुमानित वार्षिक लागत $6,300,000 है, जिसे वेतन-सूची में होने वाले परिवर्तनों के अनुपात में प्रतिवर्ष समायोजित किया जाता है।

शहर का सामान्य कोष, हवाई अड्डा राजस्व कोष और बंदगाह राजस्व कोष अपने-अपने संबंधित प्रभावित सदस्यों के लिए सभी लागतों का भुगतान करेंगे। सामान्य निधि एकमुश्त भुगतान के लिए लगभग $23,000,000 तथा वार्षिक भुगतान के लिए $1,000,000 का भुगतान करेगी, जिसे वेतन-सूची में होने वाले परिवर्तनों के अनुपात में प्रतिवर्ष समायोजित किया जाएगा।

चार्टर संशोधन FF के पक्ष में तर्क

चार्टर संशोधन FF पर हाँ में मतदान करें।

विधेयक FF एक सरल विधेयक है जो शहर द्वारा काम पर नियुक्त किए गये सभी शांति अधिकारियों को समान पेंशन प्लैन के तहत आने का अवसर देगा, चाहे वे किसी भी विभाग में काम करते हों। इन सभी शांति अधिकारियों को समान प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी होता है, समान कार्य करने होते हैं, तथा समान जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उन्हें समान लाभ पाने के लिए भी योग्य होना चाहिए।

मौजूदा समय में, Los Angeles पुलिस विभाग (LAPD) द्वारा काम पर नियुक्त किए गये शांति अधिकारी LA अग्निशामक एवं पुलिस पेंशन प्लैन (LAFPP) द्वारा कवर किए जाते हैं, साथ ही बंदरगाह पुलिस (2004 से) और हवाई-अड्डा पुलिस (2018 से) में नए कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। हालांकि, हवाई अड्डा, बंदरगाह, मनोरंजन और पार्क विभाग और LAPD द्वारा काम पर नियुक्त किए गये कुछ शांति अधिकारी LA नागरिक कर्मचारी रिटायरमेंट प्लैन (LACERS) के तहत आते हैं। LACERS के तहत आने वाले कुछ शांति अधिकारियों को, लेकिन सभी को नहीं, बढ़ी हुई सार्वजनिक सुरक्षा पेंशन का भी लाभ मिलता है। यह पिछले 20 वर्षों में राज्य कानून और शहरी चार्टर में हुए विभिन्न बदलावों का परिणाम है।

कुछ शांति अधिकारियों के लिए विभिन्न पेंशन प्लैनों और लाभों का यह मिश्रण शहर के लिए समस्याएँ पैदा करता है। विधेयक FF शहर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच स्थानांतरण के लिए हतोत्साहन को समाप्त करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च योग्यता वाले कर्मचारी अन्य विभागों में पदों को भर सकें। इससे एक जैसे कर्मचारियों को कवर करने वाली पेंशन श्रेणियों को आसान बनाकर शहर पर प्रशासनिक बोझ भी कम हो जाएगा। बंदरगाह और हवाई अड्डा पुलिस के अधिकारी इस बदलाव की लागत के लिए योगदान दे रहे हैं ताकि राजकोषीय प्रभाव को कम किया जा सके।

विधेयक FF एक स्मार्ट, प्रभावी नीति है जो आपकी सार्वजनिक सुरक्षा और आपकी सरकार की दक्षता को बढ़ाती है। यह आपके समर्थन का हकदार है।

इस पृष्ठ पर छपे हुए तर्क लेखकों की राय हैं और उन्हें सटीकता के लिए शहर की किसी भी एजेंसी के द्वारा जाँचा नहीं गया है।

BOB BLUMENFIELD
परिषद सदस्य, City of Los Angeles

JOHN S. LEE
परिषद सदस्य, City of Los Angeles

PAUL KREKORIAN
परिषद सदस्य, City of Los Angeles

MARSHALL E. MCCLAIN
अध्यक्ष
Los Angeles Airport Peace Officers Assn.

KAREN BASS
मेयर, City of Los Angeles

TRACI PARK
परिषद सदस्या, City of Los Angeles

ANTONIO VILLARAIGOSA
पूर्व मेयर, City of Los Angeles

JOE LOSORELLI
Chief Park Ranger, Los Angeles

इस उपाय के खिलाफ कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था।

चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों में जोड़े गए नए प्रावधान या भाषा को रेखांकित टाइप में दिखाया गया है; चार्टर या मौजूदा चार्टर अनुभागों से मिटाए गए शब्दों को ~~स्ट्राइकआउट~~ टाइप में दिखाया गया है।

चार्टर संशोधन FF

अनुभाग 1. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1202 के उपखंड (e) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(e) **विभाग का सदस्य:** वह व्यक्ति जो अग्निशमन विभाग का शपथबद्ध सदस्य है या पुलिस विभाग का शपथबद्ध सदस्य है, जैसा कि प्रत्येक श्रेणी के लिए इन शब्दांशों को परिभाषित किया गया है। इस शब्दांश में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो पुलिस विभाग का शपथबद्ध सदस्य है, जो चार्टर के अनुभाग 1703 या 1709 द्वारा चुनाव को अधिकृत बनाने के लिए योग्य था, लेकिन Los Angeles शहर की कर्मचारी रिटायरमेंट प्रणाली का एक सदस्य बना रहा था। इस शब्दांश में ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो बंदरगाह विभाग का शपथबद्ध सदस्य है, जो प्लैन की किसी भी श्रेणी के प्रावधानों के अनुसार प्लैन में सदस्यता के लिए पात्रता प्राप्त करता है, लेकिन इसमें बंदरगाह विभाग का कोई भी शपथबद्ध कर्मचारी शामिल नहीं होगा, जिसे 8 जनवरी, 2006 से पहले नियुक्त किया गया था और जो चार्टर के अनुभाग 1709 द्वारा चुनाव को अधिकृत बनाने के लिए योग्य था, लेकिन Los Angeles शहर की कर्मचारी रिटायरमेंट प्रणाली का एक सदस्य बना रहा था। साथ ही, इस शब्दांश में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो हवाई-अड्डे विभा~~गविभाग~~ का एक शपथबद्ध सदस्य है, जो प्लैन के किसी भी श्रेणी के प्रावधानों के अनुसरण में प्लैन में सदस्यता के लिए योग्य होता है, लेकिन हवाई-अड्डे विभा~~गविभाग~~ के किसी कर्मचारी को शामिल नहीं करेगा जिसे 7 जनवरी, 2018 से पहले नियुक्त किया गया था और जो चार्टर के अनुभाग 1704 या 1709 द्वारा चुनाव को अधिकृत बनाने के लिए योग्य था, लेकिन Los Angeles शहर की कर्मचारी रिटायरमेंट प्रणाली का एक सदस्य बना रहा था। अंत में, इस शब्दांश में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल होगा जो मनोरंजन और पार्क विभाग का एक शपथबद्ध सदस्य है, जो चार्टर के अनुभाग 1709 के अनुसरण में प्लैन में सदस्यता के लिए योग्य होता है, लेकिन मनोरंजन और पार्क विभाग के किसी कर्मचारी को शामिल नहीं करेगा जो चार्टर के अनुभाग 1709 द्वारा चुनाव को अधिकृत बनाने के लिए योग्य था, लेकिन Los Angeles शहर की कर्मचारी रिटायरमेंट प्रणाली का एक सदस्य बना रहा था।

अनुभाग 2. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1700 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 1700. श्रेणी 6 में सदस्यता।

(a) **नियुक्त किया गया प्रमुख।** पुलिस प्रमुख, अग्निशमन प्रमुख, या बंदरगाह वार्डन जो 1 जुलाई 2011 को या उसके बाद उस पद पर नियुक्त किया गया हो, और हवाई अड्डे की पुलिस का प्रमुख जो 7 जनवरी, 2018 को या उसके बाद उस पद पर नियुक्त किया गया हो, और जो नियुक्ति के समय न तो प्लैन का सदस्य हो और न ही रिटायरमेंट प्लैन का सदस्य हो, नियुक्ति के बाद वह श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य बन जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के सात कैलेंडर दिनों के अंदर-अंदर वह श्रेणी 6 की सदस्यता के बदले में शहर की कर्मचारी रिटायरमेंट प्रणाली (Los Angeles City Employees' Retirement System, LACERS) का सदस्य बनने के लिए अग्निशमन और पुलिस पेंशन विभाग के साथ लिखित रूप से ऑप्ट आउट (बाहर रहने) का चयन दाखिल नहीं करता है। कोई प्रमुख जो 1 जुलाई, 2011 को या उसके बाद उस पद पर नियुक्त किया जाता है और वह अपनी नियुक्ति के दिन से ही विभाग का सदस्य या सदस्या है, वह उस श्रेणी का सदस्य या सदस्या बना रहेगा जिससे वह प्रमुख के रूप में नियुक्ति से पहले संबंधित था। एक रिटायरमेंट प्लैन सदस्य जो 1 जुलाई 2011 को या उसके बाद प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया हो, नियुक्ति के समय वह श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य या सदस्या बनने की बजाय LACERS का सदस्य या सदस्या बन जाएगा, और उसे वे सभी लाभ मिलते रहेंगे

जिनके लिए वह रिटायरमेंट प्लैन के सदस्य या सदस्या के रूप में हकदार है और जिनकी सेवा में रहते हुए वितरण को नियंत्रित करने वाले संघीय टैक्स कानूनों के तहत अनुमति दी गई है, लेकिन प्रमुख के रूप में अपनी नियुक्ति के आधार पर उसे प्लैन से लाभ पाने का कोई अतिरिक्त अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक पार्क रेंजर प्रमुख जो अपनी नियुक्ति के दिन पर पहले से ही प्लैन का सदस्य या सदस्या है, वह उस श्रेणी का सदस्य या सदस्या बना रहेगा या रहेगी जिससे वह मुख्य पद पर नियुक्ति से पहले संबंधित था या थी, लेकिन एक पार्क रेंजर प्रमुख जो नियुक्ति के समय प्लैन सदस्य या सदस्या नहीं है, वह LACERS का सदस्य या सदस्या बन जाएगा या जाएगी या बना रहेगा या रहेगी। एक पार्क रेंजर प्रमुख जो नियुक्ति के समय एक रिटायरमेंट प्लैन का सदस्य या सदस्या है, LACERS का सदस्य या सदस्या बन जाएगा और उसे वे सभी लाभ मिलते रहेंगे जिनके वह रिटायरमेंट प्लैन सदस्य या सदस्या के रूप में हकदार है और जिनकी सेवा में रहते हुए वितरण को नियंत्रित करने वाले संघीय टैक्स कानूनों के तहत अनुमति दी गई है, लेकिन पार्क रेंजर प्रमुख के रूप में अपनी नियुक्ति के आधार पर उसे प्लैन से लाभ पाने का कोई अतिरिक्त अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(b) **नियुक्त किए गये सदस्य।** प्रमुख के अलावा, हरेक व्यक्ति, जिन्हें 1 जुलाई 2011 को या उसके बाद विभाग सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य बन जाएगा जब वह (1) ऐसे व्यक्ति द्वारा पुलिस या अग्निशमन अकादमी या समकक्ष सुविधा-स्थल से प्रशिक्षण प्राप्त कर ग्रेजुएट हो जाता है, जो अग्निशमन कर्मी या पुलिस अधिकारी के रूप में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करता हो और सिटी ऑफ़ Los Angeles द्वारा इस रूप में अनुरक्षित हो, या (2) बंदरगाह विभाग द्वारा आवश्यक अकादमी प्रशिक्षण से ग्रेजुएट हो जाता है। श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य बन जाने पर, कोई भी सदस्य बोर्ड द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के लिए सेवा वर्ष क्रेडिट खरीदने का विकल्प चुन सकता है।

(c) **वे व्यक्ति जो श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य नहीं बनते हैं।** इस अनुभाग के उपखंडों (b), (f), (g), और (h) में दिए गये प्रावधानों के बावजूद:

(1) वह व्यक्ति जो किसी अन्य श्रेणी के प्लैन का सदस्य या सदस्या है और जिसे सेवा में किसी अंतराल के बिना किसी दूसरे पद पर नियुक्त किया जाता है, जो अन्यथा उसे श्रेणी 6 की सदस्यता के लिए पात्रता प्रदान करता है, वह इस नई नियुक्ति के आधार पर श्रेणी 6 का सदस्य या सदस्या नहीं बनेगा, बल्कि वह उस श्रेणी का सदस्य या सदस्या बना रहेगा, जिससे वह अपनी नई नियुक्ति से पहले संबंधित था।

(2) बंदरगाह विभाग के साथ 8 जनवरी, 2006 से पहले शपथबद्ध पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, जिसने श्रेणी 5 या श्रेणी 6 पर हस्तांतरित होने का चयन किया था और LACERS का सदस्य या सदस्या बना रहा था या थी, अगर बाद में बंदरगाह विभाग सेवा में बिना किसी अंतराल के उसे किसी अन्य बंदरगाह विभाग के शपथबद्ध पद पर नियुक्त किया जाता है जो अन्यथा उसे श्रेणी 6 में सदस्यता के लिए योग्य बनाता है, नियुक्ति के बाद श्रेणी 6 का सदस्य नहीं बनेगा या बनेगी, लेकिन LACERS का सदस्य या सदस्या बना रहेगा या रहेगी।

(3) कोई भी प्लैन सदस्य या सदस्या जो किसी अन्य श्रेणी से विकलांगता पेंशन पर रिटायर हुआ हो और बाद में विभाग के सदस्य या सदस्या के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर बहाल हो गया हो, वह श्रेणी 6 का सदस्य या सदस्या नहीं बनेगा, बल्कि उस श्रेणी की सदस्यता पर वापस आ जाएगा, जहाँ से वह रिटायर हुआ था या हुई थी।

(4) प्लैन का कोई भी सदस्य या सदस्या जो किसी अन्य श्रेणी से सेवा पेंशन पर रिटायर हुआ हो और बाद में विभाग के सदस्य या सदस्या के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर वापस आ गया हो, वह श्रेणी 6 का सदस्य या सदस्या नहीं बनेगा, बल्कि उस श्रेणी की सदस्यता पर वापस आ जाएगा, जहाँ से वह रिटायर हुआ था या हुई थी।

(5) 7 जनवरी, 2018 को या उसके बाद हवाई अड्डे विभाग विभाग या अग्निशमन विभाग में शपथबद्ध पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, जिसने श्रेणी 6 पर हस्तांतरित होने का चयन नहीं किया था और LACERS का सदस्य या सदस्या बना रहा था, अगर बाद में हवाई अड्डे विभाग विभाग सेवा में बिना किसी अंतराल के उसेकिसी अन्य हवाई अड्डे विभाग विभाग के शपथबद्ध पद पर या अग्निशमन विभाग के शपथबद्ध पद पर नियुक्त किया जाता है जो अन्यथा उसे श्रेणी 6 में सदस्य या सदस्या होने के लिए योग्य बनाता या बनाती है, वह नियुक्ति के बाद श्रेणी 6 का सदस्य या सदस्या नहीं बनेगा या बनेगी, लेकिन LACERS का सदस्य बना रहेगा या रहेगी।

(6) मनोरंजन और पार्क विभाग के साथ शपथबद्ध पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, जिसने श्रेणी 6 पर हस्तांतरित होने का चयन नहीं किया था और LACERS का सदस्य बना रहा था।

(7) 12 जनवरी, 2025 के बाद मनोरंजन और पार्क विभाग के साथ शपथबद्ध पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति।

(d) **पूर्व सदस्य।** किसी भी श्रेणी का कोई भी पूर्व सदस्य, जो त्यागपत्र या बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप सदस्य न रहा हो और जिसे 1 जुलाई, 2011 को या उसके बाद विभाग के एक सदस्य के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया हो, वह श्रेणी 6 का सदस्य बन जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को उसकी पूर्व सेवा के लिए अंशदानों का वापसी भुगतान नहीं मिला था, तो इस श्रेणी 6 में निहित "सेवा के वर्षों" की परिभाषा ऐसे व्यक्ति की सेवा क्रेडिट के अधिकार के संबंध में नियंत्रित होगी और ऐसे व्यक्ति को ऐसी पूर्व सेवा के कारण पीछे के अंशदानों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सदस्य या सदस्या को अपनी पूर्व श्रेणी से अंशदान की वापसी का कोई अधिकार नहीं था, तो उसे पूर्व श्रेणी के प्रावधानों के अंतर्गत उसके द्वारा पहले किए गए अंशदान की वापसी का कोई अधिकार नहीं होगा, उस स्थिति में जब उसे प्लैन के सदस्य या सदस्या के रूप में बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब ऐसे व्यक्ति को उसकी बर्खास्तगी के बाद अपने अंशदानों का वापसी भुगतान प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति की ऐसी पूर्व सेवा की अवधि के लिए सेवा के वर्षों के क्रेडिट की पात्रता इस शर्त पर होगी कि वह अग्नि एवं पुलिस पेंशन प्लैन को पूर्व में वापस किए गए अंशदान की राशि वापस चुकाने का चयन करेगा या करेगी और उस पर ब्याज सहित ऐसी राशि का भुगतान करेगा या करेगी जो ब्याज के रूप में गणना की जाएगी जो बोर्ड द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी समाप्ति की तारीख और प्लैन के सदस्य या सदस्या के रूप में सेवा में प्रवेश की तारीख के बीच अर्जित की गई होगी। उस स्थिति में जब ऐसा सदस्य या सदस्या उस प्रकार के भुगतान को वापस करने का चयन नहीं करता या करती है, तो इस श्रेणी 6 में अन्यत्र प्रयुक्त सेवा के वर्षों में उसकी पुनर्नियुक्ति से पहले की कोई अवधि शामिल नहीं होगी, अनुभाग 1702(q)(r) और (r)(s) में निहित परिभाषाओं के बावजूद।

(e) **श्रेणी 6 में हस्तांतरण की अनुमति देने वाली परिषद प्राधिकरण।** परिषद अध्यादेश के अनुसार अन्य श्रेणियों के प्लैन सदस्यों को स्वेच्छा से श्रेणी 6 में हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत कर सकती है, बशर्ते कि ऐसे हस्तांतरण प्लैन के लिए बीमांकिक रूप से लागत-तटस्थ हों। इस उप-अनुभाग के अनुसार अपनाए गए अध्यादेशों को उसी प्रकार अपनाया जाएगा जैसा कि इस चार्टर के अनुभाग 1618(b) में प्रावधान किया गया है, लेकिन प्रस्तावित बदलावों की लागत के बारे में नगर परिषद को एक नामांकित बीमांकिक द्वारा लिखित रूप में सलाह दी जाएगी।

(f) **हवाई अड्डे विभाग विभाग के सदस्य।** इस अनुभाग के उपखंड (b) में वर्णित विभाग सदस्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित व्यक्ति श्रेणी 6 में सदस्यता के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं, जैसा कि नीचे प्रदान किया गया है:

(1) **7 जनवरी, 2018 को या उसके बाद नियुक्त हुए व्यक्ति।** 7 जनवरी, 2018 को या उसके बाद हवाई अड्डे विभाग विभाग के सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, जैसा कि अनुभाग 1702(d) में परिभाषित किया गया है, हवाई अड्डे विभाग विभाग द्वारा आवश्यक अकादमी प्रशिक्षण से ग्रेजुएट होने पर

श्रेणी 6 प्लैन का एक सदस्य बन जाएगा। श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य बनने पर, कोई सदस्य बोर्ड द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार अकादमी प्रशिक्षण अवधि के लिए सेवा वर्ष क्रेडिट खरीदने का विकल्प चुन सकता है, बशर्ते कि केवल वह अकादमी प्रशिक्षण समय की ही खरीद के योग्य हो, जिसके दौरान वह व्यक्ति अंशकालिक, मौसमी और अस्थायी कर्मचारियों के लिए पेंशन बचत प्लैन का सदस्य था। 7 जनवरी, 2018 को या उसके बाद नियुक्त एक हवाई अड्डा पुलिस प्रमुख, नियुक्ति के समय लिखित रूप में अपरिवर्तनीय रूप से श्रेणी 6 का सदस्य या सदस्या न बनने का चुनाव कर सकता या सकती है, बशर्ते कि वह ऐसे चुनाव के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता या करती हो, जैसा कि अनुभाग 1700(a) में निर्धारित किया गया है।

(2) **7 जनवरी 2018 से पहले नियुक्त व्यक्ति।** 7 जनवरी, 2018 से पहले हवाई अड्डे विभाग ~~विभाग~~ के सदस्य के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति, जैसा कि अनुभाग 1702(d) में परिभाषित किया गया है, और जो उस तारीख को हवाई अड्डे ~~विभाग~~ के सदस्य या सदस्या के रूप में कार्यरत है, जैसा कि अनुभाग 1702(d) में परिभाषित किया गया है, नीचे दिए गए नियमों और शर्तों पर और इस प्रावधान को लागू करने के लिए नगर परिषद द्वारा अपनाए गए किसी भी अध्यादेश में, LACERS में सदस्यता के बदले में श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य या सदस्या बनने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन लिखित रूप में कर सकता या सकती है, बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति तब तक श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य या सदस्या नहीं बनेगा या बनेगी जब तक कि उसने हवाई अड्डे विभाग ~~विभाग~~ द्वारा आवश्यक अकादमी प्रशिक्षण को पूरा न कर लिया हो। जो व्यक्ति नीचे निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना चयन दर्ज नहीं करता है, वह LACERS का सदस्य या सदस्या बना रहेगा और अगर बाद में उसे हवाई अड्डे विभाग ~~विभाग~~ की सेवा में बिना किसी व्यवधान के हवाई अड्डे विभाग~~विभाग~~ के शपथबद्ध पद पर या अग्निशमन विभाग के शपथबद्ध पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह LACERS का सदस्य या सदस्या बना रहेगा या रहेगी, जिसके लिए उसे अन्यथा श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य या सदस्या बनना आवश्यक होता।

(g) **बंदरगाह सदस्य और सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस विभाग के पूर्व सदस्य।** इस अनुभाग के उपखंड (b) में वर्णित विभाग के सदस्यों के अतिरिक्त, वे व्यक्ति जो बंदरगाह विभाग के शपथबद्ध कर्मचारी हैं और वे व्यक्ति जो सार्वजनिक सुरक्षा कार्यालय में अपने पूर्व, निरंतर रोज़गार के परिणामस्वरूप पुलिस विभाग के शपथबद्ध कर्मचारी बन गए हैं, वे इस प्रावधान को लागू करने के लिए नगर परिषद द्वारा अपनाए गए किसी भी अध्यादेश के अनुपालन में, LACERS में सदस्यता के बदले में श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य बनने के लिए लिखित रूप में एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अध्यादेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर चुनाव दाखिल नहीं करता है, वह LACERS सदस्य के रूप में बना रहेगा और अगर बाद में उसे विभागीय सेवा में बिना किसी अंतराल के किसी अन्य शपथबद्ध पद पर नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए उसे श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य बनना आवश्यक होगा, तो वह LACERS सदस्य या सदस्या बना रहेगा या रहेगी।

(h) **मनोरंजन एवं पार्क विभाग के सदस्य।** इस अनुभाग के उपखंड (b) में वर्णित विभाग सदस्यों के अलावा, वे व्यक्ति जो मनोरंजन और पार्क विभाग के शपथबद्ध कर्मचारी हैं, वे इस प्रावधान को लागू करने के लिए नगर परिषद द्वारा अपनाए गए किसी भी अध्यादेश के अनुपालन में, LACERS में सदस्यता के बदले में श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य या सदस्या बनने के लिए लिखित रूप में अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अध्यादेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर चुनाव दाखिल नहीं करता है, वह LACERS सदस्य या सदस्या के रूप में बना रहेगा और अगर बाद में उसे विभागीय सेवा में बिना किसी अंतराल के किसी अन्य शपथबद्ध पद पर नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए उसे अन्यथा श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य या सदस्या बनना आवश्यक होगा, तो वह LACERS सदस्य या सदस्या बना रहेगा।.

(i) ~~इस उपप्रभाग~~खंडों (f)(2), (g), या (h) के अनुसार किए गए सभी चयनों को चुनाव को नियंत्रित करने के लिए अनुभागों 1703, 1704, या 1709, द्वारा अधिकृत परिषद द्वारा अपनाए गए अध्यादेश की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसमें शामिल हैं सेवा खरीद, अंशदान और चुनाव की लागत को नियंत्रित करने वाली सभी संबंधित आवश्यकताएँ।

(j) अनुभागों 1706 और 1708 के प्रयोजनों के लिए, जो श्रेणी 6 विकलांगता पेंशन और श्रेणी 6 उत्तरजीविता पेंशन से संबंधित हैं, और अनुभाग 1212, जो विभाग के किसी सदस्य द्वारा श्रमिक मुआवजे की प्राप्ति के प्रभाव से संबंधित है, श्रेणी 6 प्लैन का कोई सदस्य जो इस अअनुभाग के उपखंडोंप्रभाग (f)(2), (g), या (h), अनुभागों 1703, 1704 या 1709 और उन अअनुभागों 1704 द्वारा अधिकृत परिषद द्वारा अपनाए गए अध्यादेशों के तहत हस्तांतरित होता है, उसे उन सभी रोज़गार अवधियों के दौरान अनुभाग 1202(e) में परिभाषित अनुसार विभाग का एक सदस्य माना जाएगा, जिसके लिए उस सदस्य को अनुभागों 1703, 1704 या 1709 और उन अअनुभागों 1704 द्वारा अधिकृत परिषद द्वारा अपनाए गए अध्यादेशों के अनुसार सेवा के वर्षों का क्रेडिट प्राप्त होता है, भले ही वह व्यक्ति रोज़गार के समय वास्तविक श्रेणी 6 प्लैन का एक सदस्य न हो। इस प्रावधान का आशय यह है कि व्यक्ति को इन अनुभागों के प्रयोजनों के लिए रोज़गार के समय विभाग का सदस्य माना जाएगा, ताकि श्रेणी 6 के प्रावधानों के अनुसार दी गई किसी भी विकलांगता या उत्तरजीविता पेंशन की अनुदान राशि को अनुभाग 1212 में दिए गए प्रावधान के अनुसार कम किया जाएगा।

अनुभाग 3. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1702 के उपखंडों (d), और (q) में संशोधन किया गया है, एक नई उपखंड (e) जोड़ी गई है, और उपखंडों (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), उपखंडों को (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t) में पुनः क्रमांकित किया गया है, क्रमशः, इस प्रकार पढ़े जाने के लिए:

अनुभाग 1702 परिभाषाएँ।

अग्नि एवं पुलिस पेंशन प्लैन के सामान्य प्रावधानों के भाग 3 में परिभाषित शब्दों और वाक्यांशों के अतिरिक्त, और इस श्रेणी 6 के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शब्दों या वाक्यांशों का वही अर्थ होगा जो उन्हें इस अनुभाग में दिया गया है, जब तक कि संदर्भ में स्पष्ट रूप से कोई भिन्न अर्थ इंगित न किया गया हो।

(a) **अग्निशमन विभाग के सदस्य।** अग्निशमन विभाग के सदस्य का अर्थ है सिविल सेवा नियमों और विनियमों या चार्टर के प्रावधान, या दोनों के तहत, अग्निशमन प्रमुख और अग्निशमन विभाग में विधिवत और नियमित रूप से नियुक्त हुआ कोई व्यक्ति, जो मूल नियमित और स्थायी नियुक्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिसके लिए शहर के लिए एक अग्निशमन अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के लिए, परिवीक्षा अवधि की सेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन मूल आपातकालीन या अस्थायी नियुक्तियों की नहीं, ऐसे व्यक्ति को किसी भी पदनाम के तहत विभाग के सदस्यों के लिए वेतन प्रदान करने वाले किसी भी वेतन या विभागीय अध्यादेश में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति तब तक विभाग का सदस्य होगा जब तक कि उसका पद रिटायरमेंट, इस्तीफे या सेवामुक्ति या किसी अन्य कारण से समाप्त नहीं हो जाता।

(b) **पुलिस विभाग के सदस्य।** पुलिस विभाग के सदस्य का अर्थ है सिविल सेवा नियमों और विनियमों या चार्टर के प्रावधान, या दोनों के तहत, पुलिस प्रमुख और पुलिस विभाग में विधिवत और नियमित रूप से नियुक्त हुआ कोई व्यक्ति, जो मूल नियमित और स्थायी नियुक्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिसके लिए शहर के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के लिए, परिवीक्षा अवधि की सेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन मूल आपातकालीन या अस्थायी नियुक्तियों की नहीं, जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी पदनाम के तहत विभाग के सदस्यों के लिए वेतन प्रदान करने वाले किसी भी वेतन या विभागीय अध्यादेश में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति तब तक विभाग का सदस्य होगा जब तक कि उसका पद रिटायरमेंट, इस्तीफे या सेवामुक्ति या किसी अन्य कारण से समाप्त नहीं हो जाता।

(c) **बंदरगाह विभाग के सदस्य।** बंदरगाह विभाग के सदस्य का अर्थ है पोर्ट वार्डन और एक व्यक्ति जो सिविल सेवा नियमों और विनियमों या चार्टर के प्रावधान, या दोनों के तहत विधिवत और नियमित रूप से नियुक्त किया गया है, जो मूल नियमित और स्थायी नियुक्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिसके लिए परिवीक्षा अवधि की सेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन मूल आपातकालीन या अस्थायी नियुक्तियों की नहीं, और बंदरगाह विभाग के लिए पुलिस कर्तव्यों का पालन करने के लिए दंड संहिता के अनुभाग 830.1 के अनुसार शपथ ली गई है, चाहे ऐसे व्यक्ति को विभाग के सदस्यों के लिए वेतन प्रदान करने वाले किसी भी वेतन या विभागीय अध्यादेश में किसी भी पदनाम के तहत वर्णित किया गया हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति तब तक विभाग का सदस्य होगा जब तक कि उसका पद उसकी रिटायरमेंट, इस्तीफे या सेवामुक्ति या किसी अन्य कारण से समाप्त नहीं हो जाता।

(d) **हवाई अड्डाहवाई अड्डों के विभाग का सदस्य।** हवाई अड्डे हवाई अड्डों के विभाग के सदस्य का अर्थ है हवाई अड्डे के पुलिस प्रमुख, हवाई अड्डे पुलिस के सहायक प्रमुख, हवाई अड्डे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, और नागरिक सेवा नियमों और विनियमों या चार्टर के प्रावधान, या दोनों, के तहत विधिवत तरीके से और नियमित रूप से नियुक्त किया गया व्यक्ति, जो मूल नियमित और स्थायी नियुक्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिसके लिए परिवीक्षा अवधि की सेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन मूल आपातकालीन या अस्थायी नियुक्तियों की नहीं, और हवाई अड्डेहवाई अड्डों के विभाग के लिए पुलिस या अग्निशमन विभाग के कर्तव्यों का पालन करने के लिए दंड संहिता अनुभाग 830.1 के अनुसार शपथ ली गई है, चाहे ऐसे व्यक्ति को विभाग के सदस्यों के लिए वेतन प्रदान करने वाले किसी भी वेतन या विभागीय अध्यादेश में किसी भी पदनाम के तहत वर्णित किया गया हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति तब तक विभाग का सदस्य होगा जब तक कि उसका पद उसकी रिटायरमेंट, इस्तीफे या सेवामुक्ति या किसी अन्य कारण से समाप्त नहीं हो जाता।

(e) **मनोरंजन एवं पार्क विभाग के सदस्य।** मनोरंजन और पार्क विभाग के सदस्य का अर्थ है मुख्य पार्क रेंजर और एक व्यक्ति से है जो मूल नियमित और स्थायी नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले सिविल सेवा नियमों और विनियमों या चार्टर के प्रावधान, या दोनों, के तहत विधिवत और नियमित रूप से नियुक्त किया गया है, जिसके लिए परिवीक्षा अवधि की सेवा की आवश्यकता होती है, लेकिन मूल आपातकालीन या अस्थायी नियुक्तियों की नहीं, और मनोरंजन और पार्क विभाग के लिए पुलिस या अग्निशमन विभाग के कर्तव्यों का पालन करने के लिए दंड संहिता अनुभाग 830.1 के अनुसार शपथ ली गई है, चाहे ऐसे व्यक्ति को विभाग के सदस्यों के लिए वेतन प्रदान करने वाले किसी भी वेतन या विभागीय अध्यादेश में किसी भी पदनाम के तहत वर्णित किया गया हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति तब तक विभाग का सदस्य होगा जब तक कि उसका पद उसकी रिटायरमेंट, इस्तीफे या सेवामुक्ति या किसी अन्य कारण से समाप्त नहीं हो जाता

(e)(f) **श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य।** श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य का अर्थ है वह व्यक्ति जो विभाग का एक सदस्य है और जिसके पेंशन अधिकार और लाभ इस श्रेणी 6 द्वारा शासित होते हैं। श्रेणी 6 को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, प्लैन के सदस्य शब्दांश का अर्थ सामान्यतः श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य होगा, जब तक कि जिस संदर्भ में इस शब्दांश का इस्तेमाल किया जाता है वह ऐसे इस्तेमाल को इंगित नहीं करता है जो अन्य श्रेणियों के सदस्यों को संदर्भित करता है या शामिल करता है। श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य के रूप में स्थिति अनुभाग 1700 के प्रावधानों द्वारा सीमित है।

(f)(g) **योग्य जीवित जीवन-साथी।** योग्य जीवित जीवन-साथी का अर्थ है वह व्यक्ति जो श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य से विवाहित था:

(1) श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य के जीवित रहते हुए उसकी गैर-सेवा से संबंधित मृत्यु की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले, या

(2) श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य की सेवा से संबंधित मृत्यु होने की तारीख पर, या

(3) सेवा पेंशन या गैर-सेवा से संबंधित विकलांगता पेंशन पर श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य की रिटायरमेंट की प्रभावी तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले, या

(4) श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य की सेवा से जुड़ी विकलांगता पेंशन पर रिटायरमेंट की प्रभावी तारीख पर, या

(5) सैन्य अवकाश पर रहते हुए श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य की गैर-सेवा से संबंधित मृत्यु होने की तारीख पर।

इसके अतिरिक्त, सदस्य की मृत्यु होने की तारीख पर, यह व्यक्ति या तो ऐसे सदस्य का घरेलू साथी (राज्य के साथ पंजीकृत या प्लैन के साथ दर्ज) या जीवन-साथी होना ज़रूरी है।

राज्य कानून द्वारा अपेक्षित सीमा तक, समान लिंग वाले दो व्यक्तियों, जिनका विवाह के अलावा अन्य विधिक मिलन किसी अन्य क्षेत्राधिकार में वैध रूप से बना है और जो राज्य द्वारा पंजीकृत घरेलू साथी के समतुल्य है, को इस प्लैन के प्रयोजनों के लिए जीवन-साथी के समान माना जाएगा। इन प्रयोजनों के लिए, विवाह की तारीख के किसी भी संदर्भ को किसी अन्य क्षेत्राधिकार में विधिक मिलन की तारीख के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

~~(g)~~(h) **योग्य जीवित घरेलू साथी।** योग्य जीवित घरेलू साथी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य के साथ घरेलू साझेदारी की घोषणा, Los Angeles प्रशासनिक संहिता के अनुभाग 4.2204 के अनुसार, अग्निशमन और पुलिस पेंशन आयुक्तों के बोर्ड के पास फाइल पर दर्ज है, या जिसकी श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य के साथ घरेलू साझेदारी राज्य में पंजीकृत है:

(1) f श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य की गैर-सेवा से संबंधित मृत्यु होने की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले, या

(2) श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य की सेवा से संबंधित मृत्यु होने की तारीख पर, या

(3) सेवा पेंशन या गैर-सेवा से संबंधित विकलांगता पेंशन पर श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य की रिटायरमेंट की प्रभावी तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले, या

(4) श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य की सेवा से जुड़ी विकलांगता पेंशन पर रिटायरमेंट की प्रभावी तारीख पर, या

(5) सैन्य अवकाश पर रहते हुए श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य की सेवा से गैर-संबंधित मृत्यु होने की तारीख पर।

इसके अतिरिक्त, सदस्य की मृत्यु होने की तारीख पर, यह व्यक्ति या तो घरेलू साथी (राज्य के साथ पंजीकृत या प्लैन के साथ दर्ज किया हुआ) या ऐसे सदस्य का जीवन-साथी होना ज़रूरी है।

~~(h)~~(i) **योग्य उत्तरजीवी।** योग्य उत्तरजीवी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो या तो योग्य जीवित जीवन-साथी है या योग्य जीवित घरेलू साथी है।

~~(i)~~(j) **बच्चा।** नाबालिग बच्चे से अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो श्रेणी 6 प्लैन के किसी मृतक सदस्य या श्रेणी 6 प्लैन के रिटायरमेंट सदस्य का बच्चा या दत्तक बच्चा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति तब तक नाबालिग बच्चा ही रहेगा जब तक कि वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या विवाह नहीं कर लेता, जो भी पहले हो। कोई व्यक्ति इस श्रेणी के प्रावधानों के अंतर्गत नाबालिग बच्चे के लिए प्रदान किए जाने वाले लाभों के लिए तब तक आगे योग्य हो सकता है जब तक कि वह 22 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता या जाती है, अगर ऐसा व्यक्ति बोर्ड द्वारा निर्धारित पूर्णकालिक तौर पर स्कूल में नामांकित है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के विवाह से नाबालिग बच्चे के लाभों के लिए उसकी पात्रता समाप्त हो जाती है।

~~(j)~~(k) **आश्रित बच्चा।** आश्रित बालक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो श्रेणी 6 प्लैन के किसी मृतक सदस्य या श्रेणी 6 प्लैन के रिटायरमेंट सदस्य का बच्चा है, जो 21 वर्ष से कम आयु का है, ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से पहले या बाद में, किसी भी वजह या कारण से आजीविका कमाने के काबिल नहीं रहा या रही हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति केवल तभी तक आश्रित बच्चा माना जाएगा या जाएगी जब तक वह आजीविका कमाने के लायक नहीं हो जाता या जाती। अगर विकलांगता 22 वर्ष की आयु से पहले समाप्त हो जाती है, तो उपखंड ~~(h)~~(i) में निर्धारित की गई सीमाएँ लागू होंगी।

~~(k)~~(l) **आश्रित माता-पिता।** आश्रित माता-पिता का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो श्रेणी 6 प्लैन के किसी मृतक सदस्य या श्रेणी 6 प्लैन के रिटायरमेंट सदस्य के माता-पिता है और जिसके लिए ऐसे मृतक सदस्य ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले कम से कम एक वर्ष के दौरान, ऐसे आश्रित माता-पिता के आवश्यक जीवन-यापन के खर्च का आधा या उससे अधिक हिस्सा दिया है और जो पेंशन प्राप्त किए बिना ऐसे खर्च का भुगतान करने में असमर्थ हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति तभी तक आश्रित माता-पिता बना रहेगा जब तक वह अपने आवश्यक जीवन-यापन खर्च का भुगतान करने लायक न हो।

~~(l)~~(m) **सेवा के वेतन की अवधि।** सेवा के वेतन की अवधि का अर्थ किसी भी अतिरिक्त सकल मासिक वेतन से है, जो, सेवा की अवधि के आधार पर, अध्यादेश के अनुसरण में या समझौता ज्ञापन के अनुसरण में प्रदान किया जाएगा।

~~(m)~~(n) **विशेष वेतन।** विशेष वेतन का अर्थ किसी भी अतिरिक्त सकल मासिक वेतन से है, जो, जोखिम भरे कर्तव्यों के अलावा अन्य विशेष कर्तव्यों के निष्पादन हेतु सौंपे जाने के कारण अध्यादेश या समझौता ज्ञापन के अनुसरण में प्रदान किया जाएगा।

~~(n)~~(o) **जोखिम भुगतान।** जोखिम भुगतान का अर्थ किसी भी अतिरिक्त सकल मासिक वेतन से है, जो, हेलीकॉप्टर ड्यूटी, दो पहिया मोटर-साइकिल ड्यूटी या कोई अन्य खतरनाक ड्यूटी करने के लिए, अध्यादेश या समझौता ज्ञापन के अनुसरण में प्रदान किया जाएगा।

~~(o)~~(p) **असाइनमेंट भुगतान।** असाइनमेंट वेतन का अर्थ किसी भी अतिरिक्त सकल मासिक वेतन से है, जो श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य के स्थायी पद के भीतर निम्नतम से उच्चतम वर्ग, पद, ग्रेड, कोड या अन्य पद पर विशेष कर्तव्यों या खतरनाक कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए असाइनमेंट के कारण अध्यादेश या समझौता ज्ञापन के अनुसरण में प्रदान किया जाएगा।

~~(p)~~(q) **वर्ष।** वर्ष का अर्थ 12 महीने की अवधि से है, या सेवा के वर्षों के निर्धारण के उद्देश्य से आंशिक वर्षों को मिलाकर 365 दिन से है।

~~(q)~~(r) **सेवा के साल।** सेवा के वर्षों का अर्थ केवल उन अवधियों से है और इसमें वे अवधियाँ शामिल हैं, जिनके दौरान या जिनके लिए प्लैन सदस्य अग्निशमन विभाग का एक विभाग सदस्य, पुलिस विभाग का एक विभाग सदस्य, बंदरगाह विभाग का एक विभाग सदस्य, ~~या हवाई अड्डा~~ हवाई अड्डे विभाग का एक विभाग सदस्य,

या मनोरंजन और पार्क विभाग का एक विभाग सदस्य था, और चाहे उसके श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य बनने से पहले या बाद में और इस श्रेणी 6 के अनुभाग 1700 में निहित सीमाओं के अधीन था:

(1) वेतन प्राप्त किया था या करेगा, फिर चाहे पूरी राशियों में या कम की गई राशियों में;

(2) अगर उसे विभाग के एक सदस्य या सदस्या के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर बहाल किया गया था या किया जाएगा और उसने इस श्रेणी 6 के अनुसार फिर से रिटायरमेंट होने या रिटायरमेंट होने से पहले कम से कम एक वर्ष तक अपने कर्तव्यों का पालन किया है या करेगा, उसे प्लैन से सेवा से संबंधित विकलांगता पेंशन या सेवा से न जुड़ी हुई विकलांगता पेंशन प्राप्त हुई है या होगी, इस वर्ष में किसी चोट या बीमारी के कारण काम से छुट्टी लेना शामिल नहीं होगा, जो किसी चोट या बीमारी के कारण हुई हो या उसमें योगदान दिया हो, जो ऐसी बहाली से पहले उसे लगी हो या वह उससे पीड़ित हुआ या हुई हो। बहाल हुआ प्लैन सदस्य या सदस्या, बहाली के बाद सेवा का एक वर्ष पूरा करने पर, केवल उस सीमा तक ऐसे क्रेडिट के लिए पात्र होगा या होगी, जब बहाली के बाद सेवा की अवधि विकलांगता पेंशन प्राप्त करने की अवधि से मेल खाती है; लेकिन बहाल सेवा के तीन वर्ष पूरे करने पर, बहाल हुआ प्लैन सदस्य या सदस्या विकलांगता पेंशन प्राप्त करने की पूरी अवधि के लिए क्रेडिट के लिए योग्य होगा; और आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस अवधि के दौरान प्लैन का सदस्य या सदस्या गैर-सेवा से संबंधित विकलांगता पेंशन पर था, उसे उसके सेवा के वर्षों में तभी गिना जा सकता है, जब प्लैन सदस्य या सदस्या बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों के अनुसार इस श्रेणी 6 के अनुभाग 1714 में दिए गए प्रावधान के अनुसार अंशदान देता या देती है;

(3) शहर के सामान्य कानून या अध्यादेश के किसी भी प्रावधान के तहत, सैन्य सेवा या सैन्य छुट्टी की अवधि के लिए रिटायरमेंट के लिए क्रेडिट का हकदार है या हो जाएगा;

(4) रोज़गार के दौरान या उसके कारण पैदा हुई किसी चोट या बीमारी के कारण सामान्य कानून द्वारा प्रदान की गई अस्थायी विकलांगता के लिए श्रमिक मुआवजा लाभ प्राप्त किया है या करेगा, लेकिन ऐसी अवधि को प्लैन के सदस्य या सदस्या के सेवा के वर्षों का हिस्सा तभी बनाया जाएगा जब प्लैन के सदस्य या सदस्या ने बोर्ड नियम द्वारा निर्धारित तरीके से अग्निशमन और पुलिस पेंशन प्लैन में अंशदान दिया हो;

(5) शहर के किसी अध्यादेश या किसी लागू होने वाले समझौता ज्ञापन के अनुसरण में ड्यूटी पर लगी चोट के लिए मुआवजे का हकदार है या हो जाएगा; और

(6) अग्नि एवं पुलिस पेंशन प्रणाली - श्रेणियाँ 2, 3, 4, या 5 के एक सदस्य के रूप में काम किया हो, लेकिन सेवा के लिए रिटायरमेंट लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं बना हो।

वह व्यक्ति जो पहले कभी किसी श्रेणी का प्लैन का सदस्य या सदस्या रहा या रही हो, जो अपने त्यागपत्र या सेवामुक्ति के कारण ऐसा सदस्य या सदस्या नहीं रह गया या गई हो, और जो बाद में श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य या सदस्या बन जाता है, वह पूर्व सदस्यता अवधि के दौरान सेवा के वर्षों के लिए क्रेडिट पाने का हकदार तभी होगा, जब उसने बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से, अपने द्वारा पहले निकाले गए किसी भी अंशदान को ब्याज सहित पुनः जमा कर दिया हो।

श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य का योग्य उत्तरजीवी, प्लैन के सदस्य द्वारा चुने गए सेवा वर्ष क्रेडिट की खरीद को पूरा कर सकता है।

~~(r)~~(s) **सेवा के अंशकालिक वर्ष।** सेवा का अंशकालिक वर्ष का अर्थ इस अनुभाग के उपखंड ~~(p)~~(q) में उल्लिखित किसी भी अवधि से है जो 12 महीने से कम है। सेवा का ऐसा कोई भी आंशिक वर्ष प्लैन के सदस्य या सदस्या के सेवा के अंतिम पूर्ण वर्ष के अंत से लेकर उसकी रिटायरमेंट की तारीख से तुरंत पहले के वेतन अवधि के अंत तक की अवधि के रूप में गिना जाएगा और उसे उसके बाद दी जाने वाली सेवा पेंशन पर रिटायरमेंट के लिए या उसके योग्य उत्तरजीवी, नाबालिग बच्चे या बच्चों, आश्रित बच्चे या बच्चों या आश्रित माता-पिता या माता-पिता को दी जाने वाली पेंशन के लिए प्लैन के सदस्य या सदस्या के सेवा वर्षों के भाग के रूप में गिना जाएगा, अगर उसकी मृत्यु बाद में दी जाने वाली सेवा पेंशन पर रहते हुए या सेवा पेंशन के लिए पात्र रहते हुए हो जाती है।

~~(s)~~(t) **अंतिम औसत वेतन।** अंतिम औसत वेतन का अर्थ है, प्लैन के सदस्य द्वारा निर्धारित प्लैन के सदस्य के रूप में सेवा के किसी भी लगातार 24 महीनों के दौरान वास्तव में अर्जित वेतन के मासिक औसत के बराबर राशि। इस तरह का पदनाम निर्धारित न किये जाने की स्थिति में, रिटायरमेंट के प्रभावी होने की तारीख से पहले के अंतिम 24 लगातार महीनों को अंतिम औसत वेतन की गणना के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

शहर के किसी भी लागू होने वाले अध्यादेश के अनुसरण में, उन अवधियों के लिए अंतिम औसत वेतन निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, जिनमें प्लैन के सदस्य को चोट या बीमारी के कारण पूर्ण वेतन से कम प्राप्त होता है, अंतिम औसत वेतन उस वेतन पर आधारित होगा, जिसमें सेवा अवधि का वेतन, विशेष वेतन, असाइनमेंट वेतन या जोखिम वेतन शामिल होगा, जो प्लैन के सदस्य को प्राप्त होता, लेकिन चोट या बीमारी के लिए।

अंतिम औसत वेतन की गणना में सेवा अवधि का वेतन, विशेष वेतन, असाइनमेंट वेतन और जोखिम वेतन शामिल किया जाएगा, जो अंतिम औसत वेतन निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए लगातार 24 महीनों के दौरान वास्तव में अर्जित किया गया हो।

उन श्रेणी 6 प्लैन के सदस्यों के लिए जो कैप्टन से उच्चतर रैंक पर न रहते हुए अग्निशमन विभाग से या लेफ्टिनेंट से उच्चतर रैंक पर न रहते हुए पुलिस विभाग से रिटायर होते हैं: अगर अंतिम औसत वेतन निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 24 लगातार महीनों के दौरान या उसके किसी भाग के दौरान जोखिम वेतन अर्जित नहीं किया गया था, तो प्रत्येक वर्ष के लिए जोखिम वेतन के अंतिम असाइनमेंट की समाप्ति के समय अर्जित जोखिम वेतन के 10% के बराबर राशि को कुल मिलाकर अंतिम औसत वेतन में जोड़ा जाएगा, जो कुल मिलाकर 10 वर्षों से अधिक नहीं होगा। अंतिम औसत वेतन में शामिल जोखिम भुगतान की कुल राशि उस राशि के 100% से अधिक नहीं हो सकती है जो प्लैन के सदस्य या सदस्या ने अर्जित की होती अगर वह अंतिम औसत वेतन की गणना में प्रयुक्त संपूर्ण 24 महीने की अवधि के दौरान जोखिम भुगतान के लिए पात्र होता या होती।

किसी अध्यादेश या समझौता ज्ञापन के अनुसरण में वेतन के रूप में निर्दिष्ट न किए गए सदस्य को ओवरटाइम मुआवजा या धन का भुगतान अंतिम मुआवजे की गणना के प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाएगा।

अगर श्रेणी 6 प्लैन के किसी सदस्य ने प्लैन के सदस्य के रूप में लगातार 24 महीने की सेवा पूरी नहीं की है, तो केवल उस स्थिति में ही अंतिम औसत वेतन की गणना सभी लगातार पूर्ण किए गए कैलेंडर महीनों के मासिक औसत के रूप में की जाएगी, और यदि प्लैन के सदस्य ने प्लैन के सदस्य के रूप में कुल सेवा के एक महीने से कम समय पूरा किया है, तो वास्तव में प्राप्त वेतन का इस्तेमाल उसके मासिक समतुल्य की गणना करने के लिए किया जाएगा।

उपर्युक्त में से किसी के बावजूद, अगर रिटायर हुआ या हुई श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य या सदस्या को विभाग सदस्य या सदस्या के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर बहाल किया जाता है और इस प्रकार वह फिर से श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य या सदस्या बन जाता है और अगर वह फिर से रिटायर होता है या ऐसी बहाली के बाद कम से कम एक वर्ष

तक अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना रिटायर हो जाता है, जिसमें किसी चोट या बीमारी के कारण काम से छुट्टी लेना शामिल नहीं होगा, जो ऐसी बहाली से पहले उसके द्वारा ली गई या झेली गई किसी चोट या बीमारी के कारण हुआ था या उसमें योगदान दिया था, तो अंतिम औसत वेतन जो उसके बाद की रिटायरमेंट पर लागू होगा वह अंतिम औसत वेतन होगा जो उसके पिछली रिटायरमेंट पर लागू हुआ था। अगर प्लैन के सदस्य ने ऐसी बहाली के बाद अपेक्षित एक वर्ष तक सेवा की हो, लेकिन बहाल होने के बाद से लगातार 24 महीने की सेवा पूरी नहीं की हो, तो ऐसी स्थिति में अंतिम औसत वेतन की गणना ऐसी बहाली के बाद पूरे किए गए सभी लगातार महीनों के मासिक औसत के रूप में की जाएगी।

अनुभाग 4. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1703 के उपखंडों (a) और (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 1703. स्थानांतरित होने वाले पुलिस कर्मियों को पूर्व शपथबद्ध शहर सेवा खरीदने की अनुमति देने का नगर परिषद का अधिकार।

(a) **परिषद का अधिकार।** अनुभागों 1709 और 1711 के अधीन, पपरिषद, इस अनुभाग के प्रावधानों के अनुसरण में अपनाए गए अध्यादेश के अनुसरण में, पुलिस कर्मियों को, जो सामान्य सेवा विभाग से पुलिस विभाग में हस्तांतरित किए गए हैं और निम्नलिखित वर्ग कोड्स 2214, 2217, 2223, 2227, 2232 और 2244 में से किसी एक में स्थिति प्राप्त करते हैं, को चार्टर और Los Angeles प्रशासनिक संहिता के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार प्लैन का सदस्य या सदस्या बनने के बाद Los Angeles शहर की कर्मचारी रिटायरमेंट प्रणाली (LACERS) से श्रेणी 6 में शहर के साथ पूर्व शपथबद्ध सेवा को हस्तांतरित करने की अनुमति दे सकती है। अनुभाग 1702(q)(r) के प्रावधानों के बावजूद, स्थानांतरित होने वाली सेवा को सभी श्रेणी 6 प्रयोजनों के लिए सेवा के वर्षों के रूप में गिना जा सकता है।

(b)_**सेवा खरीदों पर सीमाएँ।** अनुभागों 1709 और 1711 के तहत, पूर्व सेवा के स्थानांतरित की अनुमति देने के लिए परिषद को दिया गया अधिकार विशेष रूप से निम्नानुसार तक सीमित है:

(1) **खरीदें लागत तटस्थ होगी।** सदस्य या सदस्या को हस्तांतरित की जाने वाली सेवा की पूर्ण बीमांकिक लागत का भुगतान करना होगा, जैसा कि प्लैन के बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें प्लैन द्वारा किए गए आकस्मिक प्रशासनिक खर्चों को ध्यान में नहीं लिया जाएगा, हस्तांतरित सेवा के संबंध में LACERS से प्लैन में हस्तांतरित किसी भी निधियों की धनराशि को घटाकर।

(2) **केवल कुछ ही सेवाएँ हस्तांतरित की जा सकती हैं।** शपथबद्ध सेवा जिसे हस्तांतरित किया जा सकता है, वह वर्ग कोड्स 3183, 3185, 3188, और 3198 में शहर के साथ पूर्व सेवा तक सीमित होगी, जिसके लिए कर्मचारी ने अंशदानों का भुगतान किया था और LACERS के साथ सेवा क्रेडिट अर्जित किया था।

अनुभाग 5. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1704 के उपखंड (a) और (b) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

अनुभाग 1704. हवाई अड्डा शांति कर्मियों को श्रेणी 6 पर हस्तांतरित करने देने के लिए और स्थानांतरित हुए कर्मियों को पूर्व शहर सेवा खरीदने की अनुमति देने का नगर परिषद का अधिकार।

(a) **परिषद का अधिकार।** अनुभागों 1709 और 1713 के तहत, परिषद, इस अअनुभाग के प्रावधानों के अनुसार अपनाए गए अध्यादेश के अनुसरण में, और चार्टर और Los Angeles प्रशासनिक संहिता के लागू

होने वाले प्रावधानों के अनुसरण में, 7 जनवरी, 2018 से पहले शहर सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को, जैसा कि अनुभाग 1702(d) में परिभाषित किया गया है, Los Angeles शहर की कर्मचारी रिटायरमेंट प्रणाली (LACERS) में सदस्यता के बदले में श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य या सदस्या बनने की अनुमति दे सकती है, और प्लैन का सदस्य या सदस्या बनने के बाद LACERS से श्रेणी 6 में सभी पूर्व शहर सेवा को हस्तांतरित करने की अनुमति दे सकती है, बशर्ते ऐसा व्यक्ति आंतरिक राजस्व संहिता द्वारा आवश्यक सीमा तक और अनुभाग 1714(a)(3) में आगे वर्णित अनुसार अपनी LACERS सदस्यता पर लागू होने वाली दर पर सदस्यता अंशदान देना जारी रखेगा या रखेगी। अनुभाग 1702(q) (r) के प्रावधानों के बावजूद, इस अअनुभाग के अनुसरण में और परिषद द्वारा अपनाए गए कार्यान्वयन अध्यादेश के अनुसार हस्तांतरित की गई सेवा को सभी श्रेणी 6 प्रयोजनों के लिए सेवा के वर्षों के रूप में गिना जाएगा।

(b) **सेवा खरीदों पर सीमाएँ।** अनुभागों 1709 और 1713 के तहत, पूर्व सेवा के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए परिषद को दिया गया अधिकार विशेष रूप से निम्नानुसार तक सीमित है:

(1) **खरीदें लागत तटस्थ होगी।** सदस्य या सदस्या को हस्तांतरित की जाने वाली सेवा की पूर्ण बीमांकिक लागत का भुगतान करना होगा, जैसा कि प्लैन के बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें प्लैन द्वारा किए गए आकस्मिक प्रशासनिक खर्चों को ध्यान में नहीं लिया जाएगा, हस्तांतरित सेवा के संबंध में LACERS से प्लैन में हस्तांतरित किसी भी निधि की धनराशि को घटाकर।

(2) **सभी पूर्व सेवा को हस्तांतरित किया जाना ज़रूरी है।** LACERS से प्लैन में हस्तांतरित करने के लिए चुनाव करने की शर्त के रूप में, एक सदस्य को LACERS से प्लैन में सभी पूर्व सेवाओं को हस्तांतरित करना होगा, जिसमें LACERS के योगदानकर्ता सदस्य के रूप में अर्जित पूर्व शहर सेवा और LACERS से खरीदी गई कोई भी सेवा शामिल है, और हस्तांतरित की जाने वाली सेवा की पूरी बीमांकिक लागत का भुगतान करना होगा, जैसा कि प्लैन के बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया गया है और इस अअनुभाग के अनुसार अपनाए गए अध्यादेश की आवश्यकताओं के अनुसार है।

(3) **चुनाव और सेवा खरीद अखण्डनीय होगी।** श्रेणी 6 सदस्यता में प्रवेश के लिए किसी सदस्य का चुनाव 7 जनवरी, 2018 के बाद अखण्डनीय होगी। किसी सदस्य या सदस्या द्वारा अपनी पूर्व सेवा खरीदने के लिए किया गया समझौता वापस करने योग्य नहीं होगा। न तो परिषद और न ही बोर्ड को किसी सदस्य के चुनाव या खरीद को रद्द करने या धन वापसी करने, या 7 जनवरी, 2018 के बाद हस्तांतरण की अनुमति देने का अधिकार होगा।

अनुभाग 6. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर में एक नए अनुभाग 1709 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 1709. पुलिस, हवाई अड्डा, बंदरगाह, मनोरंजन और पार्क शांति अधिकारी कार्मिकों को श्रेणी 6 में हस्तांतरित करने की अनुमति देने और सभी पूर्व LACERS सेवाओं को पूर्ण बीमांकिक लागत पर हस्तांतरित करने की आवश्यकता के लिए नगर परिषद का अधिकार।

(a) **पुलिस, हवाई अड्डा, बंदरगाह, मनोरंजन और पार्क शांति अधिकारी कार्मिकों को हस्तांतरित करने की अनुमति देने का परिषद का अधिकार।** परिषद, इस अनुभाग के प्रावधानों के अनुसरण में अपनाए गए अध्यादेश के अनुसरण में, और चार्टर और Los Angeles प्रशासनिक संहिता के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसरण में, 12 जनवरी, 2025 को पुलिस विभाग, जैसा कि अनुभाग 1702 (b) में परिभाषित किया गया है, हवाई अड्डे के विभाग, जैसा कि अनुभाग 1702(d) में परिभाषित किया गया है, बंदरगाह विभाग, जैसा कि 1702(c) में परिभाषित किया गया है, या मनोरंजन और पार्क विभाग, जैसा कि अनुभाग 1702(e) में परिभाषित

किया गया है, द्वारा शपथबद्ध शांति अधिकारी के रूप में सक्रिय रूप से नियोजित व्यक्ति को Los Angeles शहर की कर्मचारी रिटायरमेंट प्रणाली (LACERS) में सदस्यता के बदले में श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य बनने की अनुमति दे सकती है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य बनने के बाद LACERS से सभी पूर्ववर्ती शहर सेवा को श्रेणी 6 में हस्तांतरित कर देगा, और आंतरिक राजस्व संहिता द्वारा आवश्यक सीमा तक और अनुभाग 1714(a)(3) में आगे वर्णित अनुसार अपनी LACERS सदस्यता पर लागू होने वाली दर पर टैक्स पूर्व सदस्यता अंशदान देना जारी रखेगा। अनुभाग 1702(r) के प्रावधानों के बावजूद, इस अनुभाग के अनुसरण में और परिषद द्वारा अपनाए गए कार्यान्वयन अध्यादेश के अनुसार हस्तांतरित की गई सेवा को सभी श्रेणी 6 प्रयोजनों के लिए सेवा के वर्षों के रूप में गिना जाएगा।

(b) **शहरी सेवा के हस्तांतरण के लिए आवश्यकताएँ।** कार्मिकों और पूर्व सेवा के हस्तांतरण को अनुमति देने के लिए परिषद को दिया गया अधिकार विशेष रूप से निम्नानुसार तक सीमित है:

(1) **हस्तांतरण से संबंधित लागतें।** शहर को कार्मिकों और पूर्व शहर सेवा को श्रेणी 6 में हस्तांतरित करने के लिए पूर्ण बीमांकिक संबंधी लागत का भुगतान करना होगा, जैसा कि प्लैन के बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया गया है। बीमांकिक संबंधी लागत में सदस्यता के इस हस्तांतरण के कारण प्लैन की सभी भावी लागतों के अतिरिक्त पूर्ववर्ती शहरी सेवा के प्रारंभिक हस्तांतरण के कारण होने वाली लागतें भी शामिल होंगी। इस राशि को हस्तांतरित सेवा के संबंध में LACERS से प्लैन में हस्तांतरित किसी भी निधि की राशि से घटाया जाएगा, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान और कर्मचारी के LACERS खाते में जमा किया गया कोई भी ब्याज शामिल होगा, जैसा कि अनुभाग 1162(b) में प्रावधान है।

(2) **सभी पूर्व सेवा को हस्तांतरित किया जाना ज़रूरी है।** LACERS से श्रेणी 6 में हस्तांतरित करने की एक शर्त के रूप में, सदस्य को LACERS से श्रेणी 6 में सभी पूर्व शहर सेवा हस्तांतरित करनी होगी, जिसमें LACERS के योगदानकर्ता सदस्य के रूप में अर्जित पूर्व सेवा भी शामिल है, चाहे ऐसी सेवा अर्जित करने के समय कोई भी कर्तव्य क्यों न निभाया गया हो, और LACERS से खरीदी गई कोई भी सेवा। शहरी सेवा जिसे अनुभाग 1703(b)(2) के अनुसार हस्तांतरण से बाहर रखा गया था, उसे इस अनुभाग के उपखंड (b)(1) में वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार श्रेणी 6 में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(3) **श्रेणी 6 में हस्तांतरित करने का अखण्डनीय चुनाव।** श्रेणी 6 में हस्तांतरित करने के लिए सदस्य का चुनाव और सदस्य की शहरी सेवा का श्रेणी 6 में हस्तांतरण 11 जनवरी, 2026 के बाद या अध्यादेश के अनुसरण में निर्धारित किसी अन्य तारीख के बाद, जो भी पहले हो, अखण्डनीय होगा। न तो परिषद और न ही बोर्ड को 11 जनवरी, 2026 या अध्यादेश के अनुसरण में निर्धारित किसी अन्य तारीख, जो भी पहले हो, के बाद हस्तांतरण को रद्द करने या अनुमति देने का अधिकार होगा।

(c) **अपनाने का तरीका।** इस अनुभाग के अनुसरण में अपनाए गए अध्यादेशों को उसी प्रकार अपनाया जाएगा जैसा कि इस चार्टर के अनुभाग 1618(b) में प्रावधान किया गया है, लेकिन प्रस्तावित बदलाव की पूर्ण बीमांकिक संबंधी लागत के बारे में नगर परिषद को एक नामांकित बीमांकिक द्वारा लिखित रूप में सलाह दी जाएगी।

अनुभाग 7. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1710 के उपखंड (b) के उप-प्रभाग (2) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(2) किसी भी श्रेणी 6 प्लैन के सदस्यों द्वारा सेवाओं के लिए अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग, बंदरगाह विभाग, ~~या हवाई अड्डा~~ हवाई अड्डे विभाग, या मनोरंजन और पार्क विभाग को सभी योगदान और

दान, किसी भी पदक या स्थायी प्रतिस्पर्धी पुरस्कार प्रदान करने के लिए दान दी गई धनराशि को छोड़कर;

अनुभाग 8. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर में एक नए अनुभाग 1711 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 1711. अनुभाग 1703 के अनुसरण में पूर्व में श्रेणी 6 में हस्तांतरित हुए पुलिस विभाग के सदस्यों द्वारा भुगतान की गई लागतों को वापस करने के लिए नगर परिषद का अधिकार।

(a) **श्रेणी 6 के सदस्यों को रीफंड (धन वापसी) करने का नगर परिषद का अधिकार।** परिषद, इस अनुभाग के प्रावधानों के अनुसरण में अपनाए गए अध्यादेश के अनुसार, और चार्टर और Los Angeles प्रशासनिक संहिता के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसरण में, 12 जनवरी 2025 को पुलिस विभाग के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से कार्यरत प्रत्येक सदस्य को धन वापसी को अधिकृत कर सकती है, जो पहले अनुभाग 1703 के अनुसार श्रेणी 6 में हस्तांतरित हो गए थे, और Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अपनी पिछली शहर सेवा या श्रेणी 6 स्वास्थ्य लाभों के किसी भी हिस्से को खरीदा था। इस अनुभाग के प्रयोजनों से, ऐसे श्रेणी 6 के सदस्यों को "योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 सदस्य(यों)" के तौर पर संदर्भित किया जाएगा।

(b) **धन वापसी को अधिकृत करने पर सीमाएँ।**

(1) **प्लैन के लिए लागत तटस्थता।** शहर को प्लैन के लिए एक ऐसी राशि का भुगतान करना होगा जो इस अनुभाग के अनुसरण में अपनाए गए किसी भी अध्यादेश के अनुसार योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 के सदस्यों को जारी की जाने वाली धन वापसी की पूरी लागत को कवर करे। शहर को यह भुगतान प्लैन के तहत कोई भी धन वापसी जारी करने से पहले करना होगा। यह भुगतान प्लैन में शहर के पहले वार्षिक योगदान के साथ ही किया जा सकता है, जो इस अनुभाग के अनुसार अपनाए गए अध्यादेश के प्रभावी होने की तारीख के तुरंत बाद किया जाता है।

(2) **भुगतान के स्रोत एवं तरीके।** यह प्लैन, Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधान के अनुसार, शहर सेवा या श्रेणी 6 स्वास्थ्य लाभों के किसी भी हिस्से को खरीदने के लिए भुगतान की गई सभी धनराशि को योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 के सदस्य को वापस कर देगा, चाहे वह एकमुश्त खरीदा गया हो या भुगतान प्लैन द्वारा खरीदा गया हो। इस उपखंड के अनुसरण में जारी किए गए सभी भुगतान, योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 के सदस्य के अलग होने से पहले आंतरिक राजस्व संहिता के अनुरूप किसी तरीके से किए जा सकते हैं, या तो रोलओवर के रूप में, ट्रस्टी-टू-ट्रस्टी हस्तांतरण के रूप में, या टैक्स के पश्चात भुगतान के रूप में। इसके परिणामस्वरूप उपन्न किसी भी निजी टैक्स का भुगतान योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 के सदस्य द्वारा किया जाएगा।

(3) **कोई ब्याज नहीं।** अनुभाग 1714 या Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधान में किसी भी विपरीत भाषा के बावजूद, प्लैन इस अनुभाग के अनुसार जारी किए गए किसी भी वापसी भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं करेगा, अनुभाग 1714(c) के अनुसार गणना किए गए ब्याज के अलावा, जो इस अनुभाग द्वारा अधिकृत वापसी भुगतान के फलस्वरूप माना जाता है।

(4) **LACERS सदस्य के न वापसी करने योग्य अंशदान।** Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधान में किसी भी विपरीत भाषा के बावजूद, अर्हता प्राप्त श्रेणी 6 सदस्य को, शहरी सेवा या श्रेणी 6 स्वास्थ्य लाभों को खरीदने के लिए LACERS से प्लैन में हस्तांतरित किए गए सदस्य अंशदानों के लिए कोई धनवापसी नहीं मिलेगी।

(5) **भुगतान प्लैनों की समाप्ति।** 12 जनवरी, 2025 से प्रभावी करते हुए, Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधान के अनुसरण में प्लैन और योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 सदस्य के बीच किया गया कोई भी भुगतान प्लैन समाप्त कर दिया जाएगा। Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधान के अनुसरण में पूर्व शहरी सेवा खरीदने के लिए योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 सदस्य द्वारा देय किसी भी बकाया भुगतान की शेष राशि को माफ कर दिया जाएगा और उस पर कोई बकाया नहीं रहेगा।

अनुभाग 9. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर में एक नए अनुभाग 1713 को निम्नानुसार पढ़े जाने के लिए जोड़ा जाता है:

अनुभाग 1713. अनुभाग 1704 के अनुसरण में पूर्व में श्रेणी 6 में हस्तांतरित हुए हवाई अड्डा विभाग के सदस्यों द्वारा भुगतान की गई लागतों को वापस करने के लिए नगर परिषद का अधिकार।

(a) **श्रेणी 6 के सदस्यों को रीफंड (धन वापसी) करने का नगर परिषद का अधिकार।**परिषद, इस अनुभाग के प्रावधानों के अनुसरण में अपनाए गए अध्यादेश के अनुसार, और चार्टर और Los Angeles प्रशासनिक संहिता के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसरण में, 12 जनवरी 2025 को हवाई अड्डे विभाग के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से कार्यरत किसी व्यक्ति को धन वापसी को अधिकृत कर सकती है, जो पहले अनुभाग 1704 के अनुसार श्रेणी 6 में हस्तांतरित हो गए थे, और Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधान के अनुसरण में अपनी पिछली शहर सेवा या श्रेणी 6 स्वास्थ्य लाभों के किसी भी हिस्से को खरीदा था। इस अनुभाग के प्रयोजनों से, ऐसे श्रेणी 6 के सदस्यों को "योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 सदस्य(यों)" के तौर पर संदर्भित किया जाएगा।

(b) **धन वापसी को अधिकृत करने पर सीमाएँ।**

(1) **प्लैन के लिए लागत तटस्थता।** शहर को प्लैन के लिए एक ऐसी राशि का भुगतान करना होगा जो इस अनुभाग के अनुसरण में अपनाए गए किसी भी अध्यादेश के अनुसार योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 के सदस्यों को जारी की जाने वाली धन वापसी की पूरी लागत को कवर करे। शहर को यह भुगतान प्लैन के किसी भी रीफंड को जारी करने से पहले करना होगा, और यह भुगतान प्लैन में शहर के पहले वार्षिक योगदान के साथ ही किया जा सकता है, जो इस अनुभाग के अनुसरण में अपनाए गए अध्यादेश के प्रभावी होने की तारीख के तुरंत बाद किया जाता है।

(2) **भुगतान के स्रोत एवं तरीके।** अनुभाग 1704(b)(3) में दी किसी विरुद्ध भाषा के बावजूद, प्लैन, Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधान के अनुसार, शहर सेवा या श्रेणी 6 स्वास्थ्य लाभों के किसी भी हिस्से को खरीदने के लिए भुगतान की गई सभी धनराशि को योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 के सदस्य को वापस कर देगा, चाहे वह एकमुश्त खरीदा गया हो या भुगतान प्लैन द्वारा खरीदा गया हो। इस उपखंडके अनुसरण में जारी किए गए सभी भुगतान, योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 के सदस्य के अलग होने से पहले आंतरिक राजस्व संहिता के अनुरूप किसी तरीके से किए जाएंगे, या तो रोलओवर के रूप में, ट्रस्टी-टू-ट्रस्टी हस्तांतरण के रूप में, या टैक्स के पश्चात भुगतान के रूप में। इसके परिणामस्वरूप उपन्न किसी भी निजी टैक्स का भुगतान योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 के सदस्य द्वारा किया जाएगा।

(3) **कोई ब्याज नहीं।** अनुभाग 1714 या Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधान में किसी भी विपरीत भाषा के बावजूद, प्लैन इस अनुभाग के अनुसार जारी किए गए किसी भी वापसी भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं करेगा, अनुभाग 1714(c) के अनुसार गणना किए गए ब्याज के अलावा, जो इस अनुभाग द्वारा अधिकृत वापसी भुगतान के फलस्वरूप माना जाता है।

(4) **भुगतान प्लैनों की समाप्ति।** 12 जनवरी, 2025 से प्रभावी करते हुए, Los Angeles

प्रशासनिक संहिता के किसी भी मौजूदा प्रावधान के अनुसरण में प्लैन और योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 सदस्य के बीच किया गया कोई भी भुगतान प्लैन समाप्त कर दिया जाएगा। Los Angeles प्रशासनिक संहिता के किसी भीमौजूदा प्रावधान के अनुसरण में पूर्व शहरी सेवा खरीदने के लिए योग्यता प्राप्त श्रेणी 6 सदस्य द्वारा देय किसी भी बकाया भुगतान की शेष राशि को माफ कर दिया जाएगा और उस पर कोई बकाया नहीं रहेगा।

अनुभाग 10. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1714 के उपखंड (a) के उप-प्रभाग (3) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(3) *अनुभागों 1703, 1704, या 1709 के अनुसरण में LACERS से स्थानांतरित हुए सदस्यों द्वारा योगदान के लिए आंतरिक राजस्व कोड की आवश्यकताएँ।* उपखंड (a) में किसी भी विपरीत भाषा के बावजूद, श्रेणी 6 प्लैन का कोई सदस्य या सदस्या जिसने प्लैन में स्थानांतरित होने का चुनाव किया और चार्टर अनुभागों 1703, 1704 या 1709 के अनुसरण में अपनाए गए अध्यादेशों के अनुसार ~~अपनी पिछली LACERS सेवा खरीदने का चयन किया था~~, वह आंतरिक राजस्व संहिता द्वारा आवश्यक सीमा तक अपनी LACERS सदस्यता पर लागू होने वाली दर पर सदस्यता अंशदान देना जारी रखेगा या रखेगी, बशर्ते कि: (i) अगर यह उपखंड (a) अन्यथा ऐसे सदस्य या सदस्या द्वारा अतिरिक्त सदस्यता अंशदान देने की आवश्यकता होगी, तो ऐसे अतिरिक्त सदस्यता अंशदान सदस्य या सदस्या द्वारा आंतरिक राजस्व संहिता द्वारा आवश्यक सीमा तक टैक्स-पश्चात आधार पर किए जाएंगे; और (ii) आगे यह भी प्रावधान है कि, अगर यह उपखंड (a) अन्यथा सदस्य या सदस्या के अंशदान की ऐसी दर की अपेक्षा करता है जो सदस्य या सदस्या की LACERS सदस्यता के लिए लागू होने वाली दर से कम है, तो परिषद इस अअनुभाग के प्रावधानों के अनुसार अपनाए गए अध्यादेश के अनुसरण में, और चार्टर और Los Angeles प्रशासनिक संहिता के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसरण में, ऐसे सदस्य या सदस्या के लिए रिटायरमेंट के समय एक बड़ा वार्षिकी लाभ प्रदान कर सकती है, जो अतिरिक्त अंशदान राशि को प्रतिबिंबित करेगा, जैसा कि बीमांकिक द्वारा निर्धारित किया गया है और जो आंतरिक राजस्व संहिता की सभी सीमाओं के अधीन होगा।

अनुभाग 11. सिटी ऑफ़ Los Angeles के चार्टर के अनुभाग 1714 के उपखंड (g) को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(g) **पूर्ण सदस्य अंशदानों का आश्वासन देना।** बोर्ड के पास यह सुनिश्चित करने ~~पक्का करने~~ के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा कि अग्नि एवं पुलिस पेंशन प्लैन - श्रेणी 6 को क्रेडिट की गई सभी अवधियों के लिए सदस्य अंशदान प्राप्त हों, सिवाय इसके कि बोर्ड के पास सैन्य सेवा के लिए सेवा क्रेडिट हेतु अंशदान की मांग करने का अधिकार नहीं होगा तथा उस अवधि के लिए भी अंशदान की मांग करने का अधिकार नहीं होगा जब श्रेणी 6 प्लैन का सदस्य विकलांगता पेंशन प्राप्त कर रहा हो, या ड्यूटी पर चोट लगने के लिए पूरा वेतन प्राप्त कर रहा हो। हालांकि, श्रेणी 6 प्लैन के सदस्य, ड्यूटी पर चोट लगने की अवधि के लिए सामान्य कानून द्वारा निर्धारित दर पर मुआवजा दिए जाने के लिए अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं, ताकि ऐसी अवधि के लिए सेवा के वर्षों का क्रेडिट प्राप्त किया जा सके। ऐसे अंशदान यहाँ दी गई अंशदान दर पर होंगे तथा उस वेतन पर आधारित होंगे जो प्लैन के सदस्य को प्राप्त होता अगर वह ड्यूटी पर चोट लगने की स्थिति में नहीं होता या होती।

अनुभाग 12. अगर इस चार्टर संशोधन के किसी अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग को किसी न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण द्वारा असंवैधानिक या अमान्य ठहराया जाता है, इस अनुच्छेद के शेष अनुभाग, खंड, वाक्य, वाक्यांश या भाग पूरी तरह से प्रभावी और लागू रहेंगे और इस उद्देश्य के लिए इस लेख के प्रावधान अलग किए जाने योग्य रहेंगे। इसके अलावा, मतदाता घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस चार्टर संशोधन के असंवैधानिक या अमान्य माने गये सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों के अलावा बाकी सभी अनुभागों, खंडों, वाक्यों, वाक्यांशों या भागों को पारित किया होता।

मतदाता अधिकार पत्र

आपके पास निम्नलिखित अधिकार हैं

1. **यदि आप पंजीकृत मतदाता हैं, तो आपको मतदान करने का अधिकार है।** आप मतदान करने के लिए पात्र हैं यदि आप:
   - ★ कैलिफोर्निया में रह रहे अमेरिका के निवासी हैं
   - ★ कम-से-कम 18 वर्ष के हैं
   - ★ वहाँ पंजीकृत हैं जहाँ आप वर्तमान में रहते हैं
   - ★ वर्तमान में किसी गुंडागर्दी के लिए राज्य या संघीय जेल अवधि की सजा नहीं काट रहे हैं, और
   - ★ आपको वर्तमान में किसी अदालत द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया गया हो

2. **मतदान करने का अधिकार यदि आप पंजीकृत मतदाता हैं, भले ही आपका नाम सूची में नहीं है।** आप अंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करेंगे। आपकी वोट को गिना जाएगा यदि चुनाव अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आप मतदान करने के लिए पात्र हैं।

3. **मतदान करने का अधिकार यदि आप मतदान समाप्त होने के समय अभी भी लाइन में हों।**

4. **गुप्त मत देने का अधिकार** किसी द्वारा आप को परेशान किए बिना या आपको यह बताए बिना कि मतदान कैसे करना है।

5. **यदि आपने कोई गलती कर दी है तो नया मतपत्र प्राप्त करने का अधिकार,** यदि आपने पहले ही अपने मत डाल न दिया हो। आप निम्नलिखित कर सकते हैं:
   मतदान स्थल में किसी चुनाव अधिकारी से नया मतपत्र देने के लिए कहना,
   अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र को किसी चुनाव कार्यालय में, या अपने मतदान स्थल पर नए डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र से बदलना, या
   अनंतिम मतपत्र का उपयोग करते हुए मतदान करना।

6. **अपना मतदान करने के लिए** अपने द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति से **सहायता प्राप्त करने का अधिकार,** आपके नियोक्ता या यूनियन के प्रतिनिधि के सिवाए

7. **अपना भरा हुआ डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र** कैलिफोर्निया में **किसी भी मतदान स्थल पर छोड़ने का अधिकार।**

8. **अंग्रेजी के सिवाए किसी अन्य भाषा में चुनाव सामग्री प्राप्त करने का अधिकार** यदि आपके मतदान क्षेत्र में पर्याप्त व्यक्ति वह भाषा बोलते हैं।

9. **चुनाव अधिकारियों से चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में प्रश्न पूछने** और चुनाव प्रक्रिया देखने का अधिकार। आप जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, यदि वह आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, तो उसे किसी उत्तर के लिए आपको सही व्यक्ति के पास अवश्य भेजना चाहिए। यदि आप रुकावट डालते हैं, तो वह आपको उत्तर देना बंद कर सकता है।

10. **किसी अवैध या धोखाधड़ी वाली चुनाव गतिविधि** के बारे में किसी चुनाव अधिकारी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय को सूचित करने का अधिकार।

यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई अधिकार देने से मना किया गया है, तो कृपया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की गोपनीय टोल फ्री वोटर हॉटलाइन को (800) 345-VOTE (8683) पर फोन करें।

वेब पर **www.sos.ca.gov** पर
फोन द्वारा **(800) 345-VOTE (8683)** पर
ईमेल द्वारा **elections@sos.ca.gov** पर

मतदाता पहुंचनीयता संबंधी जानकारी

अभिगम्यता और अन्य सहायक उपकरण
(800) 815-2666, विकल्प 4 (LA काउंटी हॉटलाइन)

LA काउंटी मतदान केंद्र व्हीलचेयर अभिगम्यता और/या कर्बसाइड मतदान प्रदान करते हैं। मतदान केंद्र के अंदर आपको अपने मतदान के अनुभव में सहायता के लिए उपकरण मिल सकते हैं।

ऑडियो रिकॉर्डिंग (213) 978-0444
आपकी सहायता के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ऑडियो उपकरण उपलब्ध हैं।

इस पुस्तिका में शामिल गतिविधियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग अंग्रेज़ी, अर्मेनियाई, चीनी (मंदारिन और कैंटोनीज़), फ़ारसी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, रूसी, स्पेनिश, तागालोग, थाई और वियतनामी में उपलब्ध हैं। ये रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: clerk.lacity.gov/elections/multilingual-services और निम्नलिखित स्थानों पर भी उपलब्ध हैं:

Braille Institute Library
741 North Vermont Avenue
Los Angeles, CA 90029
(323) 660-3880

Central Library
630 West 5th Street
Los Angeles, CA 90071
(213) 228-7000

ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी का अनुरोध मतदाता हमारे कार्यालय से कर सकते हैं:

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

TTD फ़ोन नंबर (562) 462-2259
जिन मतदाताओं को सुनने में समस्या हो उनके लिए एक TTD फ़ोन नंबर प्रदान किया गया है।

भाषा संबंधित सहायता (213) 978-0444
सिटी मतदान की सामग्रियों को अर्मेनियाई, चीनी, फ़ारसी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, रूसी, स्पेनिश, तागालोग, थाई और वियतनामी भाषा में भी प्रदान करता है।

अपने पड़ोस के परिषद का नेतृत्व करें या उसमें शामिल हों

पड़ोस के परिषदें Los Angeles शहर के सरकार की जमीनी स्तर की शाखा हैं। आपः

- महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दों पर शहर के नेताओं को सलाह दे सकते हैं।
- शक्तिशाली पैरवीकारों जितना ही प्रभावी बन सकते हैं।
- सामुदायिक सुधार परियोजनाओं के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित कर सकते हैं।
- सेवाओं की निगरानी और सुधार करें जैसे: सड़क और फुटपाथ की मरम्मत, अपराध से लड़ना और यातायात का प्रबंधन।
- निर्धारित कर सकते हैं कि आपके पड़ोस के परिषदों को अपने वार्षिक परिचालन बजट का उपयोग कैसे करना चाहिए।

LA की 99 पड़ोस के परिषदें उन सभी की सेवा करते हैं जो रहते हैं, काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, पूजा करते हैं, संपत्ति या व्यवसाय के मालिक हैं, या अपने समुदायों के भीतर स्थित सेवा संगठनों से संबंधित हैं।

और अधिक जानें

आगामी 2025 के पड़ोस परिषद चुनावों में अपने पड़ोस के परिषद ढूँढने और इसमें शामिल होने का तरीक़ा जानने के लिए www.99NCs.com पर जायें।

अधिक जानकारी के लिए, आप ईमेल या फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं:

EmpowerLA@LAcity.org

(213) 978-1551 (सुबह 9:00 बजे - शाम 5:00 बजे / सोमवार-शुक्रवार)

Department of Neighborhood Empowerment
200 North Spring Street, Room 2005, Los Angeles, CA 90012
www.EmpowerLA.org

महत्वपूर्ण तिथियों की समयरेखा

10 अक्टूबर 2024

रवि	सोम	मंग	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

अक्टूबर 7, 2024

- Los Angeles काउंटी के रजिस्ट्रार-रिकॉर्डर/काउंटी क्लर्क इस तिथि को या उससे पहले डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र भेजना शुरू कर देंगे।
- डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र ड्राप ऑफ बक्से खुल जाएँगे।

अक्टूबर 21, 2024

मतदान के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि (सशर्त मतदान के लिए उसी दिन मतदान पंजीकरण अभी भी उपलब्ध है)

11 नवंबर 2024

रवि	सोम	मंग	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

नवंबर 5, 2024

चुनाव का दिन
मतदान केंद्र सुबह 7:00 बजे खुलेंगे और रात 8:00 बजे बंद होंगे।

आपके मतदान विकल्प

डाक-द्वारा-मतदान

- डाक द्वारा वापस भेजें
  - चुनाव दिवस तक पोस्टमार्क हो जाना चाहिए और 7 दिनों के भीतर प्राप्त कर लेना चाहिए
- ड्राप-ऑफ
  - मतपत्र ड्रॉप बॉक्स की जगह पर
  - किसी LA काउंटी मतदान केंद्र पर

अपने डाक-द्वारा-मतदान लिफाफे के पीछे हस्ताक्षर करना ना भूलें!

मतदान केंद्र

- व्यक्तिगत रूप से मतदान करें
- अपना डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र पहुँचाएँ

यहाँ स्कैन करें!

मतदान केंद्र का समय और स्थान ढूँढने के लिए स्कैन करें

या locator.lavote.gov/locations/vc पर जाएँ

जल्दी मतदान करें!
मतदान केंद्र 26 अक्तूबर, 2024 से खुल जाएँगे

मतदाता ध्यान दें

चुनाव का दिन मंगलवार, 5 नवंबर है

मतदाता ध्यान दें

चुनाव का दिन मंगलवार, 5 नवंबर है

मतदाता ध्यान दें

चुनाव का दिन मंगलवार, 5 नवंबर है

मतदाता ध्यान दें

चुनाव का दिन मंगलवार, 5 नवंबर है

OFFICE OF THE CITY CLERK
ELECTION DIVISION
555 RAMIREZ STREET
SPACE 300
LOS ANGELES, CA 90012

NON PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE
PAID
CITY OF LOS ANGELES
ELECTION DIVISION

OFFICIAL
ELECTION MAIL
Authorized by the U.S. Postal Service
®